खण्ड-124, अंक-3
बुधवार, 14 श्रावण, शक संवत् 1875
(5 अगस्त, 1953 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 124 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ५ अगस्त, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७४)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अतहर हुसेन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराउल हक, श्री
इस्तफा हुसेन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्वरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशी राम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेश चन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री

गोपी नाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पंत, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल, पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदा लाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगनप्रसाद, रावत श्री
जगन्नाथ प्रसाद श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगुलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीका राम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचन्द श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसी राम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज बहादुर श्री
तेजा सिंह, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाता राम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देव राम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंग लाल, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पाती राम, श्री
पुत्तू लाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभू दयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री

बद्री नारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल, शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मोतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम , श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमेश चन्द्र शर्मा,
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजा राम, श्री
राजा राम किसान, श्री
राजा राम मिश्र, श्री
राजा राम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधा कृष्ण अग्रवाल, श्री
राधा मोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री

रामगुलाम सिंह, श्री
रामचंद्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
राम हेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विश्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
संग्राम सिंह, श्री

सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां, हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री
होती लाल वास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

स्वदेशी औषधियों की योजना पर विचार

*१—**श्री शिव कुमार शर्मा** (जिला बिजनौर)—क्या सरकार स्वदेशी औषधियों की खोज तथा उनके उपयोग को प्रोत्साहन देने की किसी योजना पर विचार कर रही है। यदि हां, तो क्या उसे सूचना है कि प्रदेश के कुछ लोगों ने कालरा, प्लेग, चेचक मलेरिया आदि रोगों की सस्ती तथा अचूक औषधियों की खोज की है?

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—स्वदेशी औषधियों की खोज एवं उन पर शोध करने के लिये भारत सरकार ने हाल ही में जामनगर में एक केन्द्रीय अनुसंधानशाला की स्थापना की है। राज्य सरकार उक्त अनुसंधानशाला की कार्य-प्रणाली एवं उस में प्राप्त फलों को देखने के उपरान्त ही इस संबंध में कोई कदम उठायेगी। वर्तमान समय में अर्थाभाव के कारण भी ऐसी कोई योजना कार्यान्वित नहीं हो सकती। सरकार को यह सूचना है कि प्रदेश के कुछ लोगों ने कालरा, प्लेग, चेचक मलेरिया आदि रोगों की सस्ती औषधियों की खोज की है परन्तु उनकी प्रामाणिकता के बारे में बिना जांच करवाये कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रदेश के वह कौन-कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने कालरा, चेचक इत्यादि की दवाइयां की खोज की है?

श्री बनारसी दास—कार्यालय में इस प्रकार के व्यक्तियों की कोई सूची नहीं है, लेकिन वैसे यह मालूम है कि इस प्रकार की कुछ खोज की गयी है और उसके लिये सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार को यह मालूम है कि इलाहाबाद के एक डाक्टर ने डेढ़ रुपये की लागत से करीब-करीब दो हजार कालरा और चेचक के मरीजों को ठीक करने का आश्वासन दिया है ?

श्री बनारसी दास—इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।

श्री नेक राम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि झाँसी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को खोज के लिये सरकार ने कुछ पैसा दिया है और यदि दिया है तो वह कितना है ?

श्री बनारसी दास—झांसी विश्वविद्यालय के लिये,जिस प्रकार से कि और विद्यालयों के लिये रुपया दिया जाता है, वह दिया गया लेकिन विशेष रूप से इस आइटम के लिये नहीं दिया गया ।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इन दवाओं की प्रामाणिकता के लिये वह जांच कराना चाहती है ।

श्री बनारसी दास—इसका तो उत्तर इसी के अन्दर पहले दिया जा चुका है कि केन्द्रीय सरकार ने जामनगर के अन्दर एक प्रयोगशाला स्थापित की है जिसमें कि इन सभी दवाओं के ऊपर अनुभव प्राप्त किया जा रहा है । उसी के आधार पर प्रांतीय सरकार भी कदम उठायेंगी ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि झांसी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को खोज करने के लिये कोई रकम देने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि रानीखेत की औषधि रसायनशाला ने हिमालयन जड़ी-बूटियों का अविष्कार हाल में किया है ?

श्री बनारसी दास—उसमें तो केवल स्टोरेज होता है, खोज नहीं होती ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन स्वदेशी औषधियों का उपयोग ऐलोपैथिक अस्पतालों में करके उनके बारे में अनुभव प्राप्त किया जायगा ।

श्री बनारसी दास—जी हां, कुछ दवाइयों का प्रयोग किया गया और अस्पतालों में स्वदेशी दवायें भी जा रही हैं ।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बतलायेगी कि आयुर्वेदिक की दवाइयां जो खोज की जाती हैं उनकी प्रामाणिकता ऐलोपैथिक डाकटर्स से की जाती है या आयुर्वेदिक की तरफ से कोई परिषद् है जो प्रामाणिकता प्रदान करती है ?

श्री बनारसी दास—इसका उत्तर तो दिया जा चुका है । इसमें एलोपैथिक या ऐसे कोई विशेषज्ञों का कोई प्रश्न नहीं होता, जो जामनगर में लेबोरेटरी है वह जांच करती है और उसके अनुसार अनुभव प्राप्त करते हैं ।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार अपने राज्य में इस प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों की जो खोज की जाती हैं उनको प्रमाणिकता प्रदान करने के लिये राज्य में कोई कौंसिल क्रिएट करने का प्रयत्न कर रही है ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं, इस समय अर्थाभाव के कारण यह संभव नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन-कौन स्थानों पर सरकार यह खोज करवा रही हैं या खोज के केन्द्र हैं ?

श्री बनारसी दास—यह तो उत्तर दिया जा चुका है कि सरकार की ओर से इस समय कोई खोज नहीं हो रही है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन जड़ी बूटियों को शुद्ध तरह से मिल सकें इसके लिये सरकार की ओर से भी क्या कोई व्यवस्था इनके इकट्ठा करने की है ?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अभी सरकार की ओर से यह कार्य रानीखेत में किया जा रहा है । वहां पर जड़ी बूटियां इकट्ठा की जाती हैं और जो यहां हमारी फार्मेसी बनी है वहां भेजी जाती हैं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—क्या सरकार के पास उस फार्मेसी से रिसर्च इंस्टीच्यूट की ओर से बराबर उन दवाइयों के संबंध में कोई सूचना आती है कि उनका क्या नतीजा हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कुछ दवाइयां ऐसी हैं कि जिनमें रिसर्च की कोई आवश्यकता नहीं है । कुछ दवाइयों जिनमें रिसर्च की आवश्यकता है जो यहां केन्द्रीय सरकार की तरफ से ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया है, उनके ऊपर यहां अनुसंधान किया जा रहा है और उनके अनुसंधान के जो नतीजे होंगे देखते हुये उन दवाइयों का बनाना फार्मेसी में प्रारम्भ किया जायगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों की खोज के संबंध में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी सरकार के पास किसी अनुसंधान शाला के निर्माण की योजना तो है नहीं परन्तु जो पर्वतीय क्षेत्रों में जरूरी जड़ी बूटियां इकट्ठी की जा सकती हैं उनके संबंध में अभी उत्तर दिया गया कि रानीखेत में सरकार की ओर से एक ऐसी शाला बनी हुई है जहां ये जड़ी बूटियां इकट्ठी होती हैं और वहां इकट्ठा होने के बाद वे उन फार्मेसियों में या उन स्थानों पर जहां उनका उपयोग किया जा सकता है, भेजी जाती हैं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ये जो जड़ी-बूटियां पर्वतों पर इकट्ठी की जा रही हैं वहां पर इनके इकट्ठा करने या निकालने के संबंध में सरकार की ओर से रोकथाम या कंट्रोल है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कोई नियंत्रण की तो आवश्यकता नहीं ।

श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने प्रामाणिक औषधियों की खोज की है उनके लिये सरकार कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री बनारसी दास—अभी तक तो जैसा उत्तर दिया जा चुका है । उनकी प्रमाणिकता के संबंध में कोई ज्ञान नहीं है इसलिये यह प्रश्न ही नहीं पैदा होता ।

श्री बद्रीनाथ मंदिर समिति के दो रिक्त स्थानों के निर्वाचन संबंधी निर्वाचन-पत्र वापस करने के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों को यह एक सूचना दे देना चाहता हूं कि श्री बद्रीनाथ मंदिर समिति में दो रिक्त स्थानों के लिये जो निर्वाचन होने वाला था, निर्वाचन पत्र माननीय सदस्यों के पास भेज दिये गये और उसमें ८ अगस्त को ४ बजे तक का समय है तो उसकी वापसी हो जानी चाहिये जो कि निर्वाचन-पत्र भेजे गये थे। ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य कुछ भूल गये हैं और ये पत्र वापस नहीं आ रहे हैं उतनी तादाद में। इसलिये मैं यह सूचना देना उचित समझता हूं कि ८ तारीख तक में वे अपना निर्वाचन-पत्र वापस कर दें और यदि पोस्ट के जरिये से उन्होंने न भेजे हों जो तो विधान सभा के सचिव के पास प्रत्यक्ष वह दे सकते हैं, यह सूचना मैं देना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश अनुशासनीय कार्यवाही (साक्षियों को बुलाने तथा लेखों को प्रस्तुत कराने का) विधेयक, १९५३

मुख्य मंत्री (श्री गोविंद वल्लभ पन्त)—मैं उत्तर प्रदेश अनुशासनीय कार्यवाही साक्षियों को बुलाने तथा लेखों को प्रस्तुत करने का विधेयक, १९५३, पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २२३–२२४ पर)

*उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक पर विवाद होगा। माननीय उद्योग मंत्री अपना भाषण जारी रखेंगे।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक कल मैंने विचार की गरज से इस सदन के सामने उपस्थित किया था उसके संबंध में मुझे कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी है। वह एक ऐसा विधेयक है जिस के लिये सब तरफ से मांग थी और अर्से से मांग थी और वह एक बहुत ही सीधा साधा छोटा सा विधेयक है। मैं आप की आज्ञा से उद्देश्य और कारण जो इस विधेयक में दिये हैं पढ़ना चाहता हूं।

"८ मई, १९५२ से इन्डस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट ऐंड रेगुलेशन) ऐक्ट, १९५१ के प्रचारित होने से, चीनी उद्योग विनियमन एक मात्र केन्द्रीय विषय हो गया है। राज्य सरकार का कार्य अब केवल यह रह गया है कि चीनी की फैक्टरियों को गन्ना की पूर्ति का प्रबंध करे।

फैक्टरियों में गन्ने के समुचित वितरण व्यवस्थित वैज्ञानिक रीति से गन्ने का विकास, उद्योग तथा गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा की व्यवस्था की दृष्टि से तथा इस नये अधिनियम को स्थायी रूप देने के विचार से, यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है"।

इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के रेगुलेशन ऐक्ट के लागू हो जाने से इस सदन के माननीय सभी सदस्यों को बखूबी मालूम है कि रेगुलेशन के सारे अख्तियार केन्द्रीय सरकार के हाथ में चले गये हैं। जहां तक इस राज्य सरकार का संबंध है केवल गन्ने की सप्लाई और उसके डेवलपमेंट वगैरह के काम बाकी रह गये हैं। इसलिये जो शुगर फैक्ट्रीज कण्ट्रोल ऐक्ट था वह इस काम के लिये बिलकुल बेकार सा हो चुका है। ऐसी अवस्था में इस बात की जरूरत महसूस हुई कि एक नया विधेयक लाया जाय और उसके जरिये से गन्ने की खरीद व फरोख्त और उसके डेवलपमेंट आदि का काम सुचारू रूप से किया जाय। इसी उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है।

---

* ३ अगस्त, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

इस विधेयक में क्रशिंग सीजन की अवधि कुछ बढ़ा दी गयी है। पिछले तजुर्बे से यह बात जरूरी मालूम हुई कि अवधि में कुछ इजाफा हो जाना चाहिये ।

इसके साथ-साथ यह भी अनुभव से पता चला कि हम एक शुगर बोर्ड बनायें और एक डेवलपमेंट कौंसिल बनायें। उसके लिये भी इसमें प्रबंध किया गया है। समय-समय पर हमारी क्या नीति होगी, इस प्रबंध में शुगर बोर्ड को हमें मशिवरा देने का अधिकार होगा। हर फैक्टरी के रिजर्व और एसाइंड एरिया में एक डेवलेपमेंट कौंसिल कायम की जायगी और जो उसके फंक्शन होंगे वे इस विधेयक में विस्तारपूर्वक दिये हुये हैं। उनकी वजह से डेवलेपमेंट के काम में बड़ी सुविधा पहुंचने की आशा की जाती है।

इसके साथ-साथ एक दिक्कत हमारे सामने हमेशा आती रही और हमारे सामने क्या हमारे बहुत से मित्रों के सामने भी वही दिक्कत हमेशा पेश आयी । जिन-जिन जिलों में शुगर मिल्स हैं वहां गन्ने के दाम की अदायगी में कठिनाइयां पड़ीं और दिक्कतें महसूस हुई और गन्ने के उत्पादकों को भी दिक्कतें उठानी पड़ीं। उनका मिलों के जिम्मे काफी रुपया बकाया वक्तन-फवक्तन पड़ता रहा। अक्सर इस सदन में भी प्रश्न उठाये गये कि बकाये की रक़म पर सूद मिलना चाहिये या न मिलना चाहिये। जो पुराना कायदा था उसमें सूद के बारे में कोई प्राविजन नहीं रखा गया था। मेरे रास्ते में भी कुछ दिक्क़तें थीं। एक मर्तबा मुझ से पूछा गया तो मैंने यह कहा था कि बहुत सी ऐसी जमायतें हैं जिनके यहां सूद लेना रवा नहीं समझा जाता, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सूद लेना चाहते हैं और उनके यहां रवा भी है। चूंकि पुराने कानून में इस बात की खामी थी इसलिये उस खामी को भी रफा करने की कोशिश की गयी। धारा १६ में यह रख दिया गया है कि जिस तारीख को गन्ना फैक्टरी को दिया जाय अगर उस तारीख से १५ दिन के अन्दर फैक्टरी गन्ने की क़ीमत अदा न करे तो साढ़े सात रुपया फीसदी सूद उसी तारीख से शुरू हो जायगा। अव्वल तो जिन की ख्वाहिश सूद लेने की थी उनकी इच्छा की भी पूर्ति इससे होती है और इसके साथ ही साथ मैं यह समझता हूं कि साढ़े सात रुपया फीसदी सूद लेना कोई भी मिल ओनर पसन्द नहीं करेगा इसलिये वह फौरन् गन्ने की क़ीमत अदा करने की कोशिश करेगा और अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वह कम दर में बैंक से क़र्ज़ा ले कर उसकी अदायगी करेगा। तो इससे जो दिक्क़त हमारे, आप के और केन ग्रोवर्स के रास्ते में गन्ने की क़ीमत अदायगी के बारे में थी वह इससे रफा हो जायगी और इसके साथ ही साथ मैंने इसमें यह भी रखा है कि अभी तक अगर कोई कार्यवाही की जाती है गन्ने की कीमत की अदायगी के बारे में तो काफी वक्त लगता है और काफी दिक्क़तें पड़ती हैं। इसलिये हमने धारा १६ की उपधारा ४ में यह रखा है कि केन कमिश्नर इस बात का प्रमाण-पत्र कि अमुक फैक्टरी के जिम्मे इतनी धनराशि बाक़ी है कलेक्टर के पास भेज दे और कलेक्टर उसको बतौर मालगुजारी के वसूल करे। इस तरह से किसी लम्बे चौड़े प्रोसीज्योर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमको वसूलयाबी में भी सहूलियत हो सकती है। मुझे आशा है कि इस प्राविजन के बाद हमारी बहुत कुछ परेशानियां दूर हो जायंगी और जो आये दिन नादिहन्दगी कि शिकायतें इस सदन में और इस सदन के बाहर हमेशा सुननी पड़ती थी वह नहीं सुननी पड़ेंगी और हमारे भाई गेंदा सिंह को बहुत परेशानी इस बारे में रहती थीं और वह वाक़ई परेशानी थी और उनकी परेशानी से हम भी परेशान रहा करते थे लेकिन इस विधेयक के जरिये से अब, सब की परेशानियां दूर हो जांयगी।

इसके साथ ही साथ रिजर्व और असाइनमेंट वगैरह के बारे में भी प्राविजन रखा गया है। धारा १५ में यह प्राविजन है कि जिस फैक्टरी के लिये कोई एरिया रिजर्व है अगर ऐसी कोई बात पैदा हो जाय जिससे कि वह फैक्टरी कुल गन्ना क्रश न कर सके तो हम दूसरे के साथ भी, ऐसी फैक्टरी या ऐसे शख्स जिसके हक़ में वह रिजर्व न हो उसको भी खरीद करने का अधिकार दे सकते हैं। इस प्रकार से काफी व्यवस्था इस विधेयक में की गयी है और मैं आशा करता हूं कि हमारी जो पुरानी दिक्क़तें थीं वह आसान हो कर के रहेंगी और मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य जो इस तरफ या उस तरफ बैठे हुये हैं उनके जो ख्यालात हों और इस

[श्री हुकुम सिंह]

विधेयक में जो खामी हों उसे वह मुझे बतायें ताकि हमें उस पर विचार करने का मौक़ा मिले। हमारी सबकी यह इच्छा है कि यह विधेयक ऐसा मुकम्मल हो कि जिससे इसका उद्देश्य ठीकतौर से पूरा हो सके। मुझे तो पूर्ण आशा है कि भाई गेंदा सिंह जी इस विधेयक की ताईद करेंगे चाहे मुझे क्रेडिट दें या न दें। लेकिन एक दरख्वास्त मैं उनसे जरूर करूंगा कि वह इफ़ ऐंड बट के साथ ताईद न करें। जो खामियां हों मुझे बतला दें और हम इन पर अमल करने के लिये हमेशा तैयार हैं। यही चन्द बातें मुझे अर्ज करनी थीं। मुझे आशा है कि सदन इस प्रस्ताव पर विचार करके इसे स्वीकार करेगा और फिर इस विधेयक का काम आगे चलेगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी जरूर है कि वर्षों तक इन्तजार करने के बाद यह विधेयक इस सदन के सामने आ ही गया।

श्री हुकुम सिंह--देर आयद दुरुस्त आयद।

श्री गेंदा सिंह--जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, अगर देर में भी कोई अच्छा काम किया जाय तो कोई बुराई नहीं है। जैसा उन्होंने पहले ही कहा, मैं जो खामियां इस विधेयक में समझता हूं उन्हें उनके और सदन के सामने जरूर रखने की कोशिश करूंगा। इस विधेयक का महत्वपूर्ण संबंध उस चीज से है जिसकी एक ही फसल से हमारे प्रदेश के किसानों को हर साल ३०/३५ करोड़ रुपया मिल जाता है, मिल वालों का तो ठीक हिसाब मुनाफे का मैं नहीं बता सकता लेकिन सरकार को भी ४ करोड़ रुपया अबवाब में मिल जाया करते हैं। पढ़े लिखे लोगों को भी इससे संबंध है और अगर हम चीनी खाने वालों को भी जोड़ें तो सारे प्रदेश के आदमियों का और हिन्दुस्तान भर के लोगों का इस से संबंध है। इसलिये इस विधेयक को अधिक गौर से देखना चाहिये और मैं इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि जो कुछ मैं कहूंगा उसे सरकार नुक्ताचीनी न समझे बल्कि हमारे सामने कठिनाइयां आयी हैं और उनके तजुर्बे की बिना पर मैं निवेदन करूंगा। सम्भव है कि हमारे और माननीय सदस्यों को वे कठिनाइयां पड़ी हों और वे भी उनका जिक्र करें। जैसा माननीय उद्योग मंत्री ने कहा, कुछ क़ीमतों और कुछ और बातों का झंझट था, तो इस समय इस बिल का मक़सद कुछ क़ीमतों को तय करना तो है नहीं। इस बिल में हम गन्ने की क़ीमत पर कोई रायज़नी नहीं कर सकते। हम उसकी चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि उसके बिना इस विधेयक का काम पूरा नहीं हो सकता। जब कभी चीनी संबंधी कोई हाई पावर कमेटियां बैठीं तो उनकी यह सलाह रही है कि चीनी उद्योग-धंधे की केवल बिक्री का ठीक इन्तजाम कर देने से ही काम नहीं चलेगा बल्कि उसका संबंध चीनी के दाम कम करने से है। अगर हमारे देश में जिस भाव पर चीनी बिकती रही है उसी भाव पर बिकती रही तो डर इस बात का है कि बाजार हमारे हाथ से चला जायगा। यह बड़े बड़े लोग जो विशेषज्ञ भारतवर्ष में शुगर इंडस्ट्री के रहे हैं उनका मत है। प्रश्न यह है कि चीनी की क़ीमत किस प्रकार कम की जाय। यदि कम नहीं की जाती है तो बाजार हमारे हाथ से जाता है, यदि बाजार हमारे हाथ से चला जाता है, तो स्वभावतः जो अपने, प्रदेश के किसान गन्ना बोने वाले हैं या मिल में काम करने वाले हैं या सरकार सब को एक ऐसा नुक्सान उठाना पड़ेगा जिस को पूरा करना किसी व्यवसाय से सम्भव नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि चीनी की क़ीमत किस प्रकार कम करें।

चीनी की क़ीमत जिस वक्त लगाई जाती है तो उस वक्त सब से बड़ा जो काम करता है चीनी की क़ीमत लगाने में वह गन्ना की क़ीमत है। गन्ना की क़ीमत ही सब से बड़ा आइटम चीनी की क़ीमत लगाने में है। मैं आगे चल कर उस टेबिल को भी आपके सामने पेश करूंगा। जिस टेबिल से कि चीनी की क़ीमत लगाई जाती है अब सवाल यह उठाता है कि अगर सब से बड़ा फैक्टर गन्ने की क़ीमत है तो जब तक गन्ने की क़ीमत कम न की जाय चीनी की क़ीमत कम नहीं की जा सकती है और गन्ने की क़ीमत तभी कम की जा सकती है कि जब गन्ना पैदा करने वाले उस क़ीमत पर फिर खेती करें.....

श्री हुकुम सिंह---श्रीमान् जी, मैं एक वैधानिक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---कहिये।

श्री हुकुम सिंह---हमारे मित्र चीनी और शुगर केन की क़ीमत के बारे में फरमा रहे हैं। जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक़ है शुगरकेन की सप्लाई को रेग्यूलराइज़ करने की मंशा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऐक्ट की रू से शुगर केन की क़ीमत निर्धारित करना हमारी सरकार के अधिकार के बाहर की बात है। लिहाज़ा आप की बहस असंगत सी प्रतीत होती है।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठ जांय। मैं जवाब दे दूं। मैं यह समझ रहा था कि माननीय गेंदा सिंह जी इस बात को समझते हैं कि इससे विधेयक का वास्ता नहीं है कि चीनी की या गन्ने की क़ीमत फिक्स करने का सवाल है लेकिन आम बहस में प्रस्तावना के रूप में वह बहस कर रहे हैं जिससे आगे की बहस करने वाले की बात सदस्यों की समझ में आ जाय इस दृष्टि से वह बहस कर रहे हैं इसलिये मैंने उनको भाषण जारी रखने दिया अगर वह इसी पर बहस छेड़ देंगे तो मैं ज़रूर उनको टोकूंगा।

श्री गेंदा सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी आप ने कहा वही मेरी मंशा थी और मैं उद्योग मंत्री जी को इसी विधेयक की ५वीं धारा की ओर ध्यान ले जाने के लिये निवेदन करूंगा। जहाँ पर उन्होंने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिये एक परिषद बनाने की चर्चा की है यानी शुगर केन बोर्ड बनेगा और उसका यह काम होगा कि वह गन्ने की वैरायटीज़ को तय करे ख़रीद और बिक्री के विनियमन के बन्दोबस्त को कहा जा सकता है कि वह इस विधेयक का मुख्य ध्येय है। लेकिन मैं यही बात कहना चाहता था इस उद्देश्य को रखने में थोड़ी सी गलती हुई क्योंकि जहां पर ख़रीद बिक्री के संबंध में लिखा गया है वहां पर यह भी लिखा जाना चाहिये था जो इस विधेयक में दिया गया है। उसकी चर्चा इस उद्देश्य में कर देनी चाहिये थी कि इस विधेयक का उद्देश्य गन्ने की उपज बढ़ाने का भी है।

श्री हुकुम सिंह---है, पढ़िये ज़रा सा।

श्री गेंदा सिंह---अगर यह है तो फिर माननीय उद्योग मंत्री जी को इससे शिकायत नहीं होनी चाहिये कि मैं गन्ने की उपज बढ़ाने की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता था।

श्री हुकुम सिंह---क़ीमत के बारे में न कहिये।

श्री गेंदा सिंह---मैं जानता हूं कि क़ीमत का नाम लेने से कुछ घबराहट माननीय उद्योग मंत्री जी को होती है, लेकिन वह घबराहट की बात तो अभी आयी नहीं, आगे आयेगी।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि चीनी की क़ीमत अगर कम नहीं हुई तो फिर हमारे हाथ से यह व्यापार निकल जायगा और यह सारा विधेयक बना बनाया हमारे दफ्तर में रह जायगा। फिर चीनी की क़ीमत कम करना हमारे लिये लाज़िमी होता है ताकि हम हिन्दुस्तान के हर बाज़ार में अपनी चीनी को बेच सकें। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि यू०पी० की चीनी के लिये कोई बांध बना कर ऐसा बाजार बनाया जाय कि जहां पर हमारी उपज ३०० मन फ़ी एकड़ है और तीन सौ मन फ़ी एकड़ से जो चीनी तैयार होती है वह चीनी तो ३० रुपये मन बाजार में बिके और बम्बई और मद्रास में जहां आमतौर पर पैदावार एक हज़ार मन फी एकड़ से ज्यादा होती है वहां चीनी कुछ सस्ते दाम में बन सकती है इसलिये वह सस्ती क़ीमत पर बाज़ार में बिके। तो ऐसी बात तो मेरी समझ में आती नहीं है। इसलिये हमें यह विचार करना पड़ेगा कि जब ख़रीद, बिक्री और गन्ने की उपज बढ़ाने की बात हम इस विधेयक में करते हैं तो किस तरह गन्ने की उपज बढ़ाई जाय उस तरफ हमारा ध्यान ज़रूर जाना चाहिये। माननीय उद्योग मंत्री जी ने कुछ विचार किया है इस विधेयक

[श्री गेंदा सिंह]

में और सम्भव है कि इस विधेयक के जरिये आगे कुछ तरक्की भी हो लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हुं कि शुगर फैक्टरीज कट्रोल ऐक्ट के नाम से जो क़ानून पहले काम करता था उसको इस विधेयक के जरिये हम रेपील कर रहे हैं और उसके स्थान पर यह छोटा सा विधेयक सदन के सामने है। वह क़ानून सन् १९३८ में बना था। उस वक्त की परिस्थिति में वह क़ानून बनाया गया था। मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय आप को कि उसके पहले एक और छोटा सा क़ानून इस प्रदेश में काम करता था, जिसकी जानकारी हमारे जैसे लोगों को तो थी भी नहीं। दो आने मन ढाई आने मन या मन चाही क़ीमत पर शुगर फैक्टरीज गन्ना खरीदती थी चाहे तौल की जाय या न की जाय, इसका कोई प्रबंध नहीं था। लेकिन उसी समय में एक तरफ जहां किसानों की हिफ़ाज़त करने वाला कोई क़ानून नहीं था वहां दूसरी तरफ इंडस्ट्री को बचाने के लिये, मिल मालिकों को हिफाज़त के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिये प्रोटेक्शन बाहर से चीनी आने पर था। बाहर से कोई चीनी इस बाज़ार में नहीं बिक सकती थी और उसके ऊपर बड़ी लम्बी ड्यूटी लगा कर उस चीनी को मंहगा किया जाता था, ताकि वह हिन्दुस्तान की चीनी के मुक़बले में सस्ती न बिक पाये। यह मेरी राय नहीं है, शूगर टेरिफ़ बोर्ड जब कभी बैठा, सन् ३१ में बैठा, सन् ३७ में बैठा, सन् ४१ में बैठा, सन् ४७ में बैठा, फिर सन् ५० में बैठा, जब कभी भी बैठा उसने हमेशा इस बात की ताईद की और शिकायत भी की कि प्रोटेक्शन जो केंद्रीय सरकार देती थी उसका लाभ किसान को नहीं मिलता था हालांकि सरकार का इरादा यही था कि केन कल्टीवेटर को उसका फायदा पहुंचे ताकि वह खुशी से यहां पर ईख की खेती को बढ़ा सके और अच्छी खेती करे। ऐसी खेती करे जिसमें अधिक चीनी पैदा हो सके, अच्छे तरीके का गन्ना पैदा करे। लेकिन मिल मालिकों ने उसका बेजा फायदा उठाया और सन् ३८ तक उठाते रहे।

जब सन् ३७ में चुनाव हुआ और कांग्रेस सरकार स्थापित हुई तो उस जमाने में उसने इस बात को महसूस किया कि कोई ऐसा क़ानून बनाना चाहिये जिसके जरिये ईख के किसानों के हक़ की हिफाज़त की जा सके। उस वक्त एक और कानून बनाया गया जिसमें इस बात की गुंजायश की गयी कि कम से कम क़ीमत गन्ने की ज़रूर तय कर दी जाय और उस क़ीमत से कम पर किसी मिल मालिक को गन्ना खरीदने का अख्तियार न हो। उसके बाद यह भी सोचा गया कि वह मिल मालिकों की बात थी कि जब कम से कम क़ीमत की बात तय हो गयी तो फिर मिल मालिकों की तरफ से यह मांग की गयी कि हमको यह अधिकार होना चाहिये कि कुछ क्षेत्र हमारे लिये सुरक्षित कर दिये जायें और उस क्षेत्र में कम्पटीशन नहीं होने पावे ताकि वहां का गन्ना दूसरा मिल मालिक न खरीद सके। इससे यह होगा कि कम से कम क़ीमत पर गन्ना मिलता रहेगा और वहां के लोग दूसरी जगह जा कर अपना गन्ना नहीं बेंच सकेंगे। मिल मालिकों की मांग पर इस तरह का क़ानून बना और सुरक्षित और अभ्यर्थित नाम के क्षेत्र जिनकी चर्चा इस विधेयक में है बने। हर फैक्टरी के सात सौ, दो सौ, तीन सौ या चार सौ, या जितने भी गांव हों गन्ने के कर दिये गये हैं और अपना गन्ना उन्हीं फैक्टरीज में ले जाने के लिये मजबूर हैं। वहां के ईख उत्पादक किसी दूसरी फैक्टरी में अपना गन्ना ले जा कर नहीं बेंच सकते। उनको उसी फैक्टरी में बेचना होगा, और उसी क़ीमत पर बेचना होगा जो कि सरकार ने तय कर दिया है। हालांकि सरकार जो क़ीमत तय करती है वह क़ीमत इस प्रकार से तय करती है कि कम से कम क़ीमत तय करती है। अगर कोई मिल मालिक उसके लिये ज्यादा क़ीमत दे तो सरकार उसके रास्ते में कोई बाधक नहीं है लेकिन आज तक सन् ३७ से १५ साल का जमाना हुआ इस तरह की कोई बात नहीं हुई और सरकार ने जो क़ीमत तय कर दी उससे एक रत्ती, एक पाई भी ज्यादा क़ीमत किसी मिल मालिक ने किसी को नहीं दी। तो यह क़ानून उस जमाने में बना और उस कानून के बनने के बाद बराबर लगातार इस बात की चर्चा रही कि ऐसी क़ीमतों में जो बुनियादी खामियां थीं उनको दूर करना चाहिये था जिसकी तरफ माननीय उद्योग मंत्री जी ने इशारा भी किया। और उन खामियों की तरफ अध्यक्ष महोदय पिछले वर्ष हम लोगों ने भी, जिस वक्त कि इसका बहुत सा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर शुगर फैक्टरीज कंट्रोल ऐक्ट बना उस वक्त भी हम लोगों ने

कहा था और हम लोगों ने अफसोस जाहिर किया था और आज भी अध्यक्ष महोदय, इस बात पर सिवा अफसोस करने के और कोई दूसरा तरीका हमारे पास नहीं है।

यू० पी० गवर्नमेंट को चाहिये था कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश करती कि यह जो शुगर इंडस्ट्रीज हैं, अगर सच पूछा जाय तो यू० पी० और बिहार इन दोनों प्रान्तों की शुगर इंडस्ट्रीज को एक साथ रख दिया जाय तो जितनी चीनी हिन्दुस्तान में पैदा होती है उसका ७५ प्रतिशत चीनी इन्हीं दोनों प्रान्तों में पैदा होती है। और केवल यू० पी० को ही अगर ले लिया जाय तो सारे हिन्दुस्तान में जो आज १५१ शुगर फैक्टरीज चलती हैं उनमें ६६ शुगर फैक्टरीज केवल यू० पी० में ही चलती हैं। चाहे आप चीनी की पैदावार को ले लें, चाहे गन्ने की पैदावार को ले लें, कभी-कभी आधा और कभी-कभी आधे से ज्यादा गन्ना और चीनी सारे हिन्दुस्तान यहां पैदा होती है। हिन्दुस्तान का सब से बड़ा उद्योग टेक्सटाइल है और उसके बाद दूसरे नंबर का जो उद्योग है वह चीनी का ही है। और हमारे यू० पी० के लिये सब से बड़ा उद्योग चीनी का है। तो ऐसे कानून में १५ वर्ष के भीतर बराबर कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहे हैं, केन कमिश्नर साहब की तरफ से कुछ हुक्म जाते रहे हैं और उसका काम भी थोड़ा बहुत चलता रहा है लेकिन इस कानून में तब्दीली नहीं हुई है जिससे बड़ा नुक्सान हुआ है।

जैसा कि माननीय उद्योग मंत्री जी ने कहा "देर आयद दुरुस्त आयद" यह सही बात है, लेकिन मैं उनकी जानकारी में दो एक बात लाना चाहता हूं। उतनी देर में हुआ क्या? पुरानी बात को कह कर मैं उनकी याददाश्त को तकलीफ नहीं देना चाहता। इतना जरूर कहूंगा कि पिछले वर्ष जितना गन्ना हमारे प्रदेश में पेरा गया उतना गन्ने की हिस्टरी में शायद ही कभी पेरा गया होगा। २४ करोड़ मन गन्ना पेरा गया और इतना गन्ना पेरे जाने पर भी, अध्यक्ष महोदय, आंकड़े तो मुझे बिल्कुल ठीक १६ आने याद नहीं हैं लेकिन इस विधान सभा में बहुत मुश्किल से एक सवाल के उत्तर में यह मालूम हुआ था कि सितम्बर के महीने में ९ करोड़ रुपया किसानों का बाकी था मिलमालिकों के ऊपर, और ४ करोड़ रुपये केनसेस के सरकार के बाकी थे। पिछले वर्ष कुछ करोड़ रुपये रिजर्व फंड से निकाल कर सरकार को खर्च करने पड़े थे लेकिन दूसरी तरफ ३ करोड़ ९० लाख रुपये कुल के कुल सितम्बर तक वसूल नहीं हो पाये। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे याद है इन १३ करोड़ रुपयों में से कुछ रुपये इस समय तक भी बाकी हैं। कुछ फैक्टरियां ऐसी हैं जिनके जिम्मे केनसेस और गन्ने के दाम दोनों बाकी हैं। मैं उनका नाम रख कर बहुत ज्यादा तकलीफ तो नहीं बढ़ाना चाहता लेकिन एक आध का नाम न रखूं तो उनकी बड़ाई नहीं होगी क्योंकि हमारी सरकार की वे बड़ी लाड़ली हैं। माननीय श्रम मंत्री जी तो बहुत लाड़ प्यार करते हैं।

श्री हुकुम सिंह—हम भी करते हैं।

श्री गंदासिंह—आप कुछ कम करते हैं, मुझे मालूम है। अध्यक्ष महोदय, कल भी मैंने कठकुइयां मिल का नाम लिया था जिसने पूरे सीजन में एक पैसा भी नहीं दिया। उसके कंट्रोलर बड़े नामवर आदमी रुद्र प्रताप सिंह जी हैं। पिछली मर्तबा एक सवाल हम लोगों ने किया था कि रुद्र प्रताप सिंह जी पिछले दो तीन वर्षों से कंट्रोलर रहे हैं, तो उन्होंने कितना काम किया है और आगे भी क्या उनको कंट्रोलर बनाया जायगा? माननीय श्रम मंत्री जी ने उत्तर में कहा था कि दो वर्ष के भीतर कुछ घंटे वह फैक्टरी के भीतर गये और दूसरों के नाम पर कुछ हजार रुपये भी ले लिये तब यह सवाल कैसे पैदा हो सकता है कि आगे भी उनको कन्ट्रोलर बनाया जायगा। लाड़ प्यार की भी एक सीमा होती है लेकिन शायद वह मामला उस सीमा तक नहीं गया और अंत में उस भले आदमी ने हम लोगों की भी पीठ लगा दी। हमने बड़ी ऐड़ी करके पसीना बहाया और माननीय उद्योग सचिव और श्रम सचिव के दरबार को खन डाला और यह कहा कि यह फैक्टरी कोआपरेटिव फेडरेशन को दे दी जाय, लेकिन माननीय उद्योग सचिव ने कहा कि विधान में कहीं ऐसा नहीं है कि कोआपरेटिव फेडरेशन फैक्टरीज चला सके और साथ ही उन्होंने एक बड़े आदमी की

[श्री गेंदा सिंह]

चर्चा की, उसकी राय में कोआपरेटिव फेडरेशन द्वारा फैक्टरीज नहीं चलाई जा सकतीं। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं उस बड़े आदमी के पास गया जिसकी चर्चा माननीय उद्योग सचिव ने की थी। मैंने कहा, कहिये साहब आपने कोई ऐसी सलाह दी है ? उन्होंने कहा नहीं, बल्कि उन्होंने उलटी सलाह दी कि कोआपरेटिव फेडरेशन के द्वारा फैक्ट्रीज चलाई जा सकती हैं। इसी कोआपरेटिव फेडरेशन के मौजूदा विधान के ही अन्दर। मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अध्यक्ष महोदय, एक महोदय को बुला कर, इसी सभा में यहां कहा गया, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि एक व्यक्ति को इस तरह उसी का डिपार्टमेंट धोखा देगा। तो यह एक फैक्टरी की मैंने चर्चा की। आज १७ लाख रुपये गन्ने का दाम बाकी है, और ४ लाख रुपये के करीब केनसेस बाकी है और दो लाख रुपये के करीब उसके ऊपर मजदूरों की मजदूरी बाकी है।

श्री हुकुमसिंह---श्रीमन्, मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि क्या मेरे मित्र इस बिल के सम्बन्ध में बयान कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---आपको बिल के सिद्धान्तों के बारे में कहना चाहिये। बहुत अधिक डिटेल्स में नहीं जाना चाहिये।

श्री गेंदासिंह---मैंने तो एक ही का नाम लिया। अब मैं और किसी का नाम नहीं लूंगा, वैसे तो मैं बहराइच के बारे में भी कह सकता हूं। नारायण दत्त जी के इलाके में भी गया लेकिन अब मैं नाम नहीं लूंगा और यहीं पर रोक देता हूं। तो पिछला कानून जो आपका था और जो "देर आयद दुरुस्त आयद" माननीय मंत्री जी ने कहा है उसका मैं उत्तर दे रहा था कि देर आयद में तो लोगों की जान निकल गई, दुरुस्त काम नहीं हुआ बल्कि काम गड़बड़ हुआ। १३ करोड़ रुपया पिछले साल का बाकी रहा और मालूम नहीं उन १३ करोड़ से उन लोगों ने बैंक से कितना फायदा उठाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पारसाल जून के महीने में आपकी आज्ञा से हम लोगों ने कहा था कि शुगर फैक्टरीज कंट्रोल ऐक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिये। उसी वक्त हमने खतरा बतला दिया था कि करोड़ों रुपया गवर्नमेंट का, जिसमें केसेस भी है, बाकी पड़ा हुआ है। जल्दी इस विधेयक को लाइये, ताकि उसके जरिये से कुछ अख्तियारात मिल सकें, ताकि जल्दी से जल्दी उनसे पैसा वसूल किया जा सके। लेकिन जून के बाद सितम्बर में एक कमेटी बैठी और उसकी एक कमेटी में मैं भी माननीय उद्योग मंत्री जी की कृपा से था। उसमें यह बात तय हो गयी थी कि यह विधेयक अक्तूबर के महीने में जरूर आ जायगा और अक्टूबर में पास होकर दूसरे सदन में पास होने के लिये जायगा और वहां से लौटने के बाद गवर्नर साहब का असेंट मिल जायगा ताकि पिछले साल ५२-५३ में सीजन के पहले लागू हो जाय। लेकिन बार-बार तकाजा करने के बाद और बार-बार सरकार के सामने उसका ही नुक़सान लाने के बाद भी यह विधेयक नहीं आया। लेकिन आज हमने खुशी इसीलिये जाहिर की कि हमारे पास तो सिवाय एक रोना रोने के और क्या है, लेकिन बड़ी मेहरबानी उद्योग मंत्री जी ने इस वक्त की कि इस विधेयक को इस सदन के सामने ले आकर आज रखा और आज इस पर चर्चा करने की नौबत आई है और आज हमारे माननीय सदन के सदस्यों को अपने प्रदेश की मुसीबत को जानने का मौका मिला है।

जब हम अध्यक्ष महोदय, मुसीबत की बात कहते हैं तो यह कहा जाता है कि हर वक्त हम मुसीबत की बात ही लेकर आते हैं। लेकिन हम क्या करें। सारी मुसीबत की जड़ तो वहां बैठी हुई है। हम मुसीबत का नाम न लें तो क्या करें ? इस वक्त भी जो 'देर आयद दुरुस्त आयद' की बात की जाती है, तो इस वर्ष भी गन्ना काफी ज्यादा पेरा गया। अकेले देवरिया में तीन करोड़ मन गन्ना पेरा गया। सारे प्रदेश में २०, २२ करोड़ मन गन्ना पेरा गया जिसमें से तीन करोड़ मन केवल देवरिया में ही पेरा गया है और इस तीन करोड़ मन में भी एक करोड़ रुपया उसकी कीमत में से मिल बन्द होने के बाद बाकी रह

गया है। तीन करोड़ मन गन्ने की कीमत ४ करोड़ रुपये के करीब होती है। एक रुपये पांच आने मन के हिसाब से कुछ ज्यादा होती है, लेकिन मैंने सीधे-सीधे ४ करोड़ रुपया रखा और उस चार करोड़ रुपये में से एक करोड़ रुपया जिस वक्त मिल बन्द हुई उस वक्त बाकी रहा था। और इस वक्त अध्यक्ष महोदय, मैं एक्जैक्ट फिगर्स तो नहीं बता सकता, लेकिन तब भी ६० लाख रुपया इस वक्त बाकी है। इस बात के लिये माननीय उद्योग मंत्री ने बहुत डंडा चलाया, बड़ी तेजी उन्होंने की, बड़े सरक्यूलर गये, जल्दी से जल्दी की गयी, लेकिन अभी तक ६० लाख बाकी रह गये। वे हैं भी बड़े लाड़ले, आज भी वे टस से मस नहीं होते। असेम्बली में उनका नाम लिया जाता है तो उनको बड़ा गर्व होता है कि उनकी चर्चा तो होती रहती है, बराबर हुआ ही करती है इसलिये वे किसी बात की परवाह नहीं करते हैं। इधर आज जिस इलाके में गन्ने का पेमेंट बाकी है उसी इलाके में मालगुजारी के लिये वारंट जारी हो रहे हैं, मालगुजारी के लिये गिरफ्तारियां होती हैं। कलेक्शन मशीनरी उनकी कमर में रस्सी बांध कर बाजार-बाजार में बंदर की तरह घुमाती है। आज वहां की बड़ी खराब हालत है, किसी को यह गारंटी नहीं कि यह रुपया मिल भी जायगा। वह रुपया तो बाकी है ही, सरकार का भी रुपया बाकी है।

अब आज जो विधेयक बन रहा है उससे हम यह आशा करते हैं कि गन्ने की कीमत ठीक वक्त पर मिल जाया करेगी, एक धारा इसमें इस बात की भी रखी गयी है। पहले बहुत जोर इस बात पर दिया जाता था और मिल मालिक पर नान पेमेंट का मुकदमा चलाना होता था तो पहली दिक्कत यह पड़ती थी कि मुकदमा चलाने का अधिकार कलेक्टर को था इसलिये कलेक्टर को जब तक यह संतोष न हो जाय कि नान पेमेंट जानबूझ कर हुआ है तब तक कोई मुकदमा ही नहीं चल सकता था। इस बात को मैं आपकी जानकारी में इसलिये लाया हूं कि आपकी तरफ से जो आदमी बदइंतजामी को निकाल कर इंतजाम करने के लिये रखे गये हैं वे कलेक्टर्स इतना रुपया बाकी रह जाने पर भी यह नहीं समझ पाये कि नान पेमेन्ट हो रहा है और यह कि उन पर इसका मुकदमा चलाया जाना चाहिये। जब बहुत शोर गुल किया गया चिट्ठी लिख कर उनसे पूछा गया और कहा गया कि प्रोसीक्यूशन किया जाय तो मालूम हुआ कि कुछ केसेज प्रोसीक्यूशन के लिये भेज दिये गये हैं। और आज तक वह जो रुपया हजम करने वाला आदमी है, लखनऊ में, हजरतगंज में टहलता है, रोज सिनेमा देखता है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर समन तामील ही नहीं होती। मुझे उनका घर भी मालूम है, २ दिन के अन्दर उनका समन तामील करा सकता हूं। लेकिन मालूम नहीं अब तक उन पर तामील क्यों नहीं हो पा रही है। अब हम इस कानून की ओर बड़ी उत्सुकतापूर्वक देख रहे हैं। अब जुर्माने की सजा ही उनके लिये काफी नहीं होगी ऐसा समझा गया है। वे समझते हैं कि १० हजार रुपया अगर जुर्माने का दे दिया और लाखों रुपया उससे फायदे का हो गया तो कुछ बात नहीं और दूसरी तरफ जिनकी कीमत बाकी है, उनकी कमर ही टूट जाती है। इसलिये कानून में यह रखा जाय कि जो लोग नान पेमेंट में पकड़े जावें वे खुद अदालत में हाजिर हों। इस कानून के पास हो जाने के बाद उद्योग मंत्री जी यह आदेश मैजिस्ट्रेटों को भेज दें कि जो लोग नान पेमेंट में आये उनका वारंट गिरफ्तारी जारी किया जाय और उनको बजरिये वकील पैरवी करने की इजाजत न दी जाय।

अभी यह कहा जायगा कि यह तो कण्टेंप्ट आफ कोर्ट का मामला है, गवर्नमेंट जुडीशियल फैक्शन्स में गड़बड़ी नहीं कर सकती। इसलिये हम ऐसी चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं। तो आज इस बिल के लिये मौका था कि इस कानून के अन्दर इस बात की गुंजायश कर दी जाती कि जो नानपेमेंट करेगा उसकी नानपेमेंट करने के लिये परसनल अपीयरेंस जरूरी होगी। जो मिल के आकुपायर हैं या अध्यासी हैं, उनके लिये जरूरी होगा कि वह वहां उपस्थित हों। अगर उनके लिये मजबुरी कर दी जाय कि वह वहां पर हाजिर हों तो यह करने का मौका है। अगर ऐसा कर दिया जाय तो अच्छा है। तो यह शिकायतें जो सरकार के पास होती हैं वह शिकायत भी नहीं होने पायेंगी। उनको खुद इस बात की फिक्र होगी कि वह अदालत में जाकर खुद उपस्थित

[श्री गेंदा सिंह]

हों और हाजिर हों। ऐसे तो वह जुर्माने अदा कर देते हैं। मगर जब हाजिर होने की बात रख दी जायगी तो उनको मजबूरी की हालत में अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। कानून में इतना लिखने से काम नहीं चल सकता है कि मिल का जो प्रबन्धक होगा वही आकुपायर का स्थान ग्रहण करेगा। तो उस हालत में जुर्माना तो अदा कर ही दिया जाता है अगर मैनेजर की जेलखाने जाने की नौबत भी आयेगी तो यह भी होगा कि वह प्रबन्धक जेलखाने चला जायगा और उसका एक हजार रुपया महीने उसको मिलता रहेगा। अगर ऐसा है तो मैनेजर और आकुपायर दोनों के लिये ऐसा कर दिया जाय कि दोनों को मजबूरन अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। ऐसी हालत में अगर वह अपनी तरफ से मैनेजर को मुकर्रर करता है तो वह आकुपायर भी पकड़ लिया जा सकता है। अगर इस तरह से दोनों के लिये कुछ इन्तजाम रख दिया जाय तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि शुगर इंडस्ट्री की हालत बदल जाय। लेकिन इस बिल के अन्दर ऐसा नहीं किया है तो फिर किस तरह से इस बिल के द्वारा हमारे मजदूरों की और किसानों की रक्षा की जायगी। इस विधेयक में प्रासीक्यूशन उस समय तक नहीं हो सकता, जब तक कि कलेक्टर प्रासिक्यूशन न करे। दर्द कहीं पर है और दवा किसी दूसरी जगह को की जा रही है। मुसीबत हमारी है और यह अधिकार कलेक्टर को दिया जा रहा है कि वह प्रासिक्यूशन करे। हमारे जिले के अन्दर जो कोई कलेक्टर जाते हैं.....

श्री अध्यक्ष—इसका रिफरेंस दीजिये कि यह कहां पर है।

श्री गेंदासिंह—इस विधेयक की धारा १९ को अगर देखा जाय तो वहां पर यह दिया हुआ है कि—

"१९—(१) जब किसी फैक्टरी का अध्यासी कोई भी फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य समवाय (एसोसियेशन) हो, तो उसके साझेदारी अथवा सदस्यों में से किसी भी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अधीन उन अपराधों में से किसी के लिये भी, जिसके लिये फैक्टरी का अध्यासी दंडनीय हो, अभियोग चलाया जा सकता है तथा उसे दंड दिया जा सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि फर्म अथवा समवाय (एसोसियेशन) कलेक्टर को इस बात की नोटिस दे सकती है कि उसने अपने किसी एक सदस्य को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये फैक्टरी का अध्यासी नामांकित किया है और ऐसा व्यक्ति तब तक इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अध्यासी समझा जायगा जब तक कि उसके नामांकन के निरसन की नोटिस कलेक्टर को प्राप्त न हो जाय अथवा जब तक फर्म अथवा समवाय में उसकी साझेदारी अथवा सदस्यता समाप्त न हो जाय।"

श्री अध्यक्ष—क्या कलेक्टर ही कर सकता है? मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री गेंदासिंह—धारा १६ (१) में यह दिया हुआ है कि "फैक्टरी का अध्यासी कलेक्टर के सन्तोषानुसार गन्ने के मूल्य के भुगतान की उपयुक्त व्यवस्था करेगा।" उसी धारा में उपधारा (३) को देखा जाय। उसमें है कि "जब उपधारा (२) के अधीन उत्तरदायी व्यक्ति गन्ना पाने के दिनांक से १५ दिन से अधिक अवधि तक मूल्य की अदायगी न करे तो वह बाकी के दिनांक से साढ़े सात प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज भी देगा, किन्तु प्रत्येक मामले में गन्ना कमिश्नर राज्य सरकार की स्वीकृति से यह आदेश देगा कि कोई भी ब्याज न दिया जायगा अथवा उस कम की हुई दर से दिया जायगा जिसे वह निश्चित करे।" तो एक तरफ तो यह कहना कि हम तो अब जिनका गन्ना है या जो गन्ने की कीमत पाने के अधिकारी हैं, उनको अधिकार दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके अधिकार को छीना भी जा रहा है। उसको आप क्यों नहीं अधिकार देते हैं कि अगर

उसकी क़ीमत पाने को रह गई है तो उनके जो संगठन हैं जैसे केन ग्रोअर्स कोआपरेटिव सोसाइटी वगैरा वह इसका इन्तजाम करें और यत्न करें या अदालत में जायं और उनके लिये खुली छूट हो कि वह प्राजिक्यूट करा सकें।

बिल में शब्द हैं कि अब की मर्तबा काफी तब्दीली की गई है और बजाय साढ़े सात सौ रुपये के जुर्माने के उसमें ६ महीने की सजा की भी गुंजायश कर दी गई है लेकिन उसमें भी मजिस्ट्रेट को डिसक्रिशनरी पावर दी गई है कि वह चाहे तो सजा जेलखाने की दे या ५,००० रुपया जुर्माना करके छोड़ दे। क़ानून में यह स्पष्ट होना चाहिये कि उस मजिस्ट्रेट को जेलखाने की सजा को सजा अवश्य ही देनी है। उसकी व्यक्तिगत हाजिरी जरूर होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर इस बात को गुंजायश माननीय उद्योग मंत्री जी करें तो "इफ" व "बट" को कोई जरूरत न पड़ेगी और उस हालत में हम भी उसका पूरे दिल से समर्थन कर सकते हैं। पहले तो यह भी इसी राय के थे, लेकिन मालूम नहीं कि अब उनकी राय कैसे बदल गई कि यह इस तरह का मसविदा आया है। कलेक्टर की बात अगर वह जरा और स्पष्ट कर दें तो अच्छा है।

धारा २१ की उपधारा (१) में माननीय उद्योग मंत्री यह अधिकार दिलाना चाहते हैं कि "उस अधिनियम के अधीन कमिश्नर अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा उनके अधिकार के अधीन परिवाद किये बिना कोई अभियोग निवेशित नहीं किया जायगा।" इसके देखने के बाद कोई शक नहीं रह जाता है कि बेचारे कलेक्टर को या तो इतना अधिकार माननीय उद्योग मंत्री जी देना चाहते हैं कि जिसे ओपिन हैंड कहते हैं। देवरिया जिले के कलेक्टर या मेरठ या मुजफ्फर नगर जिले के कलेक्टर की हैसियत से मालूम तो होगी नहीं। उन करोड़पतियों के दरबार से कलेक्टरों को हमारी बात सुनने की कहां फुरसत मिलेगी। ऐसी दशा में वह गन्ने के दाम और केन सेस बाकी रखेंगे और किसानों को अंगूठा दिखावेंगे, किसान बेचारे कलेक्टर के सामने कहां पहुंच पावेंगे और वह करोड़पति लोग वहां दरबार करते रहेंगे और इस तरह कलेक्टर किसानों को मौक़ा ही नहीं देगा कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जाय। हम किसी की नियत पर शक नहीं करते लेकिन हमारा जो आज का तजुर्बा है उसी के आधार पर हम कहते हैं। आखिर क्या कारण है कि ६० लाख रुपया आज देवरिया जिले में बाकी है? क्या जिन पर रुपया बाकी है उनके लिये आथोराइज्ड कंट्रोलर यू० पी० सरकार ने मुक़र्रर नहीं कराये थे? कि इन्हीं को आथोराइज्ड कंट्रोलर बना दिया जाय। तो उत्तर प्रदेश की सरकार की काबलियत पर कैसे इस वक्त हमला किया जाय जो ६ करोड़ ३० लाख लोगों की तरफ से उनके ऊपर शासन करने का दावा करती है। उसको कैसे कह दें कि नालायक है, उसने जिस समय आथोराइज्ड कंट्रोलर बनाया उस समय अपनी अक्ल का उपयोग नहीं किया। मैं एक बात कह सकता हूं। उस वक्त, उसकी अक्ल कहीं दूसरी जगह थी, उसका विवेक कहीं दूसरी जगह था क्योंकि जिसको मुकर्रर किया, उनको मुकर्रर करने से पहले जानते थे और उन्हीं व्यक्तियों ने सरकार को बीच धर में डुबोया। इसलिये मैं कहता हूं कि इस तरह का प्राविजन कानून में रख कर फिर आगे के लिये हम खतरा पैदा करते हैं और इस कानून से हम उनका भला नहीं कर सकते हैं।

यह दो तीन धाराओं का बयान हमने आपके सामने किया कि उनका क्या परिणाम होगा।

उसी प्रकार से मैं आपसे शुगर कंट्रोल बोर्ड के बारे में कहना चाहता हूं। शुगर कंट्रोल बोर्ड बनाया जायगा। शुगर कंट्रोल बोर्ड पिछले ऐक्ट के रूल्स के मातहत भी बनाया गया। वह दो वर्ष के लिए बनता था। उसके बाद फिर नया कंट्रोल बोर्ड बनाया जाता था। लेकिन उसको तोड़ने का अधिकार केन कमिश्नर या सरकार को नहीं था। वह तो कलेक्टर द्वारा नामांकित होता है। उसको तोड़ने की जरूरत इस बार सरकार ने समझी है। मैं समझता हूं कि खौफ है कि हमारी बांह भी हमारा साथ नहीं दे रही है। नहीं तो और क्या है? जब नामांकित किया जायगा तो फिर

[श्री गेंदा सिंह]

तोड़ने की बात कैसी आ गयी। और यह भी नहीं बताया गया है कि क्यों तोड़ दिया जायगा। अगर शुगर कंट्रोल बोर्ड गन्ने की पैदावार बढ़ाने में नाकामियाब रहा, उसने कोष का दुरुपयोग किया। अगर वह ऐसा करता तो तोड़ दिया जाता। लेकिन कोई बात कहते तो आखिर। शुगर कंट्रोल बोर्ड को कीमत तय करने का अधिकार तो नहीं था। लेकिन वह सलाह दिया करता था। केन्द्रीय सरकार उस सलाह को मानती या न मानती, लेकिन कम से कम शुगर कंट्रोल बोर्ड में जिसमें हमारे उद्योग मंत्री जी होते, माननीय कृषि मंत्री जी होते, कुछ और लोग भी होते और उनके सामने पूरे सूबे की हालत रखी जाती। वह बोर्ड अपनी एक सलाह दे सकता था। लेकिन आप कसम क्यों खा रहे हैं कि गन्ने की कीमत के बारे में बोलेंगे ही नहीं। अगर नहीं बोलेंगे तो यह उद्योग चल ही नहीं पायेगा, जैसा कि हमको डांट दिया गया कि कीमत का नाम न लो। अगर हम कीमत का नाम न लें तो जियें कैसे? मैं फिर उनसे निवेदन करूंगा कि शुगर कंट्रोल बोर्ड को गन्ने की कीमत तय करके केन्द्रीय सरकार को सलाह देने का अख्तियार जरूर दिया जाय। एक छोटी सी परिषद् हर मिल के क्षेत्र में बनती है। जहां से गन्ना खरीदा जाता है। वह परिषद् अध्यक्ष महोदय पहले भी थी। कानून में वह काउंसिल तो नहीं थी लेकिन एक हुक्म के जरिये हर क्षेत्र में एक काउंसिल बना दी गयी थी। उसके सभापति को नामांकित करने का अधिकार केन कमिश्नर को था। दो मेम्बर मिल की ओर से और दो मेम्बर उत्पादकों की ओर से होते थे। मिल के मेम्बरों को भी नामांकित करने का अधिकार केन कमिश्नर को नहीं था और न ईख उत्पादक की तरफ से उनको नामिनेट करने का अधिकार था। मैं आपकी जानकारी के लिए यह कहना चाहता हूं कि सारे प्रदेश में हर मिल के क्षेत्र में एक केन ग्रोअर्स कोआपरेटिव सोसाइटी बनी थी। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें न बनी हो वरना हर मिल के क्षेत्र में बनी थी। जहां तक मेरी जानकारी है एक दो मिल ही रह गये होंगे, जहां ऐसी सोसायटी न बनी हो। अब उसकी एक रिप्रेजेंटेटिव बाडी है और उसका डेमोक्रेटिक तरीके पर एक कांस्टिट्यूशन है। उसका प्रयोग चाहे कुछ गलत होता हो लेकिन फिर भी उसमें सुधार की गुंजायश है। तो क्या बात हो गयी कि उस केन ग्रोअर्स सोसाइटी से जो प्रतिनिधि आते थे, कौंसिल में उसके अधिकार भी उद्योग मंत्री जी छीन रहे हैं। वह फरमा रहे हैं कि अब केन कमिश्नर ही जो उस बाडी के दो रिप्रेजेंटेटिव होते थे उनको नामिनेट करेंगे। फैक्टरीज वालों की तरफ से भी नामिनेट करेंगे, सभापति भी नामिनेट करेंगे और कोई अधिकारी भी जो रखना होगा वह भी नामिनेट करेंगे। तो मैं कहता हूं कि यह दुनिया भर की बात कहने की जरूरत नहीं। एक केनकमिश्नर साहब को खुदा मियां की ताकत देकर यहां सूबे में बैठा दिया जाय और उनको सारे अख्तियार दे दिये जायं कि सारे काम करें।

मेरा अनुभव यह है कि पिछले जमाने में, मैं किसी व्यक्ति के प्रति कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन केन डेवलपमेंट का जो काम रहा है वह पिछले चार-पांच वर्षों में इतना भ्रष्ट और खराब रहा है कि उस पर किसी केन कमिश्नर को क्रेडिट नहीं किया जा सकता, उसका कोई श्रेय नहीं कहा जा सकता, पैदावार को बढ़ाने में या ईख के व्यापार को तरक्की देने में। इसलिये मैं नहीं कह सकता कि माननीय मंत्री जी और हमारी सरकार कोई ऐसा केन कमिश्नर लाकर रखेंगे जिसके पास कि ईश्वरीय ताकत हो। उसको ईश्वरीय ताकत क्यों दी जाय? गलती होती है तो होने दीजिए। उसके हाथ में इतनी ताकत रखते हुए भी नामिनेट तो कमिश्नर करेगा लेकिन उसमें भी यह लिखा हुआ है कि उस कौंसिल की मियाद ३ वर्ष की होगी लेकिन ३ वर्ष के भीतर जब चाहे कमिश्नर उसको तोड़ सकता है। यह नहीं लिखा हुआ है कि क्यों तोड़ेगा। मैं इससे ऐग्री करता हूं, बिल्कुल मैं सहमत हूं, अगर माननीय उद्योग मंत्री जी ऐसा मान जायं कि उस परिषद

का काम है कि गन्ने की उपज को बढ़ाये । अगर गन्ने की उपज को कौंसिल नहीं बढ़ाती है तो उसे तोड़ दिया जाय। तीन वर्ष की मियाद या दो वर्ष तक उसे दिया जाय। अगर वह सफल न हो या कोष का दुरुपयोग करे, इन दो सूरतों पर उस परिषद् को तोड़ने का अधिकार केन कमिश्नर को रहे, सरकार को रहे कि मैजारिटी से उसको डिजाल्व कर दे। ऐसा क्यों न रखा जाय? मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता कि माननीय उद्योग मंत्री जी आगे इस बात का सुधार नहीं करेंगे। सम्भव है यह बात उनके समझने में या याददाश्त में न आई हो। अगर यह बात उनकी समझ में आ जाय तो इस मुहकमे में सुधार की गुंजायश हो सकती है।

उपज बढ़ाना इस विधेयक का एक अंग है। सबसे बड़ा अंग मैं उसी को मानता हूं। बिक्री वाला अंग जो, अध्यक्ष महोदय है वह तो जब गन्ना पैदा होगा तो बिकेगा। पिछले जमाने में और पिछले वर्ष में बड़ी भारी गलती हुई है कि कानून के मुताबिक यह जो केन डेवलपमेंट का मुहकमा बनाया गया इस मुहकमे ने बड़ी गैर जिम्मेदारी का काम किया। सब से बड़ी बेसिक गलती जो यह मुहकमा करता है वह यह कि वह खरीद बिक्री से ताल्लुक रखता है। और यह अन्दाजा नहीं करता है कि कितना माल उसके पास है। बाजार में कितना माल ले आना है, जिस व्यापारी को यह खबर न हो कि उसके पास कितना माल है, वह भला बाजार को क्या रेगुलेट कर सकता है, आज तो सप्लाई और डिमांड का मसला है। सप्लाई अगर बढ़ी, डिमांड कम हो गई, कीमत कम हो गई। सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ गई, कीमत बढ़ गई। यह भी तो एक बड़ा भारी फार्मूला है बाजार को रेगुलेट करने का। रोज फंलचुएट बाजार करता है इसी बुनियाद पर। हमारे सूबे में पिछले वर्ष यह हुआ, हमेशा हुआ है कि जो केन डेवलपमेंट का सरकारी मुहकमा है, उस मुहकमे का जो सुपरवाइजर है, वह सितम्बर के महीने में जा करके गन्ने का अन्दाजा लगाता है, खेतों में खड़े होकर कि फलां खेत में कितना गन्ना है। कामदार और सुपरवाइजर, बदकिस्मती से मुझे उनके खिलाफ कहना ही पड़ रहा है कि वह इस बात की कोशिश नहीं करते कि सही अन्दाजा निकाला जाय और इसका परिणाम यह होता है और कभी तो यह भी हुआ है अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह बात लाना चाहता हूं कि जिस केन कमिश्नर के ऊपर माननीय उद्योग मंत्री जी को बड़ा भरोसा है उस केन कमिश्नर के दफ्तर से यह लिखकर भेज दिया जाता है कि तुम इतने सौ मन फी एकड़ से ज्यादा अन्दाजा न लगाना। तो अध्यक्ष महोदय, यह बतावें आप, कि फिर यह अन्दाजा क्या रहा। ऐसे सर्कुलर्स जारी हुए हैं और इसका परिणाम यह हुआ है कि किसी फैक्टरी के इलाके में जिसमें ३० लाख मन गन्ना था उसका २० लाख मन, १५ लाख मन, २५ लाख मन अन्दाजा कर दिया गया और जब अन्दाजा इतना कर दिया गया तो उसी हिसाब से सूचना मिलती रही, यूनियन को जो वहां पर केन ग्रोअर्स कोआपरेटिव सोसाइटी है कि इतने दिन सीजन चलना है इतने दिन के अन्दर, था तो ३० लाख मन, अन्दाजा हुआ २० लाख मन का, १०० दिन में उसको बांट दिया और १०० दिन में कहा कि २० लाख मन तुम्हारा हम ले लेंगे और १० लाख मन वाले मारे-मारे फिरते हैं। एक किसान का ५०० मन है, उसका ३०० मन लिख दिया जाता है। ३०० मन को १०० परसेंटेज में बांट दिया गया तो वह २०० मन का कोई हिसाब ही नहीं रहता उसके लिये। वह चाहे तो दूसरी फैक्टरियों में जाय या चाहे तो वह कोल्हू चलाने की कोशिश करें और या चाहे तो वह फिर कामदार और सुपरवाइजर के सामने रुपया हाजिर करें कि इतने मन हमारा ले लिया जाय। पिछले वर्ष पश्चिमी जिलों में बिल्कुल यही हुआ और मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर सहारनपुर, इन जिलों को सब से ज्यादा भुगताना पड़ा। जिस गन्ने की कीमत एक रुपया दस आना मन थी, वही गन्ना पौने आठ आने मन पर किसानों को बेचना पड़ा। कहा जायगा, उत्तर यह दिया जायगा कि यह हमने बड़ी मेहरबानी की कि उनका गन्ना पेरवा दिया लेकिन वह यह कबूल नहीं करते कि गल्ती किसकी थी। सहारनपुर के

[श्री गेंदा सिंह]

जिले में तो ७ जुलाई तक फैक्टरियां चलती रहीं और ७ जुलाई तक जब फैक्टरियां चलीं तो वहां फैक्टरी वालों ने यह कहा कि अब तो साहब, हम अपना कोटा पूरा कर चुके। नतीजा यह हुआ कि सरकार उनके सामने झुकी, और उनके सामने आत्मसमर्पण किया, अपना और काश्तकारों का आत्मसमर्पण किया कि जिस भाव से चाहो उस भाव से ले लो और पेर लो। जिसका नतीजा हुआ कि सरकार को मानना पड़ा कि रिकवरी बेसिस पर गन्ने का दाम मुकर्रर होगा और इस तरह से आठ आने मन पर वह गया।

मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे जिले की तीन फैक्टरियों में आज भी गन्ना पड़ा है, वह इसी कुकर्म का परिणाम है। साठ हजार मन गन्ना, खड्डा एक फैक्टरी है उसमें पड़ा है और एक लाख मन से कुछ ज्यादा गन्ना सिसवा बाजार में पड़ा है। इस तरह से दो फैक्टरियों में गन्ना पड़ा है इस वक्त। क्यों पड़ा है? माननीय उद्योग मंत्री के कान पर जूं नहीं रेंगी। अब जिसका गन्ना एक लाख मन खड़ा होगा, ६० हजार मन खड्डा में, अध्यक्ष महोदय, आप बतायें और समझें इस बात को, उसके कलेजे में क्या हालत होती होगी। तो यह केन डेवलपमेंट का काम है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाजार को अगर रेगुलेट करना है या गन्ने को विनियमन करना है, ठीक तरह से नियंत्रण करके पहुंचाना है मिलों तक तो उसका ठीक अन्दाजा किया जाय। उस ठीक अन्दाजा के लिये जो पहले हालत थी वही आज है। इसके लिये कोई ऐसी बात इस विधेयक में नहीं है कि जिससे यह गारंटी होगी कि अब आगे इस तरह की गलती नहीं की जायगी। इस तरह से उनको हिदायत दी जाती है। उनके कैरेक्टर रोल में एंट्री की जाती है। वे समझते हैं कि ठीक है कैरेक्टर रोल में एंट्री कौन देखता है, हमारा अगर चूने का मकान बन जायगा तो उसको दुनिया देखेगी और कैरेक्टर रोल की एंट्री कागज में रहेगी, उसको कौन देखेगा। तो यह मामला सुधरने वाला नहीं है। इस पर पुनः सोचा जाय और इसको दुरुस्त करने की कोशिश की जाय।

उपज बढ़ाने में बीज का, खाद का, पानी का और क्लाइमेट का बहुत बड़ा स्थान है। बीज के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जरूर यह कहना चाहता हूं कि हमारा यह अमली तजुर्बा है कि ऐपरूव्ड वेराइटी जो गन्ने की है वह ऐपरूव्ड वेराइटी के गन्ने की न देकरके, कई फैक्टरियां ऐसी हैं कि जो सरकार से स्वीकृत गन्ना नहीं है, उसको वे खुद बोती हैं और दूसरों से बोआती हैं। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने फैक्ट्री वालों को अनऐपरूव्ड गन्ने की खुद खेती करने के लिये सजा दी गयी। इस सम्बन्ध में यदि वे नाम जानना चाहेंगे तो मैं नाम बता दूंगा। तो इस बात का भी ध्यान रहना चाहिये। हमारे केन डेवलपमेंट के सेंटर खुले हुये हैं, एक शाहजहांपुर में है, कोयमबटूर में है, और देश में और जगहों में भी हैं लेकिन उसका ठीक उपयोग हो पाता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है।

पानी के सम्बन्ध में तीन-चार वर्ष पहले कोशिश की गयी थी कि जो मिलों के पास ट्यूबवेल्स हैं वे सीजन के दिनों में काम देते हैं, उनसे मिलों में सफाई के लिये पानी लिया जाता है, लेकिन जब गर्मी के दिन आते हैं, मिलें बन्द हो जाती हैं, उस वक्त वे ट्यूबवेल्स खाली रहते हैं, तो उन ट्यूबवेल्स के सम्बन्ध में हमने यह सुझाव दिया था और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न भी किया था कि उन ट्यूबवेल्स से क्या सरकार वहां के किसानों को पानी दिलाने का बन्दोबस्त नहीं करा सकती, कम से कम हजार-हजार या पांच-पांच सौ एकड़ सिंचाई हो जाय लेकिन यहां ऐसा पूंजीवाद का ढांचा है कि वे कहते हैं कि हमारा ट्यूबवेल पड़ा रहेगा, लेकिन हम उससे पानी निकाल करके किसानों को नहीं दे सकते। अब हमारी समझ में यह बात नहीं आयी कि उस ट्यूबवेल्स के पड़े रहने से क्या लाभ होता है। हम इसके लिये भी तैयार थे कि जिन किसानों के खेत में पानी दिया जाय उनसे किराया ले लिया जाय लेकिन फिर भी वे नहीं तैयार

हुये। दूसरी बात यह थी कि कुछ फैक्टरियों से यह कहा गया था कि वे कुछ ट्यूबवेल लगा दें, सरकार धीरे-धीरे उनको पैसा दे देगी, लेकिन क्या यह मालूम है कि कितनी फैक्टरियों ने ऐसा काम किया और सरकार की प्रार्थना पर ध्यान दिया। इस सरकार ने उनको केन के सेस में छूट दी। सेंट्रल गवर्नमेंट तो उनको सीधे वहीं से मनी-आर्डर भेजती है। किसी को एक लाख और किसी को दो लाख इनाम दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, अगर यह पूछा जाय कि सबसीडी के तौर पर उनको कितनी-कितनी रक़म मिली तो यह मालूम होगा कि कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं है जिसको एक लाख रुपये से कम मिला हो। सारी फैक्ट्रीज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसीडी दी कि तुमने बड़ा भारी बहादुरी का काम दिखाया, चीनी बहुत पैदा कर ली। इस प्रकार मिलों को सारे प्रोटेक्शन्स बाहर की चीनी से दिये जाते हैं और भीतर सारी रिआयत दी जाती है। किसानों से यह रिआयत दिलाई जाती है कि तुम अपना गन्ना किसी दूसरी फैक्ट्री के हाथ बेच नहीं सकते। तुमको बेंचना होगा उसी के हाथ, जो कीमत हम तय करते हैं उसी कीमत पर बेंचना होगा चाहे बाहर तुमको कोई कीमत मिले तुमको बाहर नहीं ले जाना होगा। गुड़ में तुमको चाहे कितनी कीमत मिले, लेकिन तुमको वैगन नहीं मिलते। पश्चिमी जिले मुजफ्फरनगर में हाथ रख कर रोते हैं क्योंकि जिस वक्त गन्ना खेत में खड़ा होता है उस वक्त रेलवे वैगन नहीं मिलते क्यों गुड़ तेज हो जायगा। हम कैसे कहें कि इसमें कुछ साजिश रहती है और वैगन न मिलने के बावजूद एक मर्तबा खुल्लम-खुल्ला यह बात आयी थी कि कोल्हू पर लाइसेंस लगा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष— जरा आप असंगत से हो रहे हैं। आप दूसरी तरफ जा रहे हैं।

श्री गेंदा सिंह— अब मैं अध्यक्ष महोदय, केवल इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि गन्ने की खरीद बिक्री का जहां तक संबंध है, इस खरीद के वक्त कितनी मुसीबतें हमारे सामने आ जाती हैं उनको मैं सदन को जनाना चाहता हूं कि हम गुड़ न बना पावें और वह हमारा सारे का सारा गन्ना फैक्ट्री के नाम पर ले आवें। मिल मालिकों को तो सुविधायें दी जाती हैं और इस विधेयक में भी उनको सुविधायें देने की बात है। माननीय उद्योग मंत्री जी ने कहा कि सूद की रकम दिलाने का बन्दोबस्त हमने कर दिया। लेकिन जो उन्होंने सूद दिलाने का बन्दोबस्त किया है वह अगर कलेक्टर साहब राजी हो गये तब तो सूद मिलेगा या केन कमिश्नर साहब राजी हो गये तब वह मिलेगा और कहीं अगर उन्होंने कह दिया कि बड़ा हार्ड जमाना है, बड़ा मुश्किल जमाना है, इस जमाने में ऐसा नहीं हो सकता, उनकी तो चीनी नहीं बिक रही है इसलिये सूद देने की कोई बात नहीं उठती तो एक सेंटेंस में ही सारा विधेयक पड़ा रह जायगा और अध्यक्ष महोदय, सारा मामला खत्म हो जायगा।

इसलिये मैं इस सदन का और माननीय उद्योग मंत्री जी का दो तीन बातों की तरफ-ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। वह यह कि गन्ने की उपज बढ़ाने के लिये कोई प्रभावकारी ढंग से काम किया जाय। इसमें सरकार ने एक चीज पर बहुत ज्यादा जोर दिया है कि गवर्नर महोदय को यह अधिकार होगा कि जो गन्ना मिल में जाकर बिके, उस गन्ने पर ४ आने मन वह अबवाब लगा सकें और एक आने मन वह सेल्स टैक्स लगा दें, इस तरह से यह ५ आने मन लगा दें। तो जितना इस विधेयक से हमको मिल नहीं रहा है उतना निकला चला जा रहा है। अब तक जो अबवाब लगा है वह तीन आने मन लगा है और सेल्स टैक्स अभी तक नहीं लगा हुआ है लेकिन इसके अर्थ हम यह न लगायें कि अब आगे ४ आने मन कनसेस लगेगा और एक आने मन सेल्स टैक्स भी लगेगा। यह दो ही तरफ जा सकता है या तो कन्ज्यूमर, चीनी खाने वालों के ऊपर डाला जाय या जो ईख उत्पादकों को कीमत मिलती है उसमें कमी की जाय। मिल मालिकों का मुनाफा कम होने वाला नहीं है क्योंकि जो पिछले वर्ष कीमत लगायी गयी उसमें मिल मालिक की तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया ज्यादा ध्यान हमारे ऊपर ही दिया गया। किसी का हिस्सा कम हुआ हो या न हुआ हो लेकिन १ रुपया

[श्री गेंदा सिंह]

१२ आना जो हम पहले पा रहे थे उसमें ७ आने मन कम हो गया और एक रुपया ५ आना पिछले वर्ष हो गया। न तो एक्साइज ड्यूटी सेण्टर की कम हुयी जो कि बहुत बड़ी रकम है और न यह तीन आने फी मन सेस जो पहले लगाया जाता था उसमें कमी हुयी बल्कि हमारे में ही से कमी हुयी। यह तो खुली हुयी बात है कि अगले वर्ष में, अगले सीजन में सरकार तीन आने के बजाय चार आने सेस लगाने जा रही है और एक आने मन सेल्स टैक्स जो अब तक नहीं लगा था उसको लगाने जा रही है। इसका मतलब यह है कि एक रुपये ५ आने जो आज कीमत है उसमें ५ आने कम हो जायंगे। फिर मैं कीमत की बात में उलझ गया। अध्यक्ष महोदय, मैं कीमत की बात में इसलिये उलझ गया कि यह जो ५ आने मन लगेगा उसका असर गन्ने की कीमत पर पड़े बिना नहीं रहेगा। इस विधेयक को हम पास करेंगे और कल केन्द्रीय सरकार गन्ने की कीमत तय करने बैठगी और वह कहेगी कि ५ आने मन केन सेस और सेल्स टैक्स इन दोनों के लिये निकाल दो और तब उसके बाद गन्ने की क़ीमत तय करो। तो या तो चीनी की क़ीमत बढ़ा दो या गन्ने की कम करो। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि केन सेस बढ़ाने की बात न कही जाय। यह केन सेस इसलिये लगाया गया था कि शुगर इंडस्ट्री को तरक्की दी जाय। शुगर टैरिफ़ बोर्ड ने कहा है कि सन् ५० के पहले १० करोड़ ७८ लाख रुपया यू० पी० ने केन सेस से इकट्ठा किया। उसमें से उसने खर्च कितना किया ईख के उत्पादन बढ़ाने में और शुगर इंडस्ट्री को डेवेलप करने में ? १ करोड़ ७२ लाख। इसके सामने बिहार में २ करोड़ से ज्यादा रुपया जमा किया गया और पौने दो लाख रुपया उसने ऊख की तरक्क़ी में खर्च कर दिया। १९५१-५२ और ५३ की फ़ीगर्स माननीय उद्योग मंत्री जी हमारे सामने रखेंगे कि कितना जमा हुआ और कितना इस उद्योग की उन्नति के लिये खर्च हुआ। क्या हम उम्मीद करें कि यह रुपया सड़कें बनवाने में, खेती को तरक्की देने में और बैलों के आराम के लिये खर्च किया जायगा? मैं उम्मीद नहीं करता। माननीय उद्योग मंत्री जी यह कहेंगे कि जो रुपया सरकार खर्च करती है वह तरक्की के कामों में ही खर्च करती है जब कभी भी टैरिफ बोर्ड बैठा उसने हमेंशा इस बात को कहा कि केन सेस को हटा दो। मैं टैरिफ बोर्ड के उस अंश को माननीय मंत्री जी की सेवा में पेश कर दूंगा। लेकिन बजाय हटाने के केन सेस को बढ़ाया जा रहा है तो मैंने यह सुझाव दिया है कि बजाय ३ आने के १ आना हो और वह और काम में न जाय। जिस उद्योग से सूबे के लोगों को इतनी बड़ी आमदनी हो उसी में यह खर्च करना चाहिये। सेल्स टैक्स लगाने का नाम नहीं लेना चाहिये। कानून में हम लोगों ने कुछ संशोधन पेश किये हैं और मैं समझता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री जी इस बात का ध्यान रखेंगे, और सदन से भी मैं यह अपील करता हूं कि मैं किसी पार्टी पालीटिक्स या और कारण से यह नहीं कह रहा हूं। मैं खुद गन्ना पैदा करने वाला किसान हूं और भुक्तभोगी हूं, और भी माननीय सदस्य ऐसे होंगे जो अपने तजुर्बे से हमको लाभ उठाने का मौका देंगे। मैंने यह सब इसीलिये कहा है कि इस उद्योग को उन्नति देने में, किसानों को मदद दिलाने में, चीनी सस्ती लोगों को पहुंचाने में मदद मिले और हिन्दुस्तान में कोई परस्पर विरोध न हो। हमारे ध्यान में यह बात है कि बम्बई में ३,५०० मन पैदा होता है तो हमें ३०० मन पर ही संतोष करके नहीं बैठना चाहिये।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--अध्यक्ष महोदय, जो बिल इस सदन के समक्ष उपस्थित है वह बहुत सीधा और सादा बिल है। इसके उद्देश्यों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि हम अपने प्रांत में जो कृषि-प्रधान प्रांत है और जिसमें विशेषतया किसान लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के वास्ते अगम समय में ईख की खेती करते हैं और जिससे ज्यादा कीमत मिलती है और कुसमय में जो ईख की उपज से सहारा होता है उसकी तरक्की कैसे और किन उपायों से की जाय इसका स्पष्टीकरण इस विधेयक में है इसके साथ-साथ गन्ना किस तरह सुगमता से इन फैक्टरियों में सप्लाई किया जाय इससे आगे बढ़कर कोई अन्य विशेष बात इसमें नहीं आती है जिसका जिक्र किया जा रहा है।

मेरे पहले मेरे भाई श्री गेंदासिंह जी ने विस्तारपूर्वक गन्ने की तरक्की के सिलसिले में अपना खास व्याख्यान दिया है। इसमें दो मत नहीं हो सकते हैं कि अगर कृषकों को तौर से ईख बोने वाले किसानों को अपने गन्ने की उपज में और पेरने तथा कीमत मिलने में अगर असुविधा होती है तो उसको रफा अवश्य करना चाहिये। अब रहा यह कि देवरिया जिले में क्या-क्या दिक्कत ईख के किसानों को होती हैं इसको हमारे माननीय सदस्यगण अच्छी तरह से जानते ही हैं देवरिया, गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़, गोरखपुर कमिश्नरी के जिले हैं। मैंने सन् १९३२ में इन किसानों का, जिनको ईखी किसान कहते हैं, एक संगठन ईख संघ बनाया था। वह गोरखपुर और बस्ती आदि जिलों में अरसे तक काम तत्परता से करता रहा। इतने दिनों से और आज तक का अगर इतिहास देखा जाय तो किसानों की सुविधा में काफी अंतर मालूम होता है। सैकड़ों किसान कई रोज पहले से मिल के फाटक पर ईख से लदी गाड़ियों के साथ इकट्ठा होते थे और माघ और पूस में जो दिक्कतें उन्हें खुले मैदान में होती थीं, अकथनीय हैं। किसानों को ठहरने, विश्राम करने की जो शिकायत होती थी और बैलों को चारे की जो शिकायत होती थी, उसका मुकाबला और आज के समय से मुकाबला यदि किया जाय तो जमीन आसमान का फर्क मालूम होगा। यह कहना तो मेरे लिये उचित नहीं होगा कि अब फैक्ट्री गेट पर किसानों को कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन उस पिछले जमाने का अगर मुकाबला किया जाय तो काफी फर्क अवश्य है। मैंने स्वयं भी दौरा किया था गोरखपुर, बस्ती और देवरिया जिलों का वहां कहा जाता था कि इन मिलों की तादाद ज्यादा बढ़ने से ऐसा भय हो रहा है कि संभवतः ऐसे क्षेत्र में सिवाय ईख की फसल के और कोई दूसरी फसल बोई ही न जायगी और विशेषतः ऐसी जमीन में जहां पानी न देने पर भी गन्ना पैदा होता रहे और जहां खाद देने की जरूरत न हो जैसे दरिया के किनारे के स्थानों में। पडरौना वगैरह ऐसे ही हिस्से हैं और खासकर देवरिया गोरखपुर जिले में उस समय २६ मिलें थीं। आजकल की तो मैं नहीं कहता कि उनकी तादाद बढ़ी है या नहीं। वहां यह भय होता था कि सिवाय ईख की फसल के और कोई दूसरी चीज की खेती नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, जहां पूर्वी जिले धान की खेती के वास्ते अर्थात् दोनों फसलें खरीफ और अगहनी के लिये मशहूर हैं। लाखों मन गल्ला दूसरे प्रांतों को यह क्षेत्र दिया करते थे लेकिन उन मिलों के खुल जाने की वजह से, इन पूंजीपतियों के रुपया बिछा देने की वजह से यह भय हो रहा था कि संभव है कि हमें यहां के लिये बर्मा से चावल मंगाना पड़े या उन हिस्सों से मंगाना पड़े जहां कि धान ज्यादा पैदा होता है। वहां की स्थिति अपवाद के रूप में देखी जा सकती है। पिछले वर्ष में यह कहा जाता है कि देवरिया में इतना गन्ना पैदा हुआ कि उसे पेरने में दिक्कत हुई। क्या परिस्थिति थी उसे तो माननीय सदस्य भी बतला सकते हैं। मेरी जानकारी में इतना गन्ना पैदा हुआ कि फैक्ट्रियां उसे क्रश नहीं कर सकती थीं। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्टस जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ में चीनी के कारखाने हैं अगर उनकी फैक्टरीज की क्रशिंग कैपेसिटी का मुकाबिला किया जाय तो सिवाय सरदारनगर के दूसरी कोई फैक्ट्री दिखायी नहीं पड़ेगी अर्थात् तुलना नहीं कर सकती। जब हम इतना ज्यादा गन्ना पैदा करेंगे तब स्थानीय पूर्वी चीनी के लिये मिलों द्वारा क्रश करना कठिन होगा। क्योंकि शक्ति कम है हमारे वह भाई जो ईख के किसानों में काम करते हैं उनको भलीभांति स्थिति मालूम है यह शिकायत कई बार सामने आ चुकी है कि न मालूम कितने मन गन्ना जला दिया गया इस वजह से कि वह क्रश नहीं किया जा सका या कोल्हू पेरने के लिये नहीं मिल सके। तब सरकार ने या कुछ संघों ने ऐसी व्यवस्था की कि किसानों का गन्ना मिलों में क्रश कर दिया जाय। साथ ही यह विचार विनिमय किया गया कि बजाय इसके कि वह गन्ना बरबाद हो जाय क्रश कर दिया जाय और अगर आज दाम का रुपया नहीं मिलता है तो दो चार रोज बाद ही सही। जो मिल चलाता है वह खर्च का अपना एक अन्दाजा लगाता है और उसी अंदाजे के हिसाब से वह अपने पास रुपया भी रखता है। अब अगर पैदावार अन्दाजे से ज्यादा हुई तो संभव है कि उसके पास उतना धन उपलब्ध न हो कि फौरन अदायगी ईख की कीमत की कर सके। इसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। आज जब कि हमारे किसान आर्थिक संकट से परेशान हो रहे हैं और खसूसन ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में जिनके सिर पर आये दिन

[श्री रामकुमार शास्त्री]

दैविक ढंग से मुसीबत आया करती है, कभी बाढ़, कभी सूखा तो इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि उनका रुपया जो बकाया है वह दिया न जाय। उसको जल्द से जल्द दिलवाने की कोशिश की जानी चाहिये। लेकिन उनका गन्ना बरबाद होने के बजाय अगर कुछ समय बाद रुपया मिल जाता है तो कोई बहुत हानि की बात नहीं है। अखबारों में चर्चा हम भी सुनते रहे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहां-कहां पर और किस-किस मिल को नोटिस दी कि बकाया फौरन अदा करे। किसानों को इस संबंध में तमाम दिक्कतें भी हुईं, उनकी आर्थिक स्थिति हमसे छिपी नहीं है। उस वक्त तक तो हमारे भाई की शिकायत ठीक है कि जब तक यह इंडस्ट्री शैशव अवस्था में है, जब तक इन्डस्ट्री नेशनलाइज्ड नहीं होती है और प्राइवेट कन्सर्न है तब तक किसानों को परेशानी होगी ही। प्राइवेट कन्सर्न होने पर तो मिल-मालिक सदा अपनी झोली में ज्यादा से ज्यादा रुपया रखने की कोशिश करेंगे, यह स्वाभाविक बात है। हमारे बस्ती जिले में भी चार-पांच फैक्ट्रीज हैं। उद्योग मंत्री जी से मेरी इस सिलसिले में शिकायत है कि गोरखपुर, बस्ती और देवरिया में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो भेद-भाव की हो। हमारे वहां पर भी धान की खेती होती है और जो मुफलिसी गोरखपुर, देवरिया में है वही मुफलिसी हमारे बस्ती जिले में भी है,जो विभाग गन्ने की तरक्की के वास्ते वहां है वही हमारे यहां बस्ती में भी हैं लेकिन शिकायत यह की गई कि गन्ना अधिक तुम्हारे यहां नहीं होता है लिहाजा बढ़नी की फैक्ट्री को बजाय तुम्हारे यहां बस्ती जिले में रखने के दूसरी जगह मेरठ जिले में रखेंगे। हमारे यहां जो किसान कल तक धान पैदा करते थे वे इस लालच के मारे कि माघ के महीने में लगान की अदायगी होगी बच्चों के तन के कपड़े बनेंगे, एक ऐसी उपयोगी रुपया पैदा करने वाली फसल ईख को काफी तादाद में बोने लगे। प्रलोभन की ही वजह से वे बड़े चाव से गन्ना बोने लगे और कई वर्ष से वहां ईख की खेती होने लगी और काफी तादाद में पैदा हुई लेकिन मिलमालिक ने कहा कि अब तो हमको यहां गन्ना नहीं मिलता है, थोड़ी सी दुश्वारी शायद हुई होगी। विभाग ने संभवतः ठीक तरह से काम नहीं किया होगा, लेकिन वहां के रहने वालों को उक्त शिकायत गन्ना कम होने की नहीं रही वे तो कहते हैं कि जिस वक्त से यह फैक्ट्री लगी हम गन्ने की खेती शौक से कर रहे हैं। हमें अगर साधन उपलब्ध हों तो हम और भी बढ़ा सकते हैं और उसके पड़ोस में काफी खादर लैंड भी है और नेपाल का भी बार्डर है, वहां से भी गन्ना काफी तादाद में आता रहा। काफी तरक्की वह फैक्ट्री करती चली जा रही थी किन्तु दुर्भाग्य से किसानों के मार्ग में काफी अड़चन मिल के हट जाने से हुयी। विकास होने के बजाय नुकसान हुआ ईख किसान हाथ पर हाथ रखकर पछता रहे हैं। उनकी कुछ भी सुनवाई नहीं हुई।

मैं आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय, श्री गेंदासिंह जी का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि प्राइवेट इंटरप्राइज का नतीजा यह हुआ कि उस मिलमालिक ने जिसकी वह बढ़नी फैक्ट्री थी उन्होंने बढ़नी (बस्ती) से उठा ली और मेरठ जिले में उसको लगा दिया है। अगर यह नेशनलाइज्ड इंडस्ट्री होती तो वहां के किसानों की यह दुर्दशा न होती जो आज हो रही है। वहां ईख काफी तादाद में होती थी लेकिन उस मिल के चले जाने के कारण अब वहां चीनी बनाने का कारबार बन्द हो गया है। हालत यह है कि वहां कोई दूसरा उद्योग धंधा नहीं है। वहां के लोगों की माली हालत बहुत ही खराब हो रही है। यही नहीं---खलीलाबाद की मिल पर भी टकटकी लगी हुई है। उसको वहां से दूसरी जगह ले जाना चाहता है जहां पर लोग नयी-नयी खेती कर रहे हैं या करने वाले हैं जिसमें साहस पूर्ण कार्य में वहां के लोगों का इतना वक्त जाया गया, पैसा भी लगा, जिसमें लोगों का श्रम भी लगा लेकिन आज उन्हीं के लोगों बीच से निदर्यता से हटा कर वह फैक्ट्री दूसरी जगह ले जाई जा रही है कितने दुख की बात है।

श्री हुकुमसिंह---खलीलाबाद की फैक्ट्री दूसरी जगह नहीं जा रही है।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य विधेयक के संबंध में सुझाव दें तो अच्छा हो।

श्री राम कुमार शास्त्री---अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विषय की ओर आ रहा हूं। सवाल यह है कि इन उपरोक्त दिक्कतों के होते हुये गन्ने की अधिक उपज में हम तरक्की कैसे

करें, श्री गेंदा सिंह जी ने कहा कि वहां कुछ श्रम मंत्री और सरकार के लाड़ले हैं, मालूम नहीं, देवरिया जिले में ही कुछ लाड़ले हैं या बस्ती में भी हैं। कई वर्षों से संबंध सरकार से हमारा भी रहा है। आखिरकार क्या वजह है कि हमारे यहां के किसानों को फैक्ट्रियों से महरूम किया जा रहा है, ऐसी हालत में बस्ती के किसान क्या विकास कर सकते हैं। जिनकी अभिरुचि गन्ना पैदा करने की तरफ हो गयी है तथा दूसरी खेती की तरफ नहीं है, वे भी, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं उद्योग मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आखिर कैसे विकास किसान गन्ने की उपज में कर सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि मिलों को लाखों रुपयों का मुनाफा होता रहता है लेकिन बांसी और बस्ती के बीच की सड़क अभी तक ठीक नहीं हुई है। आम लोग जो उस पर चलते हैं उनको भी कष्ट होता है। बस्ती, नैपाल से सटा हुआ है। वहां भी काफी लोग आते जाते हैं उनकी सुविधा के लिये भी इन्तजाम तो होना चाहिये। सड़क की ठीक व्यवस्था होनी चाहिये। ईख से लदी सैकड़ों गाड़ियां उक्त सड़क से सारे सीजन भर चलती हैं जिससे सड़क टूट-फूट कर सत्यानाश की दशा में हो गयी है। वर्तमान बाढ़ ने उसे और भी बरबाद कर दिया है। अधिनियम में लिखा हुआ है कि गन्ने की सप्लाई की अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन वहां सप्लाई कैसे हो सकेगी, जब आम लोग अपना साधारण काम भी नहीं करते हैं, कोई दूसरा व्यापार भी ठीक मार्ग न होने से नहीं कर सकते। कचहरियों में अगर कहीं आना हुआ और इस बरसात के वक्त तो किसी जगह उनका पहुंचना ही मुश्किल है। और जब कि हमारे बोर्डर नैपाल में अनरेस्ट है तब इन सड़कों की यह दुर्दशा है तो फिर डेवलपमेंट का काम कैसे हो सकेगा। गन्ने फैक्ट्रियों में कैसे पहुंच सकेंगे। माना कि किसानों को भी चार पैसे पहुंचाये जायं लेकिन आप इस विकास के काम को कैसे कर सकेंगे, गन्ने की सप्लाई मिलों पर कैसे करेंगे।

साथ ही साथ उन फैक्टरियों में आम मजदूर भी रहते हैं। इन मजदूरों से मेरा ताल्लुक जरा कम है और भाइयों का ज्यादा ताल्लुक है लेकिन जब तक सारे मजदूरों की हालत ठीक तरह नहीं होगी तब तक सप्लाई में बड़ी दिक्कत होगी। इन फैक्टरियों में गन्ना खरीदने के सिलसिले में नाना प्रकार की गुत्थियां सरकार को सुलझानी पड़ती हैं। भगवान के नाम पर उन गरीबों के जो कि बिलकुल साइंटिफिक तरीके पर मजदूर नहीं हैं, जो आधे दिन खेती का काम करते हैं और सीजनल मजदूर होते हैं, रहने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। वे छोटी-छोटी कोठरियों में रहते हैं, उनके लड़कों की तालीम की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिये पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है, गरज कि नाना प्रकार की दिक्कतें उनको हैं। गन्ने के जो मजदूर हैं वे आधे-आधे दिन तो अपने खेतों में काम करते हैं, और सीजन में आकर अपनी फैक्ट्री में काम करते हैं। अगर उन्हें भर पेट खाने को मिल जाय, अच्छी मजदूरी मिले, उनके बच्चों के लिये तालीम मिल जाय, उनके लिये दवा दारू का प्रबन्ध हो जाय तो मैं समझता हूं कि हम विकास के काम में काफी तरक्की कर सकेंगे क्योंकि क्षमता बढ़ेगी। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान इस तरह के मजदूरों की तरफ दिलाना चाहता हूं। मिल मालिकों की शिकायत भी मेरे एक मित्र ने की है। वाकई यह सुनते-सुनते हम लोगों के भी कान पक गये कि आखिरकार यह देवरिया जिले में क्या बात है। बस्ती जिले में भी मिलें हैं, और जगहों में भी हैं, यह कठकुइयां का प्रश्न कब तक चलता रहेगा। यह पडरौना का प्रश्न कब तक चलता रहेगा? अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से चाहूंगा कि वे इसका स्पष्टीकरण करने की कृपा करेंगे। यों तो मुझे भी मालूम है और श्री गेंदा सिंह जी भी जानते हैं, मैं भी ४ नं० के निकट ५ नंबर में ही रहता हूं। वहां खेतान साहब भी आते हैं और कठकुइयां मिल के जो मालिक हैं वे भी काली मोटर में कभी-कभी दर्शन दे जाते हैं। तो मिलमालिक अपना ही रोना रोते हैं और जो किसानों के हमदर्द बनते हैं वे अपनी ही बात कहते हैं। तो आखिरकार इसमें राज क्या है? मैं चाहूंगा कि माननीय उद्योग मंत्री जी जरा इसको स्पष्ट कर देंगे कि वे किसान जो कि हमारे यहां की सम्पत्ति को बढ़ाने वाले हैं वे खुशहाल हो सकें। अर्थात् गन्ने की खेती की तरक्की कर सकें।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो विधेयक हमारे इस सदन में प्रस्तुत है, यह बहुत महत्व का है। हमारे प्रान्त का सबसे बड़ा उद्योग गन्ना और चीनी का है। इसी पर हमारे देश की उन्नति निर्भर है। हमारे प्रदेश में इतना गन्ना और इतनी चीनी पैदा होती है, जितना हिन्दुस्तान में व्यय होता है उसका आधा हमारे प्रांत में पैदा होती है। इसके अलावा इस गन्ने की बदौलत हमारी प्रान्तीय सरकार को तीन आना फी मन गन्ने पर सेस के रूप में मिलता है और साथ ही केंद्रीय सरकार जो चीनी पर टैक्स लगाती है उसमें से कितने ही करोड़ रुपया हमारी सरकार को मिलता है। इस तरह से इस गन्ने और चीनी से कितने ही करोड़ रुपया इस सरकार को मिलता है और हमारे किसानों को कितने ही करोड़ रुपया, करीब ३५, ४० करोड़ रुपया गन्ने से मिलता है। अतः हमारे देश की उन्नति इस गन्ने पर ही निर्भर है। इसलिये इस बात पर जितना भी ध्यान दिया जावे उतना थोड़ा है। यह विधेयक उन तमाम बातों की सहूलियत के लिये लाया गया है जिनकी आवश्यकता थी। मैंने श्री गेंदासिंह विरोधी दल के सदस्य के भाषण सुने। उन्होंने बहुत सा समय उन बातों में लगाया जो हमारे इस विधेयक से संबंध नहीं रखती हैं। चीनी और गन्ने की दर मुकर्रर करना केन्द्रीय सरकार के हाथ में है। यह सही है कि जो गन्ने या चीनी की कीमत होगी उसका प्रभाव गन्ने के उत्पादन पर पड़ता है। अगर चीनी ज्यादा बिके तो गन्ना ज्यादा बोया जायगा और अगर चीनी के निकलने में कठिनाई होती है तो किसान गन्ना कम बोयेगा। इसलिये यह तो काम केन्द्रीय सरकार का है कि वह इस ओर देखे। हां माननीय मन्त्री का कर्त्तव्य है कि वह केन्द्रीय सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करें कि चीनी के दाम ज्यादा न बढ़ने पायें और दामों को बढ़ोत्तरी को रोका जाय। इसके अलावा कुछ बातें इस बिल के संबंध में कही गई हैं। इस बिल में जहां तक मैं देखता हूं यह पाता हूं कि गन्ने की कृषि की उन्नति का पूरा प्रयत्न किया गया है। गन्ना मिलों में ठीक तरह से पहुंचे, गन्ने का विकास हो सके और मिल मालिकों और किसानों के बीच जो झगड़ा होता है वह भी सुलझे। इन सब व्यवस्थाओं को इसमें हल किया गया है। गन्ना बोर्ड बनना इसके लिये अति आवश्यक है। इससे बहुत कुछ कठिनाइयां दूर होंगी। सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि किसानों को रुपया मिलने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी तो मिलमालिक मजबूर होते थे परिस्थिति से और कभी शैतानियत से। जब चीनी नहीं बिकती थी, चीनी गोदामों में बहुतायत से भरी रहती थी तब वह विवश थे कि किसानों को रुपया दे सकें, मगर चीनी जब अच्छी बिकती है उस वक्त रुपये का रोकना किसी तरह से भी ठीक नहीं कहा जा सकता। यह आठ सात फीसदी सालाना ब्याज रख देने से किसानों को बहुत आसानी रुपया मिलने में हो जायगी। मिल मालिक यह सोचते थे कि अगर किसान को उन्होंने ४, ६ महीने रुपया नहीं दिया तो बैंक को जो सूद उनको देना पड़ता वह बच जायगा। बैंक से अगर वह कर्जा लेते तो उनको ब्याज देना पड़ता, अगर किसानों के रुपये को रोक लिया तो वह ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अगर सरकार ने इस ब्याज के मसले को अच्छी तरह से प्रयोग किया तो मिलमालिकों की जो भावना होती थी सूद से बचने की वह खत्म हो जायगी। इससे श्री गेंदासिंह जी का भी भय खत्म हो जायगा। परन्तु इसमें एक प्रतिबन्ध और लगा दिया है? अगर गन्ना कमिश्नर सरकार की अनुमति से यह उचित समझता है कि ब्याज हटा दिया जाय साढ़े ७ सैकड़ा के बजाय उसकी दर कम कर दी जाय तो वह कम कर सकेगा। यह बात उस वक्त ठीक बैठ सकती है जब चीनी का भाव बाजार में इतना गिर गया हो कि लोग चीनी को मिल से लेना बन्द कर दें। जैसा कभी-कभी पिछले वर्षों में हुआ है कि मिलों में चीनी भरी पड़ी थी, ग्राहक कोई नहीं था। मिलमालिक विवश थे कहां से रुपया दें। बैंक भी उनको इतना रुपया नहीं देता था कि वे किसानों का रुपया अदा कर सकें। ऐसी परिस्थिति होती है तो सरकार ऐसी दशा में कम कर दे। मैं जरूर इस बात में माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि जहां यह उपबन्ध रखा है वहां ऐसे शब्द बढ़ा दिये जायं कि सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही केन्द्र कमिश्नर को अनुमति होगी कि ब्याज न दिया जाय या ब्याज की शरह कम की जाय। आम तौर से यह साढ़े सात रुपये की शरह कायम करने का नतीजा यह होगा कि मिलमालिक जान बूझकर जब तक वे विवश नहीं होंगे किसानों को रुपया देंगे। इसी-

लिये मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि या तो इस दफा में ही यह बढ़ा दें कि विशेष परिस्थितियों में यह शरह कम की जायगी या हटाई जायगी। और अगर इस कानून में नहीं करना चाहते तो जो इसके बाद नियमावली बनेगी उसमें इस बात को रख दें। अगर यह होगा तो मुझे पूर्ण आशा है कि मिलमालिक जो शैतानियां अब तक करते आये हैं न कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त रुपया वसूल करने का अधिकार अब कलेक्टर को दिया गया है और साथ में यह भी किया गया है कि कलेक्टर जिस प्रकार से मालगुजारी वसूल करता है उसी प्रकार से इन किसानों के रुपये को भी वसूल करा सकता है। मालगुजारी वसूल करने में सब प्रकार के पावर्स कलेक्टर को हैं उसमें वह कुर्की भी करा सकता है, जेल भी भेज सकता है, इससे मैं समझता हूं कि इन अधिकारों के होते हुये अब वसूलयाबी में सहूलियत होगी।

इसके अलावा इस कानून में यह भी दिया है कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करे तो जिला मैजिस्ट्रेट या केन कमिश्नर उनके खिलाफ कम्प्लेन्ट कर सकता है और उसके बाद उनको मैजिस्ट्रेट सजा दे सकता है, जेलखाना भेज सकता है और जुर्माना भी कर सकता है। इन बातों के होते हुये भी अब ऐसा संदेह नहीं रहता है कि वसूलयाबी में कठिनाई पड़ेगी।

इस कानून में यह भी अच्छा किया गया है कि जहां पर गन्ने की मिल है उससे संबंधित एक जोन गन्ना परिषद कायम की जायगी और वह परिषद उस जोन की तमाम सहूलियतें, जो हो सकती हैं, गन्ने के दाम दिलाने, गन्ने के अधिक विकास या कौन सा बीज दिया जाय या कौन सा गन्ना बोया जाय, इन तमाम बातों पर परिषद विचार करेगी और कार्यवाही करेगी। इन बातों के रख देने से मैं समझता हूं कि इस बिल में काफी उन्नति होगी। इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि यह अच्छा हो कि अगर उसमें मिलमालिकों की ओर से एक ही प्रतिनिधि हो और गन्ना उत्पादकों या गन्ना उत्पादन समिति की ओर से बजाय २ प्रतिनिधियों के ३ प्रतिनिधि हों।

एक बात पर श्री गेंदासिंह जी ने यह एतराज किया कि अभी तक सरकार ३ आना अबवाब लेती है और इस बिल के अन्दर ४ आना रखा गया है। यह तो सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह ४ आना तक ले सकती है। यह इसके अन्दर कहीं भी नहीं है कि ४ आना ही लिया जायगा। यह भी हो सकता है कि ३ आना लें या उससे भी कम २।। आना ही लिया जाय या २ आना कर दें। इसके साथ ही एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार के लिये यह बिलकुल जरूरी है कि गन्ने और चीनी के दाम ज्यादा न बढ़ें। अगर चीनी की कीमत ज्यादा बढ़ती है जो कि दूसरे देशों के मुकाबिले कहीं ज्यादा है तो हमारे यहां गन्ने की तरक्की और चीनी की तरक्की नहीं हो सकती है। चीनी और गन्ने की तरक्की तभी हो सकती है जब कि चीनी का भाव हमारे देश में ऐसा हो कि जिससे हमारे यहां की चीनी दूसरे देशों को भी जा सके और दूसरे देश भी उसको खरीद सकें। इस तरह से अगर चीनी का भाव हो तभी चीनी की उन्नति हो सकती है। सरकार गन्ने पर फी मन ३ आना लेती है या ४ आना लेती है इसका प्रभाव चीनी की कीमत पर पड़ता है। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार उस पर २ रुपये मन टैक्स लेती है उसका असर पड़ता है। इसलिये मैं तो यह आशा करूंगा कि इसको ३ आना से ज्यादा न बढ़ाया जाय बल्कि अगर उन्होंने इस बात का अनुभव किया तो मैं समझता हूं कि वह ३ आने से भी कम २।। आने या २ आने भी करने पर विचार करेंगी। मैं तो इस विधेयक के अन्दर सब बातों को ठीक पाता हूं इसलिये इस अच्छे विधेयक को लाने के लिये मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं और उसका समर्थन करता हूं।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, इस गन्ना विधेयक के संबंध में माननीय श्री गेंदासिंह जी का भाषण, जिनको हम सब लोग जहां तक कि गन्ने की समस्या का संबंध है एक एक्सपर्ट समझते रहे हैं, जिस रीति से सुना उसको सुनकर मुझे तो बहुत अंश तक इस मरतबा निराशा ही हुई है। कदाचित् जहां तक इस विधेयक की बातें हैं और उसके संबंध में उनको स्पीच हुई है वह पुराने अतीत के इतिहास की अधिक रही है बजाय इसके कि उन्होंने इस विधेयक के ऊपर पूर्ण रूप से प्रकाश डाला हो। जैसा कि यह विधेयक

[श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)]

इस समय है उसमें क्या खामी है और कौन सी बातें उसमें जोड़ देने से यह और सुन्दर और उपयुक्त हो सकता है, वह बातें उन्होंने खास रूप से कहीं भी नहीं कहीं। उन्होंने जो ध्यान खामियों की ओर दिलाया है और खामियां बतायी हैं वह सब दूर करने के लिये इस बिल में प्रबन्ध पहले से किया गया है। गन्ने के लिये दो समस्यायें हैं जिनकी तरफ हम सबको इस विधेयक में और इसके बाहर ध्यान देने की जरूरत है। एक तो उत्पादन के बारे में है और दूसरी उसके विक्रय के बारे में है। उत्पादन के संबंध में ही विकास की बातें आती हैं और बीमारियों से और अन्य जरियों से उसकी रक्षा करने की बात आती है जिसके लिये इस विधेयक के अन्दर धारा ६ के अन्दर बिल्कुल साफ-साफ दिया हुआ है। उसमें डेवलपमेंट के लिये जितनी भी मुख्य बातें हैं वह सब दी हुयी हैं। मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता हूं। मैं यह समझता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी ने उनको जरूर पढ़ लिया होगा और इसके अलावा भी यदि वह कोई डेवलपमेंट के बारे में बातें चाहते थे तो उन्हें उनको स्पेसिफिक तरीके से निश्चय रूप से कहना चाहिये था न कि उस पुराने गये बीते इतिहास को दोहराते। उनको दोहराने से वह बातें नहीं हो जाती और न इससे कोई संशोधन सामने आता है। जो उन्होंने बातें कहीं वह स्वयं ही कान्ट्रेडिक्टरी थीं। एक स्थान पर तो उन्होंने चीनी के कम दामों की बात कही थी और दूसरी ओर उन्होंने शुगर इंडस्ट्री के पतन की ओर ध्यान दिलाया था। एक तरफ उन्होंने कहा कि गन्ने की उपज कम है और फैक्टरियों में गन्ना कम पहुंच रहा है। फिर कहा कि फैक्टरियों के जोन्स जो बनाये जाते हैं यानी जो ५ मील आदि के जो क्षेत्र बना दिये जाते हैं और उसी के भीतर फैक्टरी अपना गन्ना खरीद सकती हैं। इस तरह से किसान जिस जोन में पड़ जाता है वह उसी फैक्टरी को गन्ना दे सकता है और कहीं नहीं बेच सकता और इससे काश्तकार को गन्ने को मोलतोल कर के ज्यादा दामों पर बेचने की गुंजायश नहीं रह जाती है और अगर ऐसा न होता तो वह जिस मिल को चाहे ज्यादा दामों पर बेच सकता था। परन्तु अब वह ऐसा नहीं कर सकता। तो एक स्थान पर तो वह मोलतोल की बात करते हैं और दूसरे स्थान पर चीनी के दाम बढ़ने की बात करते हैं कि सारे संसार में हमारी चीनी के दाम बढ़ने से सारा चीनी का व्यापार देश में खत्म हो जायगा। तो यह दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं। अगर मोल तोल करने की बात वह करते हैं तो चीनी के दाम बढ़ेंगे और अगर बढ़ेंगे तो उसके ऊपर खर्च ज्यादा हो जायगा और खर्च बढ़ने पर चीनी के दाम बढ़ेंगे। इस तरह से एक ठंडी और एक गर्म दोनों लासें एक साथ नहीं ली जा सकतीं। इस चीज को गार्ड करने के लिये ही जोन का तरीका रखा गया है और क्षेत्र मुकर्रर किये जाते हैं और एक एक्सपर्ट कमेटी गन्ने का रेट मुकर्रर करती है।

श्रीगेंदा सिंह—मैंने तो इसका विरोध नहीं किया था।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)—आपने दोनों बातें कही थीं। इसलिये मैंने इसको साथ कर दिया। अतीत इतिहास की बात श्री गेंदा सिंह जी कर रहे थे। उन्होंने गन्ने के दाम समुचित रूप से निश्चित न होने की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि गत वर्ष में २४ करोड़ मन गन्ना फैक्टरियों ने खरीदा था। मैं उनकी जानकारी के लिये बतला दूं कि उसके दाम ४२ करोड़ रुपये थे। उन्होंने यह भी कहा कि उसमें से ९ करोड़ रुपया बाकी रहा गया। तो जहां ४२ करोड़ रुपये का गन्ना खरीदा गया और ९ करोड़ रुपया बाकी भी रह गया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है और यह एक सम्भव सी बात हो जाती है। फिर भी पुराने कायदे में कोआपरेटिव ऐक्ट में आर्बिट्रेशन केन कमिश्नर के हाथ में होता था वही फैक्टरियों को एट्रेच करते थे और जुर्माना थे। बीसों फैक्टरियों के मामले केन कमिश्नर द्वारा आर्बिट्रेशन से तय हुये हैं। इस ऐक्ट की धारा १६ में साफ तौर से प्राविजन कर दिया गया है जिसकी ओर माननीय मंत्री जी ने अपने प्रारम्भिक भाषण में साफ़ तौर से ध्यान दिलाया था।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय ,मैं निवेदन कर रहा था कि गन्ने की क़ीमतों के ठीक समय पर न मिलने के कारण ही हमारे मित्र भाई गेंदासिंह जी को जो रोष और खेद हुआ उसी के प्रतिफल में वे यह चाहते थे कि मिल मालिकों को केवल जुरमाना की ही सजा न दी जाय बल्कि उन्हें क़ैद की भी सजा दी जाय। मैं उनके इन विचारों को जहां तक समझता हूं उन्होंने दरअसल अपने सच्चे हृदय से यह बात कही थी और वास्तव में ऐसी बात होनी चाहिये। लेकिन वे समालोचना कर रहे थे इस विधेयक कि इसमें यह ख़ामियां हैं, इत्तिफाक से वे इस समय उपस्थित नहीं हैं, नहीं तो मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करता कि जो बात उन्होंने कही थी वह बिल्कुल त्रुटिपूर्ण थी। इस विधेयक की धारा २० में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि केवल जुरमाने की ही सजा न होगी बल्कि ६ महीने की सख़्त क़ैद की भी सजा होगी। तो जो यह बात वह कह रहे थे वह बिलकुल ऐसी थी जो उन्होंने, जहां तक मेरा विश्वास है, बिना पढ़े कह दी थी। तो उनका जो यह एतराज था वह भी किसी हद तक उचित नहीं है।

इन सब में बड़ी इस मामले में जो शिकायत मालूम हुई वह यह थी कि इस समय जो सेस है वह तीन आने फी मन के हिसाब से लगता है जब कि इस विधेयक की धारा १८ में एक आना उसके ऊपर बिक्री कर और चार आने सेस की व्यवस्था की गयी है। उनके विचार से इस तौर पर कर पांच आने प्रति मन के हिसाब से हो जाता है। हालांकि यह बात अगर वह विधेयक को ध्यानपूर्वक पढ़ते तो बिलकुल रोशन हो जाती और वह ऐसा विवाद उपस्थित न करते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से धारा १८ पढ़ना चाहता हूं जिसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि "राज्यपाल, विज्ञप्ति द्वारा गन्ने की बिक्री पर कर लगा सकते हैं जिसकी दर १२ पाई प्रति मन से अधिक न होगी और विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जाने वाली बिक्री के किसी वर्ग अथवा वर्गों को, विज्ञप्ति द्वारा किसी भी क्षेत्र में ऐसे कर से मुक्त कर सकते हैं।"

तो बारह पाई तो अधिकतम है। इसके मानी कभी भी यह नहीं है कि १२ पाई ही कर लगे। १८ का दूसरा भाग जो है वह इस तरह से है "राज्यपाल, विज्ञप्ति द्वारा, ऐसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर उपभोग, प्रयोग अथवा बिक्री के लिये प्रवेश पाने वाले गन्ने पर अबवाब लगा सकते हैं, जो चार आने प्रति मन से अधिक न होगा।" इसमें भी अधिकतम जो है चार आने रखा गया है। लेकिन उसके बाद ही अगर हम पढ़ें तो बात साफ़ ज़ाहिर हो जाती है। इसके साथ ही जो प्रतिबन्ध है वह यह है, "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा अबवाब किसी भी क्षेत्र में ऐसे गन्ने के प्रवेश पर नहीं लगाया जायगा जिसकी बिक्री के संबंध में उपधारा (१) के अधीन लगाया गया कर देय हो," अर्थात दोनों बातें न हो सकेंगी। या तो बिक्री कर लगेगा या सेस लगेगा। तो जो पांच आने की बात थी वह कट कर चार आने रह गयी और चार आने की बात कट कर तीन आने रह जाती है। वह इस तरह से हो जाता है कि चार आने तो अधिकतम है और मौजूदा ३ आने है। तो कोई वजह नहीं है कि मैक्जिमम पर, उसकी जो सब से आख़िरी लिमिट है, सब से आख़िरी शृंखला है वही सेस लगाई जाय। तो जो पांच आने की बात बड़े ज़ोर के साथ हमारे साथी गेंदासिंह जी कह रहे थे वह मेरे विचार से यदि इस प्रतिबन्ध को पढ़ लेते तो शायद जिस रूप से उन्होंने इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत किया, ऐसा न करते।

जहां तक डेवलपमेंट, विकास की बात थी माननीय गेंदासिंह जी ने यह सदन के समक्ष बताया था कि धारा ६ के अनुसार विकास की कुछ बातें की गयी हैं लेकिन बहुत से क़िस्म के गन्ने ऐसे हैं कि जिनमें यथेष्ट मात्रा में चीनी नहीं होती। उनको हटाने के लिये ट्रैक्टरों द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। इस ओर मैं भी आप से निवेदन करूंगा कि वह भ्रम से ऐसी बातें कह रहे थे यदि हम इसी विधेयक की धारा १७ की उपधारा (३) को ध्यान के साथ पढ़ें जो कि इस प्रकार है—

> "जब किसी भी विभेद का गन्ना अथवा पेड़ी का गन्ना फैक्टरी में प्रयोग के लिये उपधारा (१) के अधीन अनुपयुक्त प्रख्यापित कर दिया गया हो तो ऐसे फैक्टरी का अध्यासी या उसकी ओर से काम करने वाला कोई भी व्यक्ति या गन्ना उत्पा—

[श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)]

दक अथवा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति इस विधेयक का गन्ना न तो बोयेगी और न ऐसे विभेद के गन्ने को पेड़ी रक्खेगी।"

तो जो वह बात कह रहे थे कि अनुपयुक्त क़िस्म का गन्ना न बोया जाय क्योंकि उससे व्यर्थ का धन, समय और श्रम का दुरुपयोग होता है, उसके लिये भी रोकने की कोई व्यवस्था होनी चाहिये, तो जो वह कह रहे थे वह भी धारा १७ की उपधारा (३) में दिया हुआ है। तो उनका जो इस विषय में यह कहना था कि वह भी किसी अंश तक सत्य नहीं सिद्ध होता।

एक तो सबसे अहम बात हमारे मित्र राम कुमार शास्त्री ने यह कही थी कि यह सेस और अबवाब का धन लिया जाता है लेकिन उन सड़कों पर जिन से हो कर के यह गन्ना गुजरता है उनकी उन्नति करने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। जहां तक अनुभव की बात है, मेरे जिले में जहां शकर के कारखाने स्थित हैं वहां तो मैं देखता हूं कि डेवलपमेंट का विभाग सड़क के एक तरफ सीमेंट की एक पटरी बनाते हैं जो कि दो दो मील फैक्टरी के दोनों तरफ लगभग होती है और जितनी सड़कें वहां जाने के लिये होती हैं उनकी उन्नति करते हैं। साथ ही साथ कच्ची सड़कों पर पुलिया बनाते हैं। और वह ख़राब हालत में होती हैं तो उनको पक्का कराने की भी व्यवस्था की जाती है। जहां नदियां पड़ती हैं तो उन पर पुल बनाने की व्यवस्था की जाती है। तो इस रूप से उन सड़कों की उन्नति करने की बात भी की जाती है और धारा ६ की उपधारा (६) में यह बात आ जाती है कि उन सड़कों की उन्नति के लिये भी धन व्यय किया जायगा। लेकिन मैं शास्त्री जी की इस बात से सहमत हूं कि यदि और स्पष्ट शब्दों में इस धारा में सड़क की भी बात कह दी जाय तो शास्त्री जी की भी बात रह जायगी और विधेयक में कोई इस से असर न आयेगा।

एक और बात हमारे मित्र गेंदा सिंह जी ने कही कि जो फील्डस्टाफ की बात थी। वह यह कि गन्ने के सट्टे बंधते हैं जब कि फैक्टरी के चलने के एक दो महीने रह जाते हैं। उस समय वह फील्ड स्टाफ अर्थात् कामदार और सुपरवाइजर वग़ैरह खेतों-खेतों जाते हैं। और केन कमिश्नर द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति के अनुसार जिसमें यह संकेत होता है कि एक बीघा या एक एकड़ में किस क़िस्म के गन्ने पर कितने मन का वह सट्टा करें, वह सट्टे किये जाते हैं। खेतों में हर खेत के बारे में अलग अलग बातें होती हैं। किसी में अच्छे क़िस्म का गन्ना होता है जिसमें कि पैदावार ज्यादा होती है, किसी में ख़राब क़िस्म का गन्ना होता है और उसकी पैदावार कम होती है लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उसकी मुश्किल यह होती है कि वह उन ज्यादा उपज वाले खेतों और कम उपज वाले खेतों के बीच का रास्ता निकाल कर एक रेट निर्धारित करता है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि कम गन्ना वाले लोगों को तो ज्यादा का सट्टा हो जाता है और ज्यादा वालों को कम का सट्टा हो जाता है। यह तो हमारे विचार से किसी भी रीति से रोका नहीं जासकता कि बिलकुल निश्चित रूप से उतना ही लिख दिया जा सके। चूंकि जो कामदार और सुपरवाइजर इस काम को करते हैं वे भी इतने एक्सपर्ट नहीं कहे जा सकते कि खेतों में खड़े गन्ने के वजन को मालूम कर सकें तो यदि उसमें कोई चीज इधर-उधर हो जाती है, कम या ज्यादा हो जाती है तो वह तो अपराध निश्चित ही क्षम्य है और तकलीफ तो वहां होती है जब कि किसी खेत का, किसी गन्ने के खेत का, मालिक सट्टे की कमी की वजह से अपने गन्ने को मिलों में नहीं ले जा पाता और उसको उस गन्ने की सीजन के खत्म हो जाने के बाद उसे फूंकना पड़ता है। जहां का मैं रहने वाला हूं वहां तो ऐसी बात कभी देखने में नहीं आयी। कोई सट्टा खत्म हो जाता है, फैक्टरियां गन्ने की पुर्जी भेजने के बात को खत्म कर देती हैं और पांच सात दिन तक लगभग इसी तरह पर बगैर पुर्जी के गन्ना, बगैर किसी परमिट के, फैक्टरियों में जाया करता है और इस तरह से जो गन्ना और ज्यादा होता है वह उनको बड़ी आसानी से फैक्टरियों तक ले जा सकते हैं और यदि हम अपने भाई गेंदा सिंह जी की ही बात को सही मानें तो मेरी समझ में इसमें हर खेत में उतना ही लिखा जाय, उसमें करप्शन के और बेईमानी के ज्यादा इमकानात हैं बनिस्बत इसके कि फ्लैट रेट रखा जाय। फ्लैट रेट रख देने पर तो एक यह बात

हो जाती है कि हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार होता है और अगर हर खेत में, एक खेत में दूसरा रेट और दूसरे खेत में दूसरा रेट हो तो इसमें बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि इस कामदार और सुपरवाइजर ने फलां व्यक्ति अमुक व्यक्ति से इतना धन ले करके इसके पक्ष में इतने का सट्टा कर दिया और इससे इतना धन प्राप्त नहीं हो सका इससे इसका इतना नहीं किया। तो जो तरीका है वह बहुत उपयुक्त है और ठीक है और इसी को इसकी धारा १३ में पूर्णरूप से लिखा गया है। तो जहां तक मेरे मित्र ने जो इसमें खामियां बतायीं उनको जब मैंने कसौटी पर कसा और विधेयक को गौर से देखा तो उन्हें तथ्यहीन पाया। जहां तक इस विधेयक की बात है निश्चय ही यह एक बड़ी आवश्यकता थी और माननीय उद्योग मंत्री जी ने इसे लाकर निश्चय ही किसानों के लिये एक बड़े हित की बात की है और इसकी उपादेयता का तो यही प्रमाण है कि हमारे विरोधी दल के साथी माननीय गेंदा सिंह जी ने भी कहा कि इसकी जरूरत थी और बहुत पहले जरूरत थी। निश्चय ही इसकी बहुत पहले जरूरत थी लेकिन जब इस रूपमें यह विधेयक सामने आया है तो मेरे विचार से शायद ही उसमें कुछ खामियां हों और जो खामियां होंगी भी उन्हें हम अपने संशोधनों द्वारा दूर करेंगे। ऐसी स्थिति में जैसा कि यह विधेयक हमारे सामने है हम इसका स्वागत करते हैं और माननीय उद्योग मन्त्री जी को ऐसे सुन्दर विधेयक के लिये बधाई देते हैं।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आज सुबह माननीय श्री गेंदा सिंह जी के लम्बे क्रिटिकल भाषण को गौर से सुना। मैं अपनी एपोलाजीज के साथ उन्हीं के अल्फाज में अपनी खुशी जाहिर करता हूं कि मुझे भारी खुशी है कि उनकी रोने की मदों में से एक मद कट कुइयां मिल आज इस महत्वपूर्ण बिल के आने से हमेशा के लिये समाप्त हो गयी। आज जब इस बिल के अन्दर उनको कोई दोष नजर नहीं आया तो उन्होंने एक आरोप लगाया कि इसको लाने में देर हो गयी है, ताखीर हो गयी है। हम लोग जो लोकतन्त्र की प्रणाली में विश्वास रखते हैं वे सब भलीभांति जानते हैं कि जहां लोकतंत्र की चक्की बारीक और उम्दा पीसती है वहां यह आहिस्ता जरूर चलती है। इसलिये लोकतंत्र में विश्वास करने वालों को यह देरी नजरन्दाज करनी ही पड़ती है। उन्होंने गन्ना पैदा करने वालों की बहुत सी तकालीफ को और मुश्किलात को सदन के सामने रखा, उसकी मैं सराहना करता हूं। उन्होंने बताया कि किस तरह से गन्ना देने वालों को रुपया देर से मिलता है और गन्ने के जितने सर्वे रिकार्ड्स हैं वे गलत होते हैं। इस तरह से उन्होंने तरह तरह की मुश्किलात को सदन के सामने रखा। इसकी मैं सराहना करता हूं। लेकिन मैं उनको सिर्फ इतना ही बतलाना चाहता हूं कि इस बिल के आने से वे तमाम तकालीफ दूर हो जाती हैं। इसलिये इस बिल की काफी सराहना होनी चाहिये। हर एक बिल के बहुत से पहलू होते हैं। सबसे इम्पार्टेन्ट पहलू जो इस बिल का मैं समझता हूं वह यह है कि यह बिल समाज के किसान वर्ग के लोगों को छूता है, यह बिल उन गन्ना पैदा करने वाले किसानों को छूता है जिनका ८५.४ % अनएकोनामिक होल्डिंग लिये हुये अपना जीवन गुजारते हैं। इसलिये इस बिल का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी ओर यह बिल संबंध रखता है उन मिल मालिकों से, उन पैसे वालों से जो अपने बड़े बड़े कारखाने चला करके और अपना रुपया लगा करके गन्ने को खरीदते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि यह बिल प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा से ज्यादा रुपया बाहर लाने में और समाज के हित में खर्च करने में प्रोत्साहित करता है। इस तरह से इस बिल का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है।

बिल का एक दूसरा पहलू भी होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो ब्राड लाइंस आफ पालिसीज हैं उनके साथ और जो जनता की मांग है उसके साथ वह कहां तक चलता है। हम जानते हैं कि आज वक्त की पुकार है कि ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी चीजें इस्तेमाल की जायं, उनके अन्दर हमारा स्वावलंबन हो, खाद्य पदार्थों में हम स्वावलंबी बन जायं। ऐसी अवस्था पैदा हो जाय, इतना हमारे यहां उत्पादन

[श्री शिवराजसिंह यादव]

होना शुरू हो जाय कि बाहर से चीजें न मंगानी पड़ें, ताकि बाहर से चीजें मंगाने से हमारे मुल्क के पैसे का अनप्रोडक्टिवली इस्तेमाल न हो। हम देखते हैं कि इस बिल के लाने से गन्ने की उत्पत्ति बढ़ती है और इस तरह से बाहर से चीनी मंगाने का सवाल एक तरह से खत्म हो जाता है। मुझे विश्वास है कि अगर सही माने में इस बिल पर कार्यवाही हुई तो एक ऐसा वक्त आयेगा कि जहां तक शक्कर का सवाल है हमारा एक सरप्लस सूबा हो जायगा और एक भारी रकम हम अपने सूबे के लिये पैदा कर लेंगे।

दूसरे आजकल हम यह देखते हैं कि अनइम्प्लायमेंट को खत्म करने की एक खास मांग है और इस संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंटऔर स्टेट गवर्नमेंट की एक खास कोशिश है। मैं अपने अनुभव से बताऊं कि देहात के अन्दर गर्मी के मौसम में जहां गन्ने की पैदावार नहीं होती है वहां अधिकांश लोग खाली रहते हैं। लेकिन जहां गन्ना पैदा किया जाता है वहां उनको अपने खेत में गन्ने पर काम करने का अवसर मिल जाता है। इस तरह से इस बिल के लाने से और अधिक गन्ने की पैदावार को बढ़ाने से हम एक रोजगार देते हैं। उन किसानों को, गन्ना पैदा करने वालों को गर्मियों के मौसम में और इस तरह से एक जो हमारी गवर्नमेंट का मूव है उसकी भी हम मदद करते हैं।

तीसरी कोशिश सरकार की यह है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा प्राइवेट सेक्टर्स से निकाल कर स्टेट के बिजनेस में लगे जिससे ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय हो सके और ज्यादा से ज्यादा मिलें खुलें। इस तरह से हम देखते हैं कि इस इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दे कर के हम बड़े बड़े कैपिटेलिस्ट्स को इनकरेज करते हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा मिलें खोलें और चीनी की उत्पत्ति करें। अब मैं माननीय गेंदा सिंह जी की तरफ से कुछ वास्तविक दिक्कतें जो काश्तकारों की हैं उन्हें इसलिये सदन के सामने रखना चाहूंगा क्योंकि जिस समय क्लाज बाई क्लाज बिल पर डिस्कशन हो उस वक्त इन पर विचार किया जा सके।

जहां तक गन्ने के बेचने का सवाल है उसमें पहली दिक्कत यह है कि जो सर्वे हमारे गन्ने की होती है, हमारे विभाग के जरिये से वह सब बोगस होती है। ९ महीने तक इस मुहकमे के कर्मचारी कोई काम नहीं करते हैं और तीन महीने सिवाय बोगस सर्वेज की इंट्रीज के, घूसखोरी के और लोगों के साथ फेवरटिज्म करने के कुछ नहीं करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़े ताज्जुब की बात है कि जो फील्ड सर्वेज की जाती हैं उनके सिलसिले में यह डाइरेक्शन होते हैं कि किसी भी हालत में कितना भी अच्छा खेत क्यों न हो, एक मुकर्रर मिकदार से ज्यादा उसकी सर्वे न हो। पेड़ी के लिये उन्होंने १५ मन रखा है और नये गन्ने के लिये ३० मन रखा है सरकार की कोशिश यह है कि गन्ने की मैक्सिमम ईल्ड को बढ़ाया जाय, अच्छे से अच्छे साधन इस्तेमाल किये जायं, डेवलपमेंट्स खूब किये जायं और १००, १५० मन फी बीघा खास के हिसाब से गन्ना पैदा किया जाय और सर्वे किया जाय १५ मन के हिसाब से, तो यह अति क्षोभ की बात है। इससे जो एक दूसरा असर पड़ता है वह यह है कि काश्तकार वर्ग डिमोरेलाइज होता है। जब उसका प्रोड्यूज कम आंका जाता है तो वह अपना एरिया बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि जितना गन्ना उसके पास है उतना रिकर्ड हो जाय। इस तरह से डिमोरेलाइजेशन बढ़ता है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि सरकार शीघ्र इसे खत्म करे।

उपाध्यक्ष महोदय, गन्ने को बेचने जब किसान जाता है तो वेमेंट ब्रिज पर इस कदर बेईमानी होती है कि काश्तकार का गन्ना बहुत काफी मारा जाता है। अगर इसकी कोई व्यवस्था इस बिल के अन्दर नहीं है तो रूल्स बनाते समय सरकार इसकी व्यवस्था जरूर करे। अधिकांश उनके ऊपर मार्कस अंग्रेजी में होते हैं और ज्यादातर मिटे हुये होते हैं और उनको कोई काश्तकार पढ़ नहीं सकता है। मेरा अनुरोध है कि यदि संभव हो तो वेमेंट ब्रिज के मार्कस हिन्दी में कर दिये जायं और वे इस तरह से बनाये जायं कि हर काश्तकार उनको

भलीभांति से देख सके और इसके साथ ही साथ में यह भी अनुरोध करूंगा कि जो गन्ना खरीदा जाय वह एक यूनिफार्म रेगुलेटेड स्पीड से खरीदा जाय। अक्सर ऐसा होता है कि शुरू में गन्ना गेट पर खरीदते हैं और जब गेट पर गन्ना खरीद कर लेते हैं और दूर का गन्ना सूख जाता है तब वहां का गन्ना खरीदते हैं। मेरा अनुरोध है कि गन्ना यूनीफार्म स्पीड से और मौसम के अन्दर खरीदा जाय। क्योंकि ऐसा न होने पर उसका नतीजा यह होता है कि काश्तकार बेचैन होकर अपना गन्ना पेरना शुरू कर देते हैं और इससे पूरा गन्ना मिल नहीं पाता है और इससे सोसाइटी का अनुमान गलत हो जाता है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि रूल्स के अन्दर कहीं ऐसी गुञ्जाइश कर दी जाय कि हर स्टेशन से एक यूनीफार्म और रेगुलेटेड स्पीड से गन्ना खरीदा जाय।

जो रुपये की तकलीफ थी उसकी बिल के अन्दर काफी व्यवस्था कर दी गई है और उसके संबंध में मुझको कुछ नहीं कहना है।

इसके अतिरिक्त मुझे एक सुझाव यह देना है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और केन आफिसर्स जिनको सारी ताकत इस बिल के अन्दर दी गयी है उनको संयुक्त या फोर्टनाइटली ऐसे स्टेशन्स की सर्वे करके उनकी रिपोर्ट केन कमिश्नर के पास अवश्य भेज दिया करें। इस सुझाव के साथ मैं वापस होता हूं।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तो कोई शक नहीं कि जहां तक काश्तकार जो गन्ना उत्पादन करता है, उसकी तकलीफों का सवाल है और उन्हें दूर करने का सवाल है, यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। काश्तकारों को गन्ना उत्पादन में, बेचने में, फैक्ट्री तक ले जाने में क्या क्या दिक्कतें हैं उनको मैं यहां दोहरा कर भवन का समय नष्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि हम सभी लोग जो देहाती क्षेत्रों से आये हैं और खास तौर से वहां से आये हैं जहां गन्ना उत्पादन होता है, वे सब इन दुश्वारियों को जानते हैं। खास तौर से देवरिया के माननीय सदस्य ने तो बहुत अच्छी तरह से एक चित्र यहां खींच दिया है कि क्या क्या मुसीबतें उन लोगों को उठानी पड़ती हैं। मैंने माननीय सदस्य बाराबंकी का भी भाषण सुना जिसके बाद मुझे बड़ा रश्क हुआ कि वहां इतनी सुन्दर व्यवस्था है कि मिल के चारों तरफ जितनी सड़कें २ मील तक हैं उनमें सीमेंट की पटरियां भी बन गई हैं, नदियों पर पुल और नालों पर पुलियायें बन गई हैं और उनके यहां किसी काश्तकार का कभी गन्ना भी नहीं रह जाता। दिल में यही आता है कि बाराबंकी में ही मैं होता तो कहीं अच्छा होता। मेरे जिले में भी ३ गन्ने की फैक्ट्रियां हैं। मेरे गांव के नजदीक बिस्वा शुगर मिल है। वहां शायद ६० फीसदी गन्ना गांजर एरिया से आता है। रास्ते में ३,३ तो नदियां और न मालूम कितने नाले हैं। मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी नदी पर पुल बनाने के लिये सोचा भी गया हो या नाले पर पुलिया बनी हो या उस सड़क की मरम्मत हुई हो जो बिसौली से सिधवा तक जाती है और जो एलेक्शन के जमाने में और खराब हो गई है जैसा कि हमारे माननीय मंत्री ने खुद देखा होगा। पटरी वहां बननी शुरू हुई जो ४ मील लंबी बननी थी लेकिन वह २ फर्लांग ही बनकर खत्म हो गई। इस बिल से काश्तकार को बड़ा लाभ हो सकता है। जहां काश्तकारों को लाभ होगा वहां मेरी समझ में मिलमालिकों को थोड़ा बहुत नुकसान अवश्य होगा। इसलिये मैं क्षमा किया जाऊं यह कहने के लिये कि मुझे यह भी शंका है कि यह बिल ठीक से लागू नहीं किया जायगा क्योंकि हममें से कौन नहीं जानता कि कितना रुपया गरीब काश्तकारों का इन मिलमालिकों के पास बकाया था और अभी भी कुछ बाकी है। हम लोगों में से कौन नहीं जानता कि सरकार ने स्वयं कितनी कोशिश की कि रुपया निकल जाय लेकिन अभी माननीय सदस्य देवरिया ने बताया कि सारा रुपया नहीं निकला है। इसका कारण क्या है? मैं अत्यन्त नम्रता के साथ आपके द्वारा माफी मांगता हूं कि इसके कारण पर शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। श्रीमन्, यह मैं जानता और मानता भी हूं

[श्री सुरेशप्रकाश सिंह]

कि प्रजातंत्रवाद किसी भी व्यक्ति को या सामूहिक रूप से किसी को इसका पूर्ण अधिकार हैं कि किसी भी राजनीतिक दल को वह चन्दा दे। यह मैं मानता हूं परन्तु मुश्किल कहां आजाती जब हम जनतंत्रवाद के ऊपर चंदा मांगे या जो चंदा दे उसको यह कहें कि पूर्ण अधिकार है परन्तु जब हम कोई ऐसा विधेयक बनायें कि चंदे की हिचक की वजह से उसको पूर्ण रूप से लागू न कर सकें तब तो बड़ी दिक्कत और दुश्वारी हो जाती है।

मुझे मालूम नहीं है लेकिन हमारे बहुत से माननीय सदस्यों को मालूम होगा। यदि मुझे मालूम है तो कांग्रेस के दफ्तर से पता चल जायगा कि जनरल इलेक्शन के पहले मिल-मालिकों ने कितना चन्दा दिया मुझे मालूम है और हमें जाती मालूमात हैं। शायद लोग इंकार करें कि जिस क्षेत्र में शुकर फैक्टरीज होती हैं वहां पर लोग जब खड़े होते हैं इलेक्शन के लिये तो उन मिल मालिकों से कितना चंदा लिया जाता है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—ताल्लुकेदारों ने भी तो चंदा दिया था।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—जी हां, दिया था। लेकिन उनका गला इसीलिये कटा कि उनके पास इतना चंदा नहीं था या उनका फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं था कि बड़ी भारी पार्टी का बोझ संभाले रहते। आखिर जमींदार और ताल्लेकदारों के पास आमदनी क्या थी यही खेती बारी की। आप समझ सकते हैं कि किसी जमींदार या ताल्लुकेदार की आमदनी मिल मालिक का मुकाबिला नहीं कर सकती है। इसलिये कि मिलमालिक हमेशा महफूज हैं। वह चंदा दे सकते हैं। उनसे चंदा लेकर आप तशरीफ ला सकते हैं। फिर मैं पूछता हूं कि अगर किसी मिलमालिक के खिलाफ कोई शिकायत होती है तो क्या आपकी हिम्मत और आपकी सरकार की हिम्मत है कि उनके खिलाफ कुछ कर सकें जिससे काश्तकारों को कुछ सुविधा हो, काश्तकारों की तकलीफें मिटें और इस विधेयक के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

मैं पहले ही यह कह चुका हूं और अब भी कह रहा हूं कि यह कभी नहीं हो सकता है। जब मैं देखता हूं कि कारण क्या है? मिलमालिक जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं और यहां से कोई खास आवाज उठाई नहीं जाती है और सरकार से भी कोई रोकटोक नहीं होती है तो अगर यह बात है जैसा कि मुझे अपने शब्दों में कहना पड़ता है तो मैं मजबूर हूं और कहना चाहता हूं कि प्राइवेट इंटरप्राइज को सरकार मदद दे जिससे रुपया जो बंधा हुआ है वह बाहर निकले।

इसमें भी शायद श्रीमन्, मैं सब्जेक्ट से कुछ बाहर जा रहा हूं लेकिन कनेक्टेड अवश्य है। सरकार को अपनी दृढ़ता से बतलाना है कि कांग्रेस सरकार किस नीति पर चलेगी। एक तरफ तो श्रीमन्, जब इधर बैठे हुये सोशलिस्ट मेम्बर्स यह कहते हैं कि जब जमींदारी खत्म हो गई तो कैपीटेलिज्म को भी अबालिश कीजिये। उधर जब आप प्राइवेट इंडस्ट्रीज को खतम करने को कहा जाता है तो आप कहते हैं कि अभी हम नहीं कर सकते हैं लेकिन सरकार की नीति ऐसी है कि कैपिटेलिस्ट बहुत शाई है और वह नहीं समझ पाता है कि आगे उसकी क्या दशा होगी। या तो कैपीटेलिस्टम के रुपये से ऐसा काम लिया जाय जिसमें हमारे देश का कल्याण हो या उनसे रुपया छीन लिया जाय जैसी कि इन लोगों की पालिसी है। आजकल की नीति से न तो कैपिटल बाहर निकल पाता है और न देश का कल्याण ही हो पाता है। बहुत से सुझाव मैंने सुने और बहुत से सुझाव मैं दे सकता हूं परन्तु वह इस विधेयक से मेल नहीं खाते हैं। इसलिये जब इस विधेयक में समितियां बनने वाली है तो यह सुझाव उनके सामने होने चाहिये जिससे आगे काश्तकार को कुछ सहायता पहुंच सके। इस विधेयक में तो दो तीन चीजें ऐसी हमें मालूम हुई जिन के

लिये मैं आपके द्वारा माननीय उद्योग मंत्री जी से कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा। धारा ३ (३) में जहां पर बोर्ड के लिये लिखा है कि बोर्ड का कार्यकाल दो वर्ष होगा, "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही इसे तोड़ सकती है।" तो श्रीमन्, बोर्ड को तोड़ देने का अधिकार तो सरकार अपने हाथ में ले रही है परन्तु यह अभी तक नहीं बतलाया गया और न हमको मालूम हो सका है कि कौन सी ऐसी बातें हो सकती हैं। कौन सी ऐसी इवेंचुएलिटीज हो सकती हैं जब कि सरकार मजबूर हो जायगी कि इन बोर्डों को तोड़ दिया जाय। इसी प्रकार धारा ५ (४) में श्रीमन् परिषद् के लिये भी यह दिया हुआ है, "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गन्ना कमिश्नर कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही परिषद् को तोड़ सकता है।" तो श्रीमन् सवाल तो यह है कि परिषद् को क्यों तोड़ सकता है। इसका कोई उल्लेख नहीं है और न हम लोगों को कुछ पता ही है। धारा १६ (३) में श्रीमन्, यह दिया गया है कि अगर किसी काश्तकार के गन्ने का दाम पिछड़ जाय तो साढ़े सात फीसदी सूद लगा करके मिल मालिक को देना होगा। परन्तु उसके बाद यह लिखा जाता है, "किन्तु प्रत्येक मामले में गन्ना कमिश्नर राज्य सरकार की स्वीकृति से यह आदेश देगा कि कोई भी ब्याज न दिया जायगा अथवा उस कम की हुई दर से दिया जाय जिसे वह निश्चित करे।" तो श्रीमन्, यदि १५ दिन तक या १५ दिन के बाद तक़ काश्तकार को रुपया न मिले तो सरकार ने जो बिल्कुल ठीक और उचित व्यवस्था यहां पर की है कि साढ़े सात फीसदी सूद मिलेगा फिर उसके बाद कमिश्नर के हाथ में देने का क्या कारण है कि वह फिर कोई इस तरह की कमी करे कि इसको ५ ही फीसदी मिलेगा और किसी दूसरे को ३ फीसदी या किसी को कोई सूद ही नहीं मिलेगा जब कि सरकार ने एक प्रतिबन्ध यहां लगाया कि १५ दिन के अन्दर रुपया न मिले तो फिर साढ़े सात फीसदी सूद देना होगा। एक फ्लैट रेट हर एक के लिये क्यों नहीं लागू किया जा सकता? यह बात भी कुछ समझ में नहीं आयी और मैं आशा करता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री कम से कम इन तीन बातों पर कुछ रोशनी डालेंगे।

अन्त में मैं आपके द्वारा यह अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी ने कहा था कि देर हुई लेकिन यह बहुत दुरुस्त कदम उठाया गया है और इससे अवश्य सम्भावना यही है कि काश्तकारों का फायदा होगा।

श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इस बिल को इस सदन के सामने लाये। लेकिन इसके साथ ही साथ जो खराबियां हैं उन्हें भी मैं सदन के सामने रख देना चाहता हूं क्योंकि जिस उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है, यदि इस विधेयक का दुरुपयोग हुआ तो उस उद्देश्य की पूर्ति न हो सकेगी। जब माननीय शुक्ल जी (बाराबंकी) इस सदन के अन्दर खड़े हुये थे तो माननीय गेंदासिंह के ऊपर उनकी बड़ी बौछारें चल रही थीं कि उन्होंने इम्प्रिजनमेंट के मुताल्लिक बहुत ज्यादा जोर दिया है कि फैक्ट्री के मालिक अगर किसी रूल का ब्रीच करें तो उनको सख्त सजा दी जाय और इतना ही नहीं, इम्प्रिजनमेंट के मुताल्लिक इनका इशारा था और उसके मुताल्लिक हमारे माननीय शुक्ल जी ने धारा २० कोट की थी। यह तो मैं समझता हूं कि उन्होंने उस धारा को पढ़ने में गलती नहीं की होगी लेकिन फिर भी मैं उनका ध्यान "आर" या "अथवा" शब्द जो उसमें इस्तेमाल किया गया है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, धारा २० मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं—

"If the occupier or manager of a factory or a purchasing agent contravenes any of the provisions of this act or any rule or of order made thereunder, he shall be liable to imprisonment up to six months or to a fine not exceeding rupees five thousand or both ....."

[श्री कमलासिंह]

[यदि किसी फैक्ट्री का अध्यासी अथवा प्रबंधक या खरीदारी एजेण्ट इस अधिनियम के अथवा उसके अधीन बने या दिये गये नियम अथवा आज्ञा के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है तो वह कारावास का दंड जो ६ महीने तक हो सकता है अथवा अर्थदंड का, जो ५००० रु० से अधिक न होगा अथवा दोनों का भागी होगा।]

तो यहां पर "or" शब्द इस्तेमाल किया गया है उसी की तरफ श्री गेंदा सिंह जी का इशारा था। इसमें जो फाइन रखा गया है वह भी केवल दिखावे के लिये रखा गया है। बहुत से मैजिस्ट्रेट यह भी कर सकते हैं कि इम्प्रिजनमेंट न करें केवल फाइन करके छोड़ दें। लेकिन आपने जो फाइन इसमें रखा है वह केवल दिखावे के लिये है। अभी कल जो प्योर फूड ऐक्ट आया था उसमें एक हजार से ऊपर के जुर्मानों को लीगलाइज करने के लिये आप अमेंडमेंट लाये क्योंकि हाईकोर्ट ने फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट द्वारा एक हजार रुपये से ऊपर के जुरमानों को इल्लीगल करार दे दिया। अब जब हम इस बिल को देखते हैं तो इसमें हमें कोई ऐसी बात नहीं मालूम देती जिसके द्वारा एक हजार से ऊपर तथा ५ हजार तक के जुर्मानों को लीगेलाइज किया गया हो।

श्री हुकुम सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र को करेक्ट करना चाहता हूं। जो फिगर उन्होंने दी है वह ५ सौ नहीं पांच हजार है।

श्री कमलासिंह--मैंने एक हजार से ऊपर तक ही कहा था और यह कह रहा था कि उस जुरमाने को लीगेलाइज करने के लिये आपको कुछ व्यवस्था करनी चाहिये लेकिन इस बिल के अन्दर कोई ऐसी चीज नहीं है।

श्री हुकुमसिंह--जरा मेरे मित्र आहिस्ता बोलें तो अच्छा हो, क्योंकि वे जोर से बोलते हैं तो सुनाई नहीं देता।

श्री कमला सिंह--इस मेहरबानके लिये शुक्रिया। इस बिल के प्रशासन के साधनों के मुताल्लिक अगर हम देखें तो हमें मालूम होगा कि शुरू से आखीर तक जितने झगड़े फैक्ट्रीज और गन्ना उत्पादक समितियों के बीच चल रहे हैं उनको निबटाने के लिये दो तरह से प्रशासन के साधन रखे गये हैं। एक तो बोर्ड और दूसरा परिषद्। इसमें से बोर्ड के १८ मेम्बर रखे गये हैं जिनमें १५ मेम्बर निर्वाचित हैं। अब इन १५ मेम्बरों में से ६ फैक्ट्रीज के नुमाइंदे होंगे और ६ गन्ना उत्पादन सहकारी समितियों के। अब हम देखते हैं कि फैक्ट्रीज के नुमाइन्दे काफी हैं लेकिन जहां तक गन्ना उत्पादक समितियों का ताल्लुक है उनका एरिया दूरी पर अलग अलग होता है तथा उनके प्रत्येक एरिया में अलग अलग किस्म की कठिनाई हो सकती है। इसलिये जहां तक मिलों का संबंध है उन्हें केवल एक ही प्रकार की कठिनाई होती है। वहां उन उत्पादक समितियों या सहकारी समितियों की कठिनाइयां अनेक हो सकती हैं। इसलिये उनकी तादाद अधिक से अधिक रखी जानी चाहिये। जैसा कि सुरेश प्रकाश जी ने कहा कि हो सकता है जो रुपया दिया जा चुका है उसका कुछ असर हो क्योंकि जो गन्ना समितियों और मिलों के मेम्बरों की संख्या में इक्वेलाइजेशन किया गया है उससे कुछ शक होता है। मुमकिन है उसका असर न हो लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान देंगे कि गन्ना उत्पादक और सहकारी समितियां भिन्न भिन्न संस्थाओं को रिप्रेजेण्ट करती हैं उनकी संख्या अधिक से अधिक होनी चाहिये यानी उससे अधिक होनी चाहिये जो मिलों की संख्या रखी गयी है क्योंकि इस बोर्ड को कायम करने का हमारा यही उद्देश्य है कि गन्ना समितियों और फैक्टरीज के बीच जो भी कठिनाई हो वह सरल और शांत तरीके से दूर की जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति उसी वक्त होगी जब कि अधिक से अधिक तादाद में आप गन्ना उत्पादक की सहकारी समितियों को मान्यता देंगे जो उसका प्रतिनिधित्व करेंगी। उसी तरीके पर जहां तक विकास परिषद् का सवाल है अगर उनकी तरफ हम जायं तो देखते हैं कि इस विधेयक के अन्दर एक बहुत

बड़ी कठिनाई हमारे सामने रखी गयी है। उसके अन्दर अगर आप धारा ५ (३) को पढ़ें तो उसमें दिया हुआ है कि परिषद् में निम्नलिखित होंगे--

(क) गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित सभापति,

(ख) ६ सदस्य जिसमें से--

(१) चीनी की फैक्टरियों तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों के प्रतिनिधि के रूप से दो दो सदस्य गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित किये जायेंगे।

तो इस तरीके पर हम देख रहे हैं कि जो सभापति होगा वह भी केन कमिश्नर द्वारा नामांकित होगा और ६ सदस्य जो फैक्टरियों या गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों के प्रतिनिधि समझे जायेंगे उनका भी नामांकन उन्हीं केन कमिश्नर के जरिये होगा। मैं यहीं समझता कि लोकतंत्र की अथवा प्रजातंत्र की जो दोहाई अब तक दी जा रही थी क्या उसी का यह फल है? अगर वाकई में आप चाहते हैं कि गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों को कुछ फायदा हो या लोगों का सही तरीके से रिप्रेजेण्टेशन हो सके तो जरूरी यह होता है कि हम उनको मौका दें कि वे अपने अच्छे से अच्छे प्रतिनिधियों को वहां भेज सकें ताकि उनकी जितनी कठिनाइयां हो सकती हैं वे समिति या परिषद् या गवर्नमेंट के सामने रख सकें। और इसलिये यह जरूरी होता है कि नामांकन करके बिलकुल बाकायादा निर्वाचन होना चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर यह रवैया सरकार का है कि हम नामांकन करेंगे तो बेहतर यह होता कि बहुत से डिप्टी कलेक्टरान या बहुत से ऐसे अधिकारी सरकार के पास होंगे अगर उन्हीं को रख दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता और इस विधेयक के अन्दर जो हमारे भावों व विचारों में परिवर्तन या शंकायें उत्पन्न होती हैं उनके उत्पन्न होने का भी मौक़ा नहीं होता।

साथ ही साथ हमारे श्री सुरेश प्रकाश सिंह जी ने काफी डिटेल में यह बतलाया कि इनके टर्म्स के भीतर ही सरकार को परिषद् को या बोर्ड को खत्म करने का अधिकार है लेकिन उसके मुताल्लिक़ यह कंडीशन नहीं दी गयी है कि कौन सी ऐसी परिस्थिति आयेगी जिसमें बोर्ड को या परिषद् को हम तोड़ देंगे। सबसे पहली बात यह है कि हम सरकार को यह अधिकार नहीं दे सकते हैं। अगर कोई भी काम सुधारने का हो या फैक्टरियों के कर्मचारियों के सुधारने का हो, इसके बारे में हर तरह से रूल्स वगैरह सरकार बना सकती है लेकिन जहां उसके डिजाल्व करने का सवाल है इस सदन को यह अधिकार है कि वह सरकार को इस चीज का अधिकार न दे। परिषद् या बोर्ड को डिजाल्व करने के कुछ सरकमस्टांसेज होते हैं। चूंकि विधान सभा हर वक्त नहीं बैठ सकती है इसलिये जरूरी होता है कि उसके लिये कुछ सरकमस्टांसेज रख दिये जायं और जिसमें डिस्क्रीशन सरकार का होगा कि वह उन सरकमस्टांसेज के अन्दर ही बोर्ड को या परिषद् को डिजाल्व कर सकती है। इस विधेयक के अन्दर इस बात की कमी है।

अब एक चीज मैं और देखता हूं कि इस वक्त जो परिषद् है वह बहुत ही रिस्पांसिबिल बाडी है क्योंकि उसको वाद प्रस्तुत करने का अधिकार है। उसके खिलाफ वाद प्रस्तुत हो सकता है, उसके ख़िलाफ़ मुक़दमा दाखिल हो सकता है और वह भी मुक़दमा दाखिल कर सकती है। वह कोई प्रापर्टी सेल भी कर सकती है और खरीद भी सकती है। इसलिये ऐसी हालत में एक ऐसी बाडी को डिजाल्व करने के लिये, मनमानी करने के लिये सरकार तुली जाती है तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा।

अब एक चीज और है। धारा १४ को अगर आप देखें तो उसके मुताबिक केन कमिश्नर को ऐसा अधिकार है कि वह सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकता है। जहां तक सुरक्षित क्षेत्र को घोषित करने का सवाल है यह तो बहुत ही अच्छी चीज है लेकिन साथही साथ हमें यह भी ध्यान देना होगा कि अगर इन सुरक्षित क्षेत्रों में काश्तकारों की फसल का या गन्ने का नुकसान न हो सके। इसलिये अगर कोई डेट मुक़र्रर कर दी गयी होती जिसको कि रूल्स में करने का मौका है तो उससे बहुत फायदा होता, फैक्टरीज के मालिकों को भी फायदा होता और इस तरह से जो भेद-भाव

[श्री कमलासिंह]

के आने की आशंका है वह शायद न आ पाती। जहां तक पेमेंट का सवाल है उसके मुताल्लिक़ यह रखा गया है "फैक्टरी का अध्यासी कलेक्टर के संतोषानुसार गन्ने के मूल्य के भुगतान की उपयुक्त व्यवस्था करेगा।" मैं तो समझता हूं कि बोर्ड या परिषद् जिसको वाक्फियत बहुत ज्यादा है अगर उसके संतोषानुसार इस चीज को किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। कलेक्टर मनमानी करता है तो वह ठीक नहीं है क्योंकि जिसका निर्णय बोर्ड या परिषद् जो कायम किया गया है उसके द्वारा ही होगा। इसलिये यह जरूरी है कि इसमें ऐसा अमेंडमेंट आता कि कलेक्टर बोर्ड या परिषद् के संतोषानुसार गन्ने के भुगतान की उपयुक्त व्यवस्था करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर ध्यान देते हुये इन बुराइयों को दूर करने की कोशिश करेंगे।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक को सदन के समक्ष लाने के लिये माननीय मंत्री महोदय को हार्दिक धन्यवाद देता हूं तथा साथ ही कुछ दिक्कतें जिनको मैंने अपने व्यावहारिक जीवन में अनुभव किया है माननीय मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की आवश्यकता, उपादेयता और महत्ता के सम्बन्ध में दो रायें नहीं हो सकतीं, क्योंकि यह वर्तमान सदन ही नहीं, वरन् मेरा तो ऐसा विचार है कि उसके पूर्व भी जो सदन था उसने भी किसानों की दिक्क़तों को देखते हुये इस विधेयक के बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला होगा। प्रस्तुत विधेयक के बारे में मेरा यह विचार है कि यह बहुत समय पहले आ जाना चाहिये था। इसकी जरूरत क्यों थी इसके बारे में भी श्री गेंदा सिंह जी ने बहुत सी बातें कह दी हैं। मैं उनकी अनेक बातों से खुद भी सहमत हूं। इसलिये नहीं कि गन्ने की ख़रीदारी, मूल्य की अदायगी या उसके तौलने की व्यवस्था के संबंध में किसानों को जो दिक्क़तें आती हैं उनके बारे में मैंने केवल सुना है बल्कि इसलिये कि मेरा इस बारे में व्यक्तिगत अनुभव भी है कि किसानों के सामने गन्ने को स्टेशन तक ले जाने, वहां पर तौलने और रुपये को हासिल करने में क्या क्या परेशानियां, दिक्क़तें होती हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि जितनी दिक्क़तें और परेशानियां किसान वर्ग को होती थीं अथवा फैक्टरी के मालिकों की ओर से जो यातनायें किसानों को दी जाती थीं उनके निवारण की बहुत कुछ सम्भावना इस विधेयक के लागू होने से हो जायगी।

मैं अपनी बात शुरू करने से पहले माननीय सुरेश प्रकाश सिंह जी की ओर से जो दो एक बातें कही गयीं उनके संबंध में उनके भ्रम को दूर करने के लिये अपनी बात कहना आवश्यक समझता हूं। पहली बात जो माननीय सुरेश प्रकाश सिंह जी ने कही वह यह थी कि मुझे सन्देह है कि यह विधेयक जिस उद्देश्य और जिस भावना को लेकर किसानों की भलाई के लिये रखा गया है वह इसलिये पूरी नहीं हो पायेगी कि यह गवर्नमेंट जिस पार्टी की है उस पार्टी को जनरल एलेक्शन में बहुत बड़े चन्दे मिल मालिकों की ओर से मिले हैं। इसलिये इस सरकार को मजबूरन मिलमालिकों की तरफदारी करनी पड़ेगी। और साथ ही अपनी बात का उन्होंने खुद ही जवाब भी दे दिया। क्योंकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पार्टी को जमींदारों और ताल्लुकेदारों ने चन्दे दिये और हर तरह से कांग्रेस पार्टी की सहायता की। तब तो फिर मैं नहीं समझता कि जब वे इस बात को मानते हैं कि जमींदारों और ताल्लुकेदारों ने कांग्रेस पार्टी की हर तरह से सहायता की, लेकिन फिर भी उन्होंने यह देखा कि उन्होंने ताल्लुक़ेदारों और जमींदारों की जमींदारियां उसी पार्टी की गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी और जब उस बारे में कोई विधेयक यहां पर आता है तो श्री सुरेश प्रकाश सिंह जी को परेशानी हुई है और उन्हें बुरा मालूम होता है कि जमींदारों के साथ ज्यादती हुई। उन्होंने देखा कि इस पार्टी की गवर्नमेंट ने ताल्लुकेदारियों को भी मिटा डाला, यद्यपि जमींदारों और ताल्लुकदारों ने उनकी सहायता की तो फिर उनके लिये कोई संदेह का स्थान नहीं रह जाता कि मिलमालिकों को किसानों के यातना देने पर दंड नहीं दिया जायगा। इसके साथ-साथ श्री सुरेश प्रकाश सिंह जी ने बोर्ड और परिषद् के भंग करने पर आपत्ति की और उन्होंने इस बात का उत्तर माननीय मन्त्री महोदय से चाहा कि इस विधेयक को पढ़ने से यह कहीं पर ज्ञात नहीं होता कि किन कारणों पर बोर्ड या परिषद् भंग हो सकेंगी। मैं समझता हूं कि उन्होंने बड़े

विचार-पूर्वक इस विधेयक को पढ़ा होगा। जहां बोर्ड और परिषद् के भंग करने की बात कही गयी है उसी के साथ-साथ उनके कर्त्तव्य भी दिये गये हैं। अब जाहिर सी बात है कि जहां एक संस्था के कर्तव्य दिये गये हैं और उसके भंग करने की बात कही गयी है तो एक स्वाभाविक सी बात होती है कि जब वह संस्था अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगी उसी समय सरकार उसको भंग करेगी। सरकार को व्यर्थ ही अपना काम बढ़ाने का शौक नहीं है कि एक ओर एक संस्था की स्थापना करे और दूसरी ओर उसको भंग कर दे।

अब मैं इन शब्दों के साथ कुछ ऐसी परेशानियों के संबंध में जो अब तक किसानों को होती रही हैं बहुत संक्षेप में उन पर अपने विचार प्रकट करूंगा। मैंने इस विधेयक को पढ़ कर यह कोशिश की कि मैं यह देखूं कि जो दिक्कतें किसानों को गन्ना बेचने में और उसका रुपया वसूल करने में होती हैं, यह उन दिक्कतों को दूर करने में कहां तक सफल हो सकेगा।

जहां तक बीज, खाद या अच्छे क़िस्म का गन्ना पैदा करने के लिये किसानों को परामर्श या सहायता देने का प्रश्न उठता है उसमें मुझे कुछ ज्यादा शिकायत नहीं है। लेकिन जब से किसानों के सट्टा करने की व्यवस्था आरम्भ होती है उसी समय से किसानों की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। पहले तो यह बात है कि गांव में जो प्रभावशाली लोग होते हैं यदि, उनके पास गन्ना नहीं होता या कम होता है परन्तु उनका सट्टा लम्बा चौड़ा होता है और जिनके पास अपना गन्ना खड़ा होता है वे बेचारे सट्टे से महरूम रह जाते हैं उनका सट्टा नहीं हो पाता है। इसके लिये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसी एक चीज को प्रमाण मान कर सट्टा किया जाय। या तो उस पटवारी के काग़ज को जिस पर हमारी सरकार के क़रीब-क़रीब सभी कार्य चलते हैं उसी को प्रमाण माने और उसी को देखे लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव यह है कि उस पर जो सट्टा करने वाले कामदार या सुपरवाइज़र होते हैं ध्यान नहीं देते। यदि मैं इस संबंध में उदाहरण देने लगूं तो इस सदन के समय का दुरुपयोग ही होगा। इसके बाद जब परची मिलने का काम शुरू हो जाता है तो सोसाइटी के दफ्तरों में ऐसा देखा गया है कि जो बड़े बड़े फार्मों के मालिक होते हैं अथवा बड़े-बड़े किसान होते हैं शुरू के महीनों में गन्ना उनका ही ज्यादा लिया जाता है और छोटे किसान एकएक परची के लिये परेशान होते हैं जबकि उनको जाड़े के शुरू में तन ढांकने के लिये कपड़े की जरूरत होती है और खाने के लिये अनाज की जरूरत होती है इसी प्रकार की अभी १० जरूरतें होती हैं जिनके लिये परेशान हुये घूमा करते हैं। सोसाइटी के दफ्तर में उनकी बात नहीं सुनी जाती है और साल के अन्त में जब बड़े-बड़े फार्म वालों का गन्ना खत्म हो जाता है और इन छोटे किसानों का गन्ना उजड़ते उजड़ते आधे के क़रीब रह जाता है क्योंकि उनकी फसल बरबाद होती रहती है। जब बड़े-बड़े फार्मों के मालिकों का गन्ना खत्म हो जाता है तब छोटे काश्तकारों का नम्बर आता है। यह मैं हवा की बात नहीं कह रहा हूं। बल्कि अपने निर्वाचन क्षेत्र और निवास स्थान के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं मुझे इस सिलसिले में अनेक परेशानियां और दिक्कतों की शिकायत सुनने का मौक़ा मिला है। अब तौल की बात आती है जिसकी व्यवस्था सुधारने की लिये विधेयक की धारा के २५ की उपधारा (२) खंड २ में कुछ जिकर आया है लेकिन मैं उसको सन्तोषप्रद उस समय तक नहीं मानता हूं जब तक कि अगले सीजन में अमल न देख लूं। भाई शिवराज सिंह जी ने भी इस सिलसिले में काफी प्रकाश डाला है। गन्ना तोलने का यन्त्र इस तरह का बना हुआ है कि उसके संभालने वाले ही उसको समझ पाते हैं और वह सीधे सादे किसानों की समझ के बाहर है। जैसा कि श्री शिवराज सिंह ने बताया उसमें अंग्रेजी में अंक होते हैं और उससे तोलने का अनोखा ही ढंग है। मुझे स्वयं इस यंत्र के बारे में अनुभव हुआ क्योंकि कुछ दिन मुझे आनरेरी निरीक्षक होने का अवसर मिला था और उस समय इसमें यंत्र के जानने वालों से समझ कर भी इसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाया। मुझे लोगों ने बताया कि उस में अगर एक कंकड़ लगा दिया जाय तो उससे दो चार मन का फ़र्क हो जाना मामूली बात है मैंने स्वयं केन कमिश्नर साहब के सामने यह दिक्कत रख दी थी। मैंने उनसे कहा था कि हर सेण्टर पर इस तरह की तराजू होना चाहिये कि जिस पर तौल अनपढ़ किसान भी अपने संदेह को जो अक्सर सही होता है, दूर कर सके। उन्हें आश्वासन दिये आज लगभग २ वर्ष हो गये लेकिन वह अब तक पूरा नहीं हुआ। अनपढ़ किसान कुछ नहीं कह पाते। वह

[श्री महीलाल]

२५ मन भर लाता है और उन्हें १८ मन या २० मन बताया जाता है अथवा इससे भी कम बताया जाता है। कोई राज्य कर्मचारी कहे कि मैं यह हवा की बात करता हूं तो मेरे पास उनके लिये जवाब मौजूद हैं। मैंने खुद सिटी स्टेशन मुरादाबाद पर गन्ने की तौल को चेक किया और उसमें १३ मन २० सेर का फ़र्क पाया था लेकिन आज तक मुझे तो गवाह के रूप में अदालत में जाने का मौक़ा नहीं मिला जब कि उस केस को भेजे आज २ साल के क़रीब हो चुके हैं। इसके अलावा कम तोलने वाले कर्मचारियों के जो केस अदालत में पहुंचते हैं उनके संबंध में भी माननीय मंत्री जी की जानकारी करा दूं कि उनमें ऐसे मामूली दंड दिये गये हैं कि जिसको दंड कहा ही नहीं जा सकता जैसे कोर्ट ने ऐसे आदमी को जिसने कि पूरे रीजन पर हजारों गरीब किसानों का गला काटा केवल एक वार्निंग देकर छोड़ दिया। सम्भव है कि यह विधेयक इस क़िस्म की चीज़ को दूर करे।

मैं एक मोटी सी बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि मैंने इस विधेयक को शुरू से आखिर तक पढ़ने के बाद यह अनुभव किया कि केन कमिश्नर साहब को ही सब अधिकार दे दिये गये हैं। हर बात की जिम्मेदारी और अधिकार उन्हीं को हैं। केन बोर्ड बना, उसमें ६ आदमी किसानों के, ६ मिल मालिकों के और उनका नामांकन केन कमिश्नर करेंगे। विकास परिषद् बना उसमें ३ आदमी या २ आदमी किसानों के और २ फैक्टरी वालों के होंगे उनका नामांकन भी केन कमिश्नर ही करेगा। जो समितियां मौजूद हैं और जिन में चुने हुये प्रतिनिधि आते हैं। मैं समझता हूं कि उनके चुनाव सहयोग समितियों द्वारा ही होने चाहिये। इसके अलावा जहां रुपया दिलाने का प्रश्न है उसमें व्यवस्था की गयी है कि जिलाधीश उस बकाया रुपये को दिला सकता है लेकिन उसमें यह भी रख दिया गया है कि "गन्ना कमिश्नर कलेक्टर को अपने हस्ताक्षर से एक प्रमाण-पत्र भेजेगा जिसमें अध्यासी द्वारा देय गन्ने के मूल्य की बकाया धन-राशि, ब्याज के सहित यदि कोई देय हो, निर्दिष्ट होगी और ऐसे प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने पर कलेक्टर उक्त अध्यासी से प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट धनराशि की वसूली की कार्यवाही उसी प्रकार करेगा मानो कि यह धनराशि मालगुजारी की बकाया हो।" इस बारे में मुझे यह सुझाव रखना है कि किसान मिलकर जिलाधीश से प्रार्थना करें कि रुपया दिलाया जाय तो वह उसी समय उनको रुपया क्यों न दिला दे अथवा जिलाधीश उन किसानों की मांग पर ही मिल मालिकों के खिलाफ़ कार्यवाही करने की व्यवस्था क्यों न कर सके। उसके लिये केन कमिश्नर महोदय को लिख कर उनका प्रमाण-पत्र मंगाने की आवश्यकता क्यों हो? मैं समझता हूं कि कुछ दिक्क़तों की वजह से विधेयक में ऐसी व्यवस्था की गयी होगी जो कि किसी न किसी प्रकार दूर की जा सकती है। मेरी अपनी मांग यह है कि केन कमिश्नर के प्रमाण-पत्र की जो बात इसमें कही गयी है वह नहीं होनी चाहिये। बल्कि उस क्षेत्र के किसान जिस वक्त भी जिलाधीश महोदय के पास जाकर अपना रुपया न मिलने की शिकायत करें जिलाधीश को अधिकार होना चाहिये कि वह उसी समय उनका रुपया दिलाने की व्यवस्था करे। अगर मिल-मालिक रुपया देने में आनाकानी करे तो जिलाधीश को यह अधिकार होना चाहिये कि वह मिलमालिक के खिलाफ़ कानूनी कार्यवाही कर सके। जहां तक मिलमालिकों के हित का संबंध है उनके बारे में विधेयक में व्यवस्था है, ज्यादा कहना इसलिये बेकार ही समझता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इन मिलमालिक ने गत वर्ष में किसान को जितना तंग किया है उसको वे जीवन भर नहीं भूलेंगे। एक ओर तो मिलमालिकों की ओर से बहाना किया जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है और दूसरी ओर मिलमालिक दूसरी फैक्टरी खरीदते हैं। मेरे जिले के किसानों का संबंध तीन मिलों से है, राजा का सहसपुर, अमरोहा और काशीपुर। राजा का सहसपुर की जो फैक्टरी है उसने तो रुपया देने में ज्यादा परेशान नहीं किया पर अमरोहा और काशीपुर की फैक्टरियों ने लोगों को तंग कर डाला है। अमरोहा फैक्टरी के मालिक का यह हाल है कि एक ओर किसानों को रुपया देने में असमर्थता प्रकट करते हैं और दूसरी ओर किछा में दूसरी फैक्टरी खरीद लेते हैं। जब रुपया नहीं तो फैक्टरी कहां से खरीद ली? यही हाल काशीपुर की फैक्टरी का भी है। लेकिन मुझे आशा है कि

इस प्रकार की दिक्कतें और परेशानियां और वह अत्याचार जो मिल मालिकों की ओर से अब तक किसान वर्ग पर हुए हैं भविष्य में इस विधेयक के आधार पर वह रुकेंगे और किसानों को कुछ फायदा पहुंचेगा।

इसलिये मैं पुनः माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये प्रस्तुत हुआ हूं और साथ ही साथ मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये माननीय मंत्री महोदय का आभारी हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। यह विधेयक कितना आवश्यक था, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। इसका प्रमाण यह है कि इस सदन में प्रत्येक वर्ग की ओर से इसका समर्थन किया गया है। यह सही है कि अपने-अपने दृष्टिकोण से कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की है जैसा कि हर एक कानून की होनी चाहिये। यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है किस उद्देश्य से यह इसमें वर्णन किया गया है। मैंने गेंदा सिंह जी का, जिनका चीनी के उत्पादन से, किसानों से तथा मिल मालिकों से भी विशेष संबंध है, व्याख्यान सुना है और उन्होंने जो एतराज किया है उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना और क़रीब ४५ मिनट तक उनका भाषण विधेयक पर हुआ। उन्होंने बड़े-बड़े एतराज़ात किये। ज्यादा समय तो उन्हें उन विषयों के बारे में कहने में लगा था कि जिनका इस विधेयक से खास संबंध नहीं था, जैसे गन्ने के मूल्य के निर्धारित करने के प्रश्न पर बहुत ज्यादा समय हमारे माननीय गेंदा सिंह जी ने लगाया और उनका यह एतराज़ सही एतराज़ है, बहुत हद तक मैं मानता हूं कि मूल्य निर्धारित होना चाहिए, परन्तु यह हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। यह तो केन्द्र से संबंधित है। मूल्य हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। यह एतराज़ उन्होंने ज़रूर किया था कि सूबा सरकार को चाहिये कि केन्द्रीय सरकार से इस बात का अनुरोध करे कि मूल्य गन्ने का निर्धारित कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि ऐसा ज़रूर किया जाता होगा।

दूसरा एतराज़ जो माननीय गेंदा सिंह जी ने किया था वह था गन्ने के विकास के संबंध में कि गन्ने का विकास कैसे किया जायगा इसके लिये इसमें कोई योजना का वर्णन नहीं किया गया है। मुझे आश्चर्य हुआ उनका यह एतराज़ सुन कर इसका जवाब माननीय मंत्री महोदय ने तत्काल ही उसी समय दे दिया था कि यह तो उद्देश्य में वर्णित है। इसका उद्देश्य अगर पढ़ा जाय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो इस बिल के उद्देश्य को हम चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला यह है कि गन्ने के समुचित वितरण का प्रबंध करना। दूसरा है वैज्ञानिक रीति से गन्ने का विकास करना, तीसरा है चीनी तथा गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा करना और चौथे में है नये अधिनियम को स्थायी रूप देने का विचार। इन चार भागों में इसके उद्देश्य को हम विभाजित कर सकते हैं। तो विधेयक को जब हम गौर से पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें वर्णन किया गया है कि कैसे गन्ने के उत्पादन का विकास किया जाय। इसके लिये जो कार्यवाही की गयी है, इसमें जो नियम बनाये गये हैं वे ये हैं कि विकास बोर्ड स्थापित किया गया है, परिषद् स्थापित की गयी है और यह सोचा गया है उनके द्वारा गन्ने के उत्पादन में जो हमारे यहां खामियां हैं उनको दूर करके उत्पादन बढ़ायेंगे और विकास करेंगे। हम यह मानते हैं और सदन मानता है कि गन्ना हमारे प्रान्त की खेती की मुख्य उत्पादन की एक चीज़ है। सारे प्रान्त में जो चीनी का उत्पादन होता है और माननीय सदस्यों ने भी इसका वर्णन किया है कि हमारा प्रान्त बिहार को लेकर के, गेंदा सिंह जी ने भी ऐसा ही कहा था, हम सारे देश को चीनी दे सकते हैं। मैं कहता हूं कि केवल हमारा प्रान्त ही सारे हिन्दुस्तान के लिये चीनी उत्पादन कर सकता है। हम में यह क्षमता है और मैं तो उस ज़िले से आता हूं और उस ज़िले का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां गन्ने की खेती विशेष तौर से होती है। अब तक हमको खतरा रहता था, जो परेशानियां रहती थीं उनको भी हमने देखा है और उनको भोगा है। गन्ना स्टेशनों पर जाता था और क्या होता था वह सब माननीय सदस्यों को, जो उपस्थित हैं, मालूम है और मेरा विचार है कि सब लोग किसी न किसी रूप से उसको स्वयं भुगते होंगे। हालत यह होती

[श्री ब्रजविहारी मिश्र]

थी, जैसा अभी एक माननीय सदस्य महोदय ने भी कहा कि परेशानियां होती रहती हैं गन्ने की पुर्जी लेने में, गन्ने को स्टेशन तक पहुंचाने में, गन्ने की तोल करने में और फिर गन्ने की क़ीमत लेने में किसानों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ता था वह उनको बहुत अखरता था, क्योंकि गन्ने की वह फसल है जिसको जेठ में तो हम कमाते हैं, उत्पादन करते हैं और माघ में पेरते हैं। यानी जेठ की गरमी में, तपती हुई धूप में पानी दे कर गन्ने का उत्पादन करते हैं और माघ में उसका गुड़ बनाते हैं या माघ के महीने में उसको ले जाते हैं स्टेशनों पर देने के लिये, लेकिन मैं आपको बतलाऊंगा कि जिन कठिनाइयों का पहले हमको सामना करना पड़ता था, हमारे किसानों को जिन विपत्तियों का सामना करना पड़ता था, वह यह थी कि आधे-आधे दामों पर तीन-तीन रोज तक गाड़ियां लेकर वह खड़े रहते थे और आधे दामों पर, अगर ५० मन ईख है तो २५ मन की क़ीमत लेकर उसको वापस जाना पड़ता था। इन् सब बुराइ ों को दूर करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है और इसमें जो दफ़ायें,जो धारायें रखी गई हैं उनसे मेरा तो अनुमान है कि बहुत सी कठिनाइयां जो किसानों को पड़ती रही हैं वे दूर हो जायंगी। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था और माननीय गेंदा सिंह जी ने भी कहा था कि गन्ने का मूल्य उत्पादकों को शीघ् मिल जावे, यह उनका कहना था। हम, सदन के सारे माननीय सदस्य यह चाहते हैं और उसके लिये इसमें विधान बनाया गया है। जो धारा १६ इस में है उसमें इसके लिये प्राविज्ञन किया गया है। माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा था कि १३ करोड़ रुपया, ९ करोड़ किसानों का और ४ करोड़ के क़रीब सरकार का मिल मालिकों के यहां बाक़ी है। इसके माने यह हुये कि १३ करोड़ रुपये मिल मालिकों के जिम्मे शेष रहे। तो उसके लिये विधान यह बना दिया गया है कि अब तो मालगुजारी के तरह से, गवर्नमेंट रेवेन्यू की तरह से वह वसूल हो जायगा। अब बाकी का प्रश्न नहीं रहेगा। मैं तो यह कहूंगा कि इस विधेयक में यह जनहित का इतना बड़ा कल्याणकारी क़दम उठाया गया है जिससे हमारी सारी समस्यायें हल हो जायंगी। एक मसल है "नौ नगद न तेरह उधार"। अगर १३ उधार की जगह हमको ९ ही तुरन्त मिल जाय तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो यह एक धारा लाकर इस विधेयक में सरकार ने ऐसा काम किया है जिसके लिये वह भूरि-भूरि प्रशंसा की पात्र है। इसके अतिरिक्त इसमें और भी धारायें ऐसी उपयोगी रखी गयी हैं जिनके लिये भी सरकार बधाई की पात्र है। उनमें से मैं धारा १९ और धारा २० का उल्लेख करूंगा। धारा १९ में कुछ अपराधों के लिये संबंधित व्यक्तियों पर मुक़दमा चलाने के लिये नियम रखा गया है और धारा २० में उन आदमियों पर मिल मालिकों तक पर मुक़दमा चलाने के लिये रखा गया है और ६ महीने तक उनकी सजा कर देने का नियम बना दिया गया है। उस पर भी एतराज किया गया है। जिस माननीय मित्र ने एतराज किया उन्होंने यह कहा कि इसमें शब्द "आर" है और यह होना भी चाहिये था। वह भूल गये, मेरा जहां तक ख्याल है, इस दफा २० को अगर वह गौर से देखें, अंग्रेजी वाला ही मैं पढ़ दूं, "आर बोथ", लिखा हुआ है, यानी दोनों सजा कर सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट भी है और फाइन भी है। एक एतराज उनका और था और हम समझते हैं कि वह उचित था। उन्होंने कहा कि फाइव थाउजेंड (पांच हजार) जुर्माना तो आप कहते हैं, लेकिन प्राविज्ञन उसमें नहीं रखा गया है जैसे कि कल आप ने एक विधेयक प्रस्तुत करके यह प्रबंध कर दिया कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को पावर दी गयी कि एक हजार से ऊपर के जुर्माने की सजा भी वह दे सके तो उसी दृष्टि से मैंने इसमें देखा और मैं उनसे सहमत हूं, मुझे इस बिल में यह नहीं मालूम होता है कि ५ हजार की सजा मैजिस्ट्रेट कैसे करेगा क्योंकि किसी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को एक हजार से अधिक की सजा देने का अधिकार नहीं है। मेरा ख़्याल है कि उनका एतराज यही था। इसके लिये हम समझते हैं कि कोई प्राविज्ञन इसमें हो जाना चाहिये और माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे और विचार करके कोई प्राविज्ञन कर देंगे क्योंकि वह ५ हजार की सजा कैसे कर सकता है जब तक कि हम उसके पावर को नहीं बढ़ाते हैं। क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड में जहां तक मुझे याद है मैजिस्ट्रेट को सिर्फ एक हजार रुपये का ही जुर्माना करने का अख्तियार है। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को एक हजार तक जुर्माना करने का अधिकार है

लेकिन इसमें ५ हजार का अधिकार दिया जा रहा है। इसलिये आप को इसमें कहीं न कहीं अमेंडमेंट ला कर के दफ़ा २० के अन्दर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को अधिकार देना होगा ताकि वह ५ हजार तक जुर्माना कर सके। मेरा यह सुझाव है, माननीय मंत्री जी से, कि इसमें यह खामी रह गयी है और इस पर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे।

माननीय सुरेश प्रकाश जी ने कुछ एतराजात किये थे उनका जवाब दिया जा चुका है और उसे अब दोहराने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और मै कह देना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि हमने देखा है और दफ़ा २० हमने बड़े ग़ौर से पढ़ी है। परचेजिंग एजेण्ट के लिये तो इसमें मुक़दमा चलाने का मौक़ा है जिस पर कि मुक़दमा चलाया जायगा लेकिन जो बीच वाले दलाल हैं, जो गड़बड़ी करते हैं उनके लिये इसमें कोई प्राविजन नहीं मालूम होता है। दफ़ा २० में लिखा हुआ है, "The occupier or the manager of the factory or the purchasing agent contravenes"

[यदि किसी फैक्टरी का अध्यासी अथवा प्रबन्धक या खरीदारी एजेण्ट उल्लंघन करे।] परचेजिंग एजेण्ट अगर ग़लती करता है तब तो दफ़ा २० के अनुसार उसका प्राजीक्यूशन हो जायगा लेकिन जो तौलने वाले होते हैं, जो तोलने में बड़ी गड़बड़ी करते हैं उनके लिये तो इसमें प्राविजन नहीं है। मेरा ख्याल है कि दफ़ा २५ आपने जो रखा है उसके अन्दर यह आयेगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हम सब को मालूम है कि ला कोर्ट्स बाल की खाल निकालते हैं। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर दोबारा ग़ौर कर लिया जाय ताकि हम ऐसे लोगों पर भी मुक़दमा चला सकें जो कि ऐसी कार्रवाई करते हैं जिससे किसानों का गला कट जाता है। मैं जानता हूं और सैकड़ों आदमी जानते होंगे कि तौल करने वालों के दलाल वहां कांटे पर मौजूद रहते हैं। वह कांटे में पत्थर वगैरह लगा देते हैं जिससे कि ३० मन गन्ना २५ मन और कभी-कभी २० मन हो जाता है। मैंने स्वयं जाकर के ऐसा देखा है और मैंने उन लोगों पर मुकदमा चलाने के लिये अनुरोध भी किया है। मैं आशा करता हूं कि ईख की फसल को, माननीय मंत्री जी जानते होंगे, उपाध्यक्ष महोदय, और इस सदन के सभी सम्मानित सदस्य जानते होंगे कि कितनी मेहनत से किसान अपना खून जला कर, उसे पैदा करता है। इसलिये इस फसल को इस प्रकार से बरबाद न होने दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने श्री गेंदा सिंह जी के जवाब में वचन दिया था अगर कोई ग़लती बाद में भी मालूम होती है तो भी उसे दुरुस्त हो जाना चाहिये। ग़लतियां दुरुस्त हो जायंगी।

श्री रामेश्वर लाल (ज़िला देवरिया)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि मैं इस विधेयक को संज्ञा दूं तो मुझे कहना पड़ेगा कि यह विधेयक बच्चों के लिये रस स्वाद, जवानों के लिये शिक्षा, किसानों के लिये आशा और लाभ, पूंजीपतियों के लिये धन और ज्यादा मुनाफ़ा और सदन के लिये राज सत्ता के लिये मुनाफ़ा है। इसलिये ऐसे गम्भीर विषय पर आप ने जो मुझे बोलने का अवसर दिया है उसके लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं। माननीय उद्योग मंत्री जी के भाषण के साथ-साथ मैंने अन्य माननीय सदस्यों के भाषण को भी बड़े ग़ौरसे सुने। मैंने देखा कि जब कभी भी हमारे सत्ताधारी दल की तरफ़ से कोई भी माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुये हैं तो उन्होंने वैज्ञानिकता, अवैज्ञानिकता, असंगतता आदि की बातें उपस्थित की हैं। क़ीमत के लिये लोगों ने कहा कि यह केन्द्रीय सरकार के अधिकार का विषय है और इसे यहां छेड़ना उचित नहीं है। मैं सदन का ध्यान इस पुस्तिका के अन्त में १४वें पन्ने पर ले जाना चाहता हूं जहां उद्देश्य और कारण लिखे हैं। माननीय उद्योग मंत्री जी ने विधेयक उपस्थित करते हुये अन्त में लिखा है कि ८ मई, १९५२ ई०, से इण्डस्ट्रीज़ (डेवलपमेंट ऐण्ड रैग्यूलेशन) ऐक्ट, १९५१ के प्रचारित होने से, चीनी उद्योग विनियमन एक मात्र केन्द्रीय विषय हो गया है। राज्य सरकार का कार्य अब केवल यह रह गया है कि चीनी की फैक्टरियों को गन्ने की पूर्ति का प्रबंध करे। और नीचे है कि फैक्टरियों में गन्ने के समुचित वितरण,

[श्री रामेश्वर लाल]

व्यवस्थित वैज्ञानिक रीति से गन्ने का विकास, उद्योग तथा गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा व्यवस्था की दृष्टि से तथा इस नये अधिनियम को स्थायी रूप देने के विचार से, यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

इसके तीन उद्देश्य मुख्य हैं, वितरण, विकास और व्यवस्था। सारांश यह है कि यह विधेयक इन तीन चीजों के आधार पर आधारित है और इसी दृष्टिकोण से हम विरोधी पक्ष के लोग बोले हैं, यह नहीं है कि केवल विरोध के लिये हम बोल रहे हों। इसलिये यदि हमारी बात ठीक है तो उसे बिना संकोच के मान लेना चाहिये। जब फ़ैक्टरियों को गन्ने की पूर्ति का काम इस विधेयक का मतलब है तो आप को मानना पड़ेगा कि पूर्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि प्रोडक्शन न हो और प्रोडक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके करने वालों की हालत पर आपका ध्यान न जाय। इसलिये केन्द्रीय सरकार का विषय होते हुये भी हमारी सरकार का भी यह विषय है कि वह इस पर एक सरसरी किन्तु पैनी दृष्टि से विचार करें। मैं कहूंगा कि इस संबंध में आपको अन्य चीज पर भी विचार करना होगा, जैसे गन्ने की तोल का विषय है। हमारे साथियों ने और कई बातों पर भी प्रकाश डाला है। अभी सत्ताधारी पक्ष की ओर से जब एक कांग्रेसी सज्जन बोल रहे थे तो उन्होंने सन् १९३२ की चर्चा की और कहा कि देवरिया में गन्ना उत्पादकों की ओर से उनका संगठन उन्होंने बनाया था। उस वक्त जो अव्यवस्था थी वह आज दूर हो गई है। मैं आप का ध्यान देवरिया की उन १३ मिलों की ओर ले जाना चाहता हूं जहां आज खूब धांधली हो रही है। मैं गन्ने के उत्पादकों की जरूरी चीजों की ओर आप का ध्यान ले जाना चाहता हूं। सब से पहली असुविधा उनको यह रात की तौल है। मिल मालिक दिन में कम तौल करते हैं और रात में तौल ज्यादा होती है। रात की तौल में गन्ने की कटौती होती है। सदन के नियम उल्लंघन करने का मुझे मौक़ा न होता तो मैं शायद आपको कहता कि हमारे यहां रात की तौल में मिलों ने गड़बड़ियां कीं और २-३ और ४-४ मन तक एक एक गाड़ी में उन्होंने गन्ने की कटौती की। आज उन पर मुक़दमें शायद चल रहे हैं या नहीं मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि रात की तौल, माननीय मंत्री जी, बंद कर दी जाय। प्रश्न होता है कि अगर रात की तौल बन्द कर दी जाय तो मिल के लिये इन बारह घंटों में आवश्यक गन्ना किस तरह से प्राप्त होगा। यह तो हो ही सकता है यदि किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुये कहना चाहूंगा कि आप इस विधेयक पर गम्भीरता से विचार करें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इसके द्वारा जिलाधीश, केन कमिश्नर तथा संबंधित अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देकर आप गरीबों की गाढ़ी कमाई का पैसा लुटवाना चाहते हैं। आज आप ने इस कानून के अन्दर एक धारा रखी है वह धारा १६(४) है। उसमें लिखा है कि "गन्ना कमिश्नर कलेक्टर को अपने हस्ताक्षर से एक प्रमाण पत्र भेज सकता है जिसमें अध्यासी द्वारा देय गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि, ब्याज के सहित यदि कोई देय हो, निर्दिष्ट होगी, और ऐसे प्रमाण पत्र के प्राप्त होने पर कलेक्टर उक्त अध्यासी से प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट धनराशि की वसूली की कार्यवाही उसी प्रकार करेगा मानों कि यह धनराशि मालगुजारी की बकाया हो।" तो इस तरह की बकाया की वसूली को मालगुजारी की वसूली की तरह वसूली के लिये सामने अधिकार दे दिये हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान और दफाओं की ओर भी ले जाना चाहता हूं।

मैं माननीय मंत्री जी का इधर ध्यान आकर्षित करते हुये कहना चाहता हूं कि शायद आप को मालूम होगा कि गन्ना के काम प्रायमरी सोसायटी और केन यूनियनें भी करती हैं। वे भी कई तरह की कटौती करती हैं, जैसे कि रोड़ डेवलपमेंट की कटौती होती है और अस्पतालों वगैर की कटौती होती है। इनके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मिल वाले जो यह कटौती करते हैं उनका ठीक-ठीक हिसाब वह यूनियन्स को नहीं देते हैं। इसलिये आप का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि आपने जिस तरह से गन्ने की बकाया को वसूली के लिये मालगुजारी की बकाया

की वसूली के लिये अधिकार दे रखे हैं वैसे ही इनको भी वसूली का इन्तजाम करें। यदि अधि-नियम में आप ने यह कार्य किया होता तो बहुत अच्छा होता।

(इस समय ३ बज कर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)।

अभी जो हमारे साथी ने कहा कि मिलों पर छाया पानी आदि की व्यवस्था है। कम से कम मिलों पर १०००-१२०० गाड़ी वाले एकत्र प्रतिदिन होते हैं। वहां पर यदि आप ध्यान से देखें, और जहां तक मैंने अपने जिले में देखा है, कहीं भी २५-३० बैलों की जोड़ी के ठहरने के अलावा ३००-४०० आदमियों के ठहरने की व्यवस्था नहीं है, जो गाड़ीवान होते हैं। पानी की बात तो दूर रही। अंधकार भी वहां काफी रहता है। इस तरह से जो लोग वहां पर प्रबंध करने के लिये मिल वालों की तरफ से रहते हैं वे भी गड़बड़ करते हैं और वहां पर चोरियां भी होती हैं। इधर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो यह है कि २४ घंटे के अन्दर गाड़ियां तुल जाना चाहिये। इसके लिये भी आपको व्यवस्था अपने विधान में करनी चाहिये, जिससे कि २४ घंटे के अन्दर सब गाड़ियों की तौल हो जानी चाहिये और अगर कोई मिल मालिक ऐसा नहीं कराता है तो उसी प्रकार जिस प्रकार कि १५ दिन के अन्दर लगान की बकाया की तरह से गन्ने के बकाया धन की वसूली करने का कलेक्टर को आपने अधिकार दिया हैं उसी तरह से अन्य वसूलियों में भी होना चाहिये। ३-४-५ और कभी कभी तो सात-सात दिन तक गाड़ियां मिलों पर जमा रहती हैं, किसान परेशान रहता है और गन्ने को फेंक कर वापिस चला जाना चाहता है। इस हालत में अगर कोई मिल मालिक अपनी दुर्व्यवस्था से गन्ने के निश्चित समय के अन्दर नहीं तुलवा पाता तो उसे जुर्माना या पैनेल्टी के तौर पर कुछ काश्तकारों को दंड देने की व्यवस्था विधेयक में करनी चाहिये थी।

उसके साथ साथ खजानों की संख्या भी बढ़ाई जाय। आज मिल मालिक जैसा कि विरोधी पक्ष के एक साथी ने कहा कि स्थानीय सत्ताधारी नेताओं के साथ इलेक्शन आदि में या अन्य अवसरों पर उनकी सहायता किया करते हैं तो इसलिये उनको बहुत सी बातों में छूट मिला करती है। मैं आपसे अपने जिले की बात करूं मुझे मालूम है कि मेरे जिले की एक फैक्टरी ने चुनाव के अवसर पर दस हजार रुपये चेक द्वारा हमारे एक साथी को जिताने के लिये जो सत्ताधारी दल में आज मौजूद हैं प्रदान किये थे। इसी तरह से मुझे यह भी मालूम है कि एक विधान सभा के सदस्य को जिताने के लिये एक मिल वाले ने अपनी सारी ताकतें, कार, पैसा सब दिया जब एक सत्ताधारी बड़े आदमी ने उनसे जाकर कहा कि तुम इनकी मदद करो। विधान सभा के काल में जब वह यहां पर उपस्थित रहा करते थे, तो मिल से उनकी तनख्वाह भी मिला करती थी और आज भी मिलती है जब कि वह मिल में काम नहीं किया करते। इस तरह की सुविधायें मिलने पर यदि विरोधी दल के लोगों को इस कानून के लागू करने में शंका है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कही जा सकती।

इसके साथ ही साथ आपने इस अधिनियम में यह बताया है कि कलेक्टर की आज्ञानुसार पैसा लेना देने की सुव्यवस्था मिल मालिक कर सकता है। मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप उस पर कुछ गौर करें। कलेक्टर के संबंध में यदि मुझे कुछ शंका हो तो कोई बहुत बड़ी ज्यादती आप नहीं कह सकते हैं। मैं जानता हूं और सदन के सभी लोगों को यह मालूम है कि वे पढ़े लिखे लोग जो कलेक्टर के पदों पर आज जिलों में मौजूद हैं वे लोग हैं जिनको हम ऊंचे वर्ग के लोग कहते हैं। जिनको कृषि के बारे में बहुत कम जानकारी होती है, जिनका जीवन ऐश आराम में कटा है। इसलिये किसानों के मामलों को अगर वे देर से समझते हैं या नहीं समझते हैं, और अपने हमवर्ग की बातों को ज्यादा समझते हैं। अगर हम यह आक्षेप करें तो कोई बहुत दूर का आक्षेप नहीं होगा। मैं आपको राय दूं कि आपने डेमोक्रेटिक तरीकों से डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन का चुनाव हर जिले

[श्री रामेश्वरलाल]

में कराया है और उनका १५, २० केन यूनियन द्वारा चुना हुआ एक सभापति होता है। अच्छा होता यदि आप अपने इस बिल में जिला कलेक्टर की जगह फेडरेशन के सभापति को यह अधिकार देते कि वह मिल मालिकों से मिल कर इस तरह की व्यवस्था करे जिसका आपने इस विधेयक में जिक्र किया है। अभी अभी डेमोक्रेसी के कुछ हिमायतियों ने आज भी जनतंत्र का नाम लिया है। मैं कहता हूं कि यहां पर आया हुआ कोई भी सदस्य जनतंत्र को समझे बिना नहीं आया है। अगर थ्योरिटिकली नहीं समझा है तो प्रैक्टिकली जैसा कि वह चुनाव में जीत कर आया है समझ कर तो आया ही है। इसलिये मैं कहूंगा कि जनतंत्र के नाम पर फेडरेशन के सभापतियों पर अगर हम ज्यादा निर्भर करें बजाय उन कलेक्टरों के ऊपर जो किसानों की समस्या से अनिभिज्ञ आज हमारे ऊपर शासक की तौर पर बैठे हुये हैं तो अधिक अच्छा होगा।

एक चीज की ओर मैं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज इसमें कोई शक नहीं कि २०, २२ लाख मन के करीब एक शुगर फैक्टरी पेराई करती है पूरे एक सीजन में। इसमें भी शक नहीं कि पुर्जियों के भुनाने की व्यवस्था के मामले में बहुत से किसानों की पुर्जियां बिला भुने ही रह जाती हैं। और रह गयी हैं। और बहुत सी पुर्जियां खजानों पर भीड़ होने के कारण गुम भी हो जाती हैं और इन तमाम प्रकार की पुर्जियों की अगर कीमत लगाई जाय तो १२ से १५ हजार रुपये तक की पूंजी मिल मालिकों के जिम्मे रह जाती है। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय का ध्यान इधर आकर्षित करते हुये विनम्र प्रार्थना करूंगा कि यदि वह रुपया जो किसानों की गाढ़ी कमाई का है मिल मालिकों के पास न रह कर फेडरेशन्स के सभापतियों और इस मामले में मैं इस पर भी सहमत हूं कि जिलाधीश से मिल कर वह रुपया सार्वजनिक कार्यों में लगाया जाता, ऐसी कोई व्यवस्था की गयी होती तो वह बहुत अच्छा होता और मैं स्वागत करता, इसलिये यह भी आवश्यक है कि उनपर्चियों का रुपया जो कि मिल मालिकों के पास रह जाता है वह सारा का सारा सार्वजनिक कामों में लगाया जाय। अगर इस विधेयक में कहीं भी ऐसा होता तो अच्छा होता।

इसके बाद इस विधेयक की धारा ६ (५) की तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं, उसमें लिखा है—

"(५) गन्ना कमिश्नर के सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अधीन विकास योजनाओं के निष्पादन के लिये अपने अधीनस्थ निधियों को लगाना।"

लिखा गया है कि वे अधीनस्थ निधियों को व्यय कर सकते हैं जिसके लिये गन्ना कमिश्नर की मंजूरी आवश्यक है। इसके बारे में मैं आपसे यह कहूंगा कि उन सोसाइटीज और उन संस्थाओं पर जो जनता की चुनी हुई हैं आपको अविश्वास नहीं करना चाहिये उनको तो आपको सीधे ही अधिकार दे देने चाहिये कि उनके अधीन जो निधि है वे उसको विकास-कार्य में लगा सकें। अधीनस्थ निधियों के बजाय उक्त अधिनियमों में अगर यह जोड़ दिया गया होता कि विकास कार्यों में व्यय के लिये समितियां सरकार से सहायता लेकर सब कार्यों में व्यय कर सकती हैं तो अधिक उत्तम होता। एक और खास चीज जो हमारे साथी देख कर फूल गये हैं वह यह है कि इस विधेयक में यह लिखा हुआ है कि अगर १५ दिन तक गन्ने की कीमत मिल मालिक अदा न करें तो उनकी गिरफ्तारी का अधिकार कलेक्टर को होगा और उसकी वसूली लगान तरीके से होगी। इस संबंध में मैं आपका ध्यान लगान वसूली की तरफ दिलाना चाहता हूं। मेरे जिले में बहुत से बड़े-बड़े लगान देने वाले हैं वे कभी भी हवालात की कोठरियों में नहीं गये। आप आक्षेप कर सकते हैं कि उन्होंने समय से पहले पैसा अदा कर दिया होगा लेकिन मैं एक दो को नहीं, कइयों को जानता हूं कि उन्होंने समय पर पैसा नहीं दिया और जब कि किसानों को उसी के लिये काल कोठरी में बन्द किया जाता है, कुर्की की जाती है, वारंट निकाला जाता है, बंदर की

तरह से उसको घुमाया जाता है। उस समय २-२,३-३ महीनों तक भी रुपया अदा न करने पर बड़े लोगों से कुछ भी नहीं कहा जाता। तो फिर क्या मैं यह विश्वास कर लूं कि जिलाधीश इन पूंजीपतियों और मिल मालिकों से आपका वह रुपया लगान की तरह वसूल करेगा। क्या कुर्क अमीन उसकी कुर्की कर सकेगा ? नहीं। मुझे खूब मालूम है। आप जो इस धारा पर फूले नहीं समाते तो उस पर फूलने की जरूरत नहीं है, आप यह न समझें कि आपने यह बहुत बड़ा अधिकार दे दिया है।

मैं आशा करता हूं कि मेरे इन सुझाओं पर विचार किया जायगा और उनको समझा जायगा केवल यह ख्याल न किया जायगा कि विरोध विरोध के लिये ही किया गया है। अगर कहीं आपकी सूझ बूझ ने गलती खाई है तो आप उसको मान लें। मैं मानता हूं कि आप ईमानदारी के साथ इस पर विचार करेंगे और ईमानदारी का यह तकाजा होता है कि यदि आपने कोई गलती की है तो आप उसको स्वीकार कर लें। उसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और जो सुझाव मैंने रखे हैं उनको उसमें जोड़े जाने की आशा करता हूं।

श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे दोस्त जो मुझसे पहले बोल चुके हैं उन्होंने बहुत सी अनर्गल बातें कहीं, मैं उनमें से कुछ का जवाब देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे अनर्गल शब्द को वापस ले लें क्योंकि यह अन-पार्लियामेंटरी है।

श्री बद्री नारायण मिश्र---मैं इसे वापिस लेता हूं। हमारे दोस्त ने कहा कि मिल मालिकों से गाड़ियां मांगी गयीं, रुपया मांगा गया लेकिन हमारे दोस्त ने यही नहीं किया बल्कि उन्होंने इस चुनाव के दौरान में हत्यायें कराई, डकैती करवाई, चोरियां करवाईं और कौन कौन से कुकर्म करवाये, इसका प्रमाण खुद हमारे दोस्त देंगे। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जब यह चुनाव हो रहा था इस दौरान में श्री माधव शाही की हत्या करायी गयी, उसके बाद हमारे दोस्त के द्वारा वहां एक नाटक खेला गया और उस नाटक में.....

श्री अध्यक्ष---मैं आपसे कहूंगा कि कोई व्यक्तिगत हमला न करें। क्योंकि यहां पर विचार हो रहा है विधेयक के ऊपर, तो उसी के संबंध में बातचीत करें। यहां पर कोई दलबंदी का झगड़ा नहीं है।

श्री बद्री नारायण मिश्र---अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल की तरफ से यह प्रदर्शन करके और नाटक खेल करके बतलाया गया, माधव शाही की जो रिपोर्ट पुलिस में दाखिल है।

श्री अध्यक्ष---आप विधेयक के ऊपर आवें।

श्री बद्री नारायण मिश्र---मैं विधेयक के संबंध में ही आ रहा हूं। विरोधी दल की तरफ से कहा गया है.....

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। यहां गरमा-गरमी नहीं होनी चाहिये। यहां बिलकुल शांत वातावरण रहना चाहिये।

श्री बद्री नारायण मिश्र---मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। इस चुनाव के सिलसिले में जो-जो कुकर्म हुये उन कुकर्मों को एक एक करके गिनाने में मैं बिलकुल असमर्थ हूं। चूंकि आपकी तरफ से बार बार हस्तक्षेप हो रहा है कि हाउस में इन कुकर्मों को कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विरोधी दर की तरफ से इस तरह की बातें कही जाती हैं तब आपकी तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं होता कि आप ऐसी बातें न कहें।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके अपने विषय पर आ जायं अन्यथा मुझे आपसे अपना स्थान ग्रहण करने के लिये कहना पड़ेगा ।

श्री बद्री नारायण मिश्र---विरोधी दल की तरफ से जब इस तरह की बातें कही जाती हैं तब आप हस्तक्षेप नहीं करते जब कि हम लोगों की तरफ से इस तरह की बातें कहने पर बार-बार हस्तक्षेप करते हैं ।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके अपने इन शब्दों को वापस लें ।

श्री बद्री नारायण मिश्र---मैं वापस ले रहा हूं ।

जहां तक कि बिल का सम्बन्ध है मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं इसको अच्छी तरह से समझ रहा हू कि यह नितान्त आवश्यक बिल है और इसको जितना जल्द से जल्द हो सके पास करके इसे कार्य रूप में परिणत करना चाहिये । जहां तक हमारे यहां के गन्ने का सम्बन्ध है यह बात बिलकुल सही है कि गन्ने की गाड़ियों में मिल मालिक कटौती करते हैं, गन्ने की चोरियां करते हैं लेकिन उसके लिये सत्ताधारी दल को जो दोष दिया जाता है कि इसमें सत्ताधारी दल का भी हाथ है यह बिलकुल गलत है । विरोधी दल के लोग भी गन्ना डेवलपमेंट में उसी तरह से हैं जैसे कि सत्ताधारी दल के लोग हैं । जैसे सत्ताधारी दल वालों का अधिकार है वैसे ही उन लोगों का भी वहां अधिकार है । केन डेवलपमेंट यनियन में आप जाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां सब विरोधी दल के ही लोग हैं जो चोरी करते हैं, कटौती करते हैं जब कि सत्ताधारी दल वाले उसको कुछ रोकथाम भी करते हैं एक ही जगह का नहीं बल्कि मेरे पास बीसों जगहों के प्रमाण हैं कि विरोधी दल के लोगों ने किसानों के गन्ने में से कितनी कटौती की है । भटनी यूनियन को ही ले लीजिये हर एक आदमी जानता है कि वहां रोज विरोधी दल की तरफ से कितनी कटौती होती है ; वहां पर विरोधी दल का बहुमत है । आप किसी भी किसान से जाकर पूछ लीजिये, कोई भी निष्पक्ष आदमी जो तीसरी पार्टी का हो जिसका उन पार्टियों से कोई भी संबंध न हो, राम रहीम किसी से भी जांच करवा लें तो आपको मालूम होगा कि वहां कितनी कटौती होती है । इतना ही नहीं बल्कि जहां जहां विरोधी दल के मेम्बर नहीं हैं, जहां वे कमजोर पड़ते हैं वहां के लिये तो वे सत्ताधारी दल की बातों को तिल का ताड़ और राई का पर्वत बना देते हैं ।

श्री अध्यक्ष---आप अब अपने दिल की बात काफी कह चुके । शांत होकर आपको अब अपने विषय पर आना चाहिये ।

श्री बद्री नारायण मिश्र---मैं उसी विषय पर आ रहा हूं । यह जो कहा गया है कि मैं विषय से बहुत बाहर ही रहा तो अब मैं उस बिल के संबंध में कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष---एक बात माननीय सदस्य को समझ लेना है कि उनकी यानी पूर्व वक्ता की मेडिन स्पीच थी इसलिये उनको वैसा कहने की थोड़ी गुंजाइश दी गयी और वैसा करना पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुसार था । इसीलिये उनके साथ वह व्यवहार किया गया लेकिन आपके साथ वह व्यवहार नहीं किया जा सकता ।

श्री बद्री नारायण मिश्र---मैं यह कह रहा था कि यह बिल नितांत आवश्यक है और इसको जल्द से जल्द पास करके कार्य रूप में परिणत करना चाहिये । मेरे दोस्त ने जो बातें कहीं उनके संबंध में तो हर एक आदमी जान ही गया । उनका जवाब तो मैं देना चाहता था लेकिन उन शब्दों में जवाब देना अनुचित है इसलिये अब मैं बैठ जाता हूं ।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि इस विधेयक के संबंध में आपस में कुछ ऐसी बातें हो गईं, जो नहीं होनी चाहिये थीं । यदि कोई गलती विरोधीपक्ष या सत्ताधारी पक्ष की ओर

से होती है तो वह किसी प्रकार से भी क्षम्य नहीं है। दोनों तरफ के लोगों को प्रयत्न इस बात का करना चाहिये कि हम कोशिश इस बात की करें कि कोई गलती इस कानून के संबंध में न हो। कोई गलती यदि होती है तो उसको हमेशा ठीक करने की कोशिश की जाय। इस विधेयक का जहां तक संबंध है मैं समझता हूं कि हम लोगों ने इस बात की कोशिश नहीं की कि कितने लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है और गन्ने का व्यवसाय हमारे प्रदेश के लिये कितना उपयोगी और कितना आवश्यक है। अगर सन् १९४८-४९ के आंकड़ों को हम देखें तो हमें यह पता लगेगा कि हमारे कुल देश में कुल १३४ मिलें हैं उनमें हमारे प्रदेश में ६५ मिलें हैं और उन गन्ने की मिलों से जो चीनी पैदा हुई उन आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि कुल १० लाख टन मन चीनी में से हमारे प्रदेश में ५ लाख २७ हजार टन चीनी पैदा हुई है। अगर ३० रुपये मन चीनी की बिक्री का औसत रख लें तो आप देखेंगे कि ४२ करोड़ रुपये से भी ऊपर की चीनी हमारे प्रांत ने उन सालों में पैदा की है। इसी तरह से आगे आप चलियेगा तो आप देखेंगे कि इस उद्योग में १ लाख ३० हजार मजदूर लगे हुये हैं और यूनिवर्सिटियों से पास किये हुए ३ हजार से भी ऊपर लोग इसमें काम करते हैं। इसी प्रकार से ११० के करीब केन सोसाइटीज हमारे प्रदेश में भिन्न-भिन्न चीनी मिलों पर काम करती हैं और उनकी मेम्बरशिप १६ लाख से भी ऊपर है। इन आंकड़ों के देखने से पता चलता है कि हमारे प्रदेश में चीनी मिलों और गन्ने के व्यवसाय का कितना बड़ा महत्व है। अब जो यह विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है इसमें एक बड़ी भारी कमी है और माननीय मंत्री जी ने उस ओर पहले ही संकेत किया है कि जहां तक गन्ने की कीमत मुकर्रर करने का संबंध है वह हमारे हाथ में अब नहीं रहा। यह बात ठीक है कि यह हमारे हाथ में नहीं रही जबकि यह बहुत महत्वपूर्ण चीज थी मगर मैं अपनी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा चाहे आपके बिक्री का अच्छे से अच्छा प्रबंध कर दें लेकिन यदि गन्ने की कीमत को इतना अधिक गिरा दिया जाय कि जो गन्ना उत्पादक के लिये लाभहीन हो जाय तो आपका यह विधेयक बिलकुल थोथा रह जायगा और इसकी कोई अहमियत न रह जायगी। मैं इसलिये यह बात कह रहा हूं और हालांकि मैं जानता हूं कि गन्ने की कीमत तय करना हमारी ताकत से बाहर भी है लेकिन मैं यह जरूर अपने प्रदेश की सरकार को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार बोर्ड के मेम्बर गन्ने की कीमत फैक्टरियों में जाने के लिये मुकर्रर करते हैं मैं समझता हूं कि हमारा प्रतिनिधित्व उसमें नहीं के बराबर है वर्ना जबकि उत्पादन का खर्चा दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ गन्ने की कीमत कम करने का प्रयत्न किया जाने का मतलब है। मैं माननीय गेंदा सिंह जी की बात से सहमत हूं कि चीनी की कीमत अवश्य कम की जाय क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि हमारे प्रदेश की चीनी बाहर के मुकाबिले में ज्यादा कीमत की हो मगर इसके साथ ही साथ यह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कीमत की कटौती की इस होड़ में आप इस फैक्टर को न भूल जायं कि किसान को गन्ना पैदा करने में कितना खर्चा उठाना पड़ता है। अब गन्ने का खर्चा पैदावार क्या आयेगी जब कि आपने आबपाशी की दर ड्योढ़ी कर दी है। इसलिये मैं अपनी गवर्नमेंट के सामने यह बात रखता हूं कि जहां आपने बिक्री का प्रबंध इस अधिनियम के जरिये किया आप गन्ने की कीमत की बात को भी न भूल जाइयेगा। यदि आपका अधिनियम बन भी गया और आपने किसानों को उतनी कीमत न दिलाई जितनी कि उसका खर्च पैदावार पर बैठता है तो मैं समझता हूं कि आपका यह अधिनियम बिलकुल अधूरा रह जायगा। इसलिये मैं अपनी प्रांतीय गवर्नमेंट और अपने मिनिस्टर साहब का ध्यान इस ओर अवश्य आकर्षित करूंगा कि इस गन्ने की कीमत को भी ध्यान में रखियेगा। अभी आपकी मीटिंग रांची में होने वाली है। उस वक्त यह विचार किया जायगा कि आगामी गन्ने के सीजन के लिये कितनी कीमत रखी जायेगी। आपने आबपाशी की दर ड्योढ़ी कर दी है और गन्ना तो आबपाशी के बिना होता नहीं तो यह जरूर देखियेगा कि उसके हिसाब से गन्ने की कीमत कितनी बढ़नी चाहिये। इसके अतिरिक्त सरकारी प्रकोप और दैवी प्रकोप किसानों के ऊपर क्या क्या आते हैं। उनको भी गन्ने की कीमत निर्धारित करते समय विचार में रखना चाहिये। तो इतनी बात तो मैं गन्ने की कीमत के संबंध में कहना चाहता था हालांकि यह इस विधेयक के कुछ बाहर थी मगर मैं समझता

[श्री बलवंत सिंह]

हूं कि यदि कोई अधिनियम गन्ने का बनता है और गन्ने की कीमत का सवाल उसमें न हो तो वह अधूरा ही है।

अब मुझे अपने माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना है जो इस अधिनियम में मैं समझता हूं कि छूट गई है। मेरा यह विचार है कि जब मूल अधिनियम ही में वह आवश्यक बातें नहीं हैं तो नियमों में किस प्रकार से होंगी। इसलिये मुझे यह बात माननीय मंत्री जी के सामने रखना है कि आपके विशेषज्ञ चाहे कितने होशियार क्यों न हों मगर इस अधिनियम में ऐसी बड़ी-बड़ी गलतियां हैं जो नहीं आनी चाहिये। इसलिये मैं मंत्री महोदय जी से प्रार्थना करूंगा कि जब आप नियम इस अधिनियम के अन्तर्गत बनावें तो उन नियमों को सदन के सामने अवश्य रखें जिससे हम लोगों की राय भी उसमें शामिल हो जावे। इसमें जो धारा २४ है उसे आप देखें उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो रूल्स बनें वे इस सदन के सामने रखे जायेंगें। तो मैं इस सदन से प्रार्थना करूंगा कि अगर माननीय मंत्री जी धारा २५ में इस बात को जोड़ लें कि इस अधिनियम के अन्तर्गत जब नियम बनाये जाये तो सदन के सामने अवश्य रखे जायं जिससे सदन के लोग भी उसमें अपनी राय दे सकें क्योंकि उन नियमों के अन्दर बहुत सी ऐसी बातें आयेंगी जो गन्ना उत्पादकों के रोजमर्रा की बातों से संबंधित होंगी, जैसे किस प्रकार से तुलाई होगी, कब से कब तक तुलाई होगी, कब से कब तक सीजन चलेगा आदि आदि।

दूसरी बात जिस ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि मैं एक ऐसे जिले का रहने वाला हूं जो आपके प्रान्त का बहुत ही ऐडवांस्ड जिला गिना जाता है, मुजफ्फरनगर। मैं कह सकता हूं कि शुगर फैक्टरीज को लगे हुये २० वर्ष हुये जो बातें आपके पुराने नियमों में थीं वह आज तक कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकीं। कौन किसान इस बात को नहीं जानता कि यदि उसकी गाड़ी तुलने के लिये गेट एरिया के अन्दर आती है तो वहां उसको २४ घंटों तक खड़े रहना पड़ता है। अभी मेरे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य जो हमारे एक पूर्वी जिले के भाई हैं जिन्होंने अभी मेडन स्पीच दी है कि गाड़ी को २४ घंटे के अन्दर तुल जाना चाहिये। मैं अपने मित्र से यह पूछना चाहता हूं कि किसका ऐसा बैल मजबूत है जो २४ घंटे तक अपने कन्धे पर गाड़ी को लिये हुये खड़ा रहेगा। मैं अपने भाई से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ३ घंटे के अन्दर गेट पर गाड़ी आने के बाद अगर वह नहीं तुलती है तो मैं यह कह सकता हूं कि वह बैल एक साल से ज्यादा गाड़ी को नहीं चला सकता है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से यह जानता हूं कि जहां पर कई कई घंटे की देर हुई। किसान का बैल एक एक साल या ६ महीने के अन्दर मर गया। हमारे पूर्वी जिलों में चाहे बैल कम क़ीमत का इस्तेमाल होता हो लेकिन हमारी तो बदक़िस्मती यह है कि एक एक बैल एक हजार रुपये से कम क़ीमत का नहीं आता। अगर इसी प्रकार से हमारी गाड़ियां २४ घंटे तक खड़ी रहें तब तो हमारे बैल २ दिन भी नहीं चल सकेंगे। इसलिये मैं अपने माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि वह जो नियम बनायें तो उनको यहां सदन के सामने लाया जाय। इस अधिनियम के अन्दर एक यह भी कमी रह गयी है कि किस समय से किस समय तक तुलाई हो। तुलाई का समय नियत नहीं किया गया है। जिस समय सख्त सर्दी पड़ती है उस समय १२ बजे रात को हमारी गाड़ियां लौटकर घर जाती है इसका असर हमारे बैलों पर क्या पड़ता है इसको हम जानते हैं। यही वजह है कि किसान की हालत गन्ने की खेती से हालांकि उसको लाभ होता है मगर उस लाभ को वह ज्यादा दिन तक टिका नहीं सकता है क्योंकि उसके बैल मरते हैं और उसको दूसरी तकलीफें होती हैं। गन्ने की खेती से ज्यादा पैसा मिलता है यह ठीक है मगर वह पैसा ऐसे ही लग जाता है। एक बात मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जिस समय हमारी गाड़ियां वहां पर तौल के लिये जाती हैं वहां पर काफी सर्दी रहती है। हमारे यहां २० साल से फैक्टरी लगी हुई है लेकिन अभी तक किसी फैक्टरी ने भी यह इन्तजाम नहीं किया है कि वहां पर सख्त सर्दी में या वर्षा होने पर किसान अपने बैलों को गाड़ी से छोड़ कर वहीं पर छोड़

शेड में खड़ा कर सकें। मैं मुजफ्फरनगर की बात कहता हूं। हमारे यहां चार फैक्टरी हैं उन चारों फैक्टरियों में से किसी में भी ऐसा इन्तजाम नहीं है कि जहां पर बैलों को हम सर्दी में या वर्षा में खड़ा कर सकें। तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस अधिनियम के अन्दर जहां पर उन्होंने बिक्री और दूसरी बातों को रखा है इस बात का ध्यान क़तई नहीं रखा गया है कि किसान के बैल या जो लोग गन्ना तुलवाने के लिये जाते हैं उनको कोई आराम भी देना है या नहीं।

दूसरी बात मुझे माननीय मंत्री जी से यह कहनी है कि हमारे यहां मार्च के बाद दूसरी फसल बोने का समय आ जाता है और उधर दूसरी फसल जो हमारी रबी की है उसके काटने का समय आ जाता है। अगर किसान को गन्ना ले जाकर १२ घंटे तक वहां पर खड़ा रहना पड़ेगा तो आप समझ लीजिये कि हमारी जो आगे वाली गन्ने की फसल है वह भी हम बरबाद कर देते हैं और जो हमारी रबी की फसल थी वह भी हम बरबाद करते हैं। मैं अपने माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि आपने जहां पर उसके सीजन को डिफाइन किया है आप यह प्रबन्ध भी अपने हाथ में लें कि प्रान्त के अलग-अलग भागों की हालत और फसलों की हालत को देखते हुये आप इस बात को निर्धारित कर दें कि इस समय के बाद फैक्टरी नहीं चलेगी हम जानते हैं कि कभी-कभी विशेष परिस्थिति आ जाती है जैसा कि पिछले साल हुआ है। जब कि मिलें जुलाई तक चलानी पड़ीं। मगर ऐसे तो समय कभी-कभी हुआ करते हैं जिसके लिये आपको एक अलग तरीका बनाना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि आप इस बात को भी न भूल जाइयेगा और ध्यान में रखियेगा कि फसलों का ख्याल रखते हुये और गन्ने की हालत को देखते हुये अलग भी जिनसे वे मिलें निश्चत समय के अन्दर चलें आप को अक्तूबर से जून तक का ही समय मुक़र्रर कर देना पर्याप्त नहीं है। आपको यह निश्चित करना पड़ेगा कि गन्ने की फैक्टरी किस वक्त से किस वक्त तक चलाई जायं ताकि आपकी जो और आगे की दूसरी फसलें हैं वह तबाह व बरबाद न हो जायं।

एक बात मैं इसके साथ ही साथ और बतलाना चाहता हूं कि मिल वाले हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि मिल देर से चलें क्योंकि इससे उनका मतलब सिद्ध होता है और ज्यों-ज्यों देर होती है गन्ने में उनकी शकर की मात्रा बढ़ती जाती है। इसलिये वे नवम्बर से दिखाने के लिये तो चला देते हैं मगर उसके बाद कभी एक पुर्जा तोड़ दिया कभी कोई दूसरा पुर्जा ख़राब कर दिया और कोशिश करते हैं शुरू में कम चलाने की और बाद में ज्यादा चलाने की। इसलिये माननीय मंत्री जी नियम बनाते वक्त इस बात का प्रयत्न करें कि मिलें गन्ना शुरू से आख़ीर तक बराबर तादाद में लें। अगर उनको आख़ीर में २० हजार मन लेना है तो शुरू में भी उनको २० हजार मन ही लेना चाहिये ताकि गन्ने का सारा बाण्ड समाप्त हो जाय और किसानों को आख़ीर में दिक्क़त न उठानी पड़े। अक्सर आख़ीर में ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाती है कि किसान स्वयं दरख्वास्त दे कि मिल अभी और आगे चलाई जाय क्योंकि वह शुरू सीजन में कम चलती हैं। इसलिये इस चीज को भी मंत्री जी नियम बनाते समय ध्यान में रखें।

इसके अलवा जैसे कि कुछ माननीय सदस्यों ने मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराया है कि जो लोग तुलाई करते हैं वह भी बहुत गड़बड़ करते हैं। एक तरफ तो इस संबंध में पढ़े-लिखे होशियार पूंजीपति मिल वाले हैं और दूसरी तरफ निरक्षर बे पढ़े लिखे काश्तकार हैं और जब वे गाड़ी लेकर जाते हैं तो वहां एक क्लर्क सोसाइटी का होता है और एक मिल मालिकों का होता है, लेकिन वह दोनों मिल जाते हैं और वह सोसाइटी का क्लर्क भी रक्षक के बजाय भक्षक का काम करता है और अक्सर देखने में आता है कि वे ब्रिजेज (तौलने के कांटे) भी ख़राब रखे जाते हैं जैसा कि माननीय महीलाल जी ने आज बताया कि मुरादाबाद में चालान हुआ कम तौलने में लेकिन २ वर्ष हुये कुछ नहीं हुआ। ऐसी मिसालें हर जिले में हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी इस ओर भी विशेष ध्यान दें। इस विधेयक का संबंध जहां बड़े-बड़े मिल मालिकों से है; वहां ऐसे गरीब आदमियों से भी है जिनको रक्षक केवल गवर्नमेंट ही हो सकती है और कोई दूसरा नहीं। इसलिये वे ब्रिजेज (तौलने के कांटों) और तुलाई का विशेष प्रबन्ध होना चाहिये।

[श्री बलवन्त सिंह]

अब दूसरी बात गन्ने की क़ीमत की वसूलयाबी की है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि जो आश्वासन उन्होंने सवालात के समय दिया था कि गन्ने की बकाया पर सूद दिलाया जायगा, उसको पूरा किया है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि साढ़े सात प्रतिशत सूद की दर बहुत कम है। वह शरह ऐसी होनी चाहिये कि जो मिल मालिकों को जल्द अज जल्द रुपया देने पर बाध्य कर सके। मैं समझता हूं कि जब नियम बनाये जायं तो वह इस तरह से बनाये जाय कि जिससे उनकी जुर्रत ही न हो कि वह उनकी अवहेलना कर सकें। अगर आपको शरह सूद रखनी ही थी तो कम से कम २ फीसदी रखनी चाहिये थी जिससे किसी मिल मालिक की यह जुर्रत न होती कि वह किसान के रुपये को ज्यादा दिन अपने पास न रख सके। इसलिये मेरा एक अनुरोध है कि अगर माननीय मंत्री जी ने सूद रखा है तो जरा हिम्मत से काम लिया जाये और कोशिश इसकी की जायगी कि मिल मालिकों को किसानों का रुपया रोकने का प्रलोभन न हो। इसके साथ साथ एक सवाल और पैदा होता है और वह यह है कि सूद कौन लेता है। सूद वह लेता है जिसके पास सरप्लस मनी (फालतू रुपया) होता है। हम तो किसान के गन्ने की क़ीमत की बात कर रहे हैं जिसको खाने के लाले हैं। मैं तो आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि सूद तो उन किसानों को दिलवाइये जिसके पास कुछ रुपया फालतू है जो अपने रुपये को मिल मालिकों के पास छोड़ना चाहें मगर जिस किसान को बैल लेना हो, बीज लेना हो, बेटी का विवाह करना हो उस किसान को तो २४ फीसदी पर भी सूद नहीं मिलता। आपकी कोआपरेटिव सोसाइटी भी तो उसको सूद पर रुपया नहीं देती। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप इस विधेयक में उस किसान का भी ध्यान रखिएगा कि जिसके पास पैसा नहीं है और गन्ना बेचकर तुरन्त दाम चाहता है। उसको तुरन्त पैसा दिलवाने की व्यवस्था होनी चाहिये। उसके लिये अगर आप कोई दूसरा प्रबंध कर सकें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जब उसको अपने माल का खुद पैसा न मिले तो दूसरा कौन पैसा देने वाला होगा। इसलिये इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये।

आगे चलकर इस विधेयक के अन्दर एक बात रखी गयी है और मैं समझता हूं कि वह माननीय मंत्री जी ने बड़े मार्के की चीज रखी है। जो गन्ने की क़ीमत मिल मालिकों पर देय हो वह मालगुजारी के तरीक़े से वसूल कर ली जाय। मैं इसके लिये माननीय मंत्री जी को बधाई दिये बिना नहीं रहूंगा। उन्होंने एक ऐसा अच्छा तरीक़ा निकाल दिया जिसके जरिये से जल्द से जल्द अदायगी हो सकती है। मगर इसमें एक खामी रह गयी और उस तरफ़ मैं उनका ध्यान दिलाऊंगा। जरा यह भी तो इसमें रखा जाय कि कितने समय के बाद मालगुजारी के तरीके से वसूल होने लगेगी और कौन उसकी दरख्वास्त लेगा और किस प्रकार से कार्यवाही शुरू की जायगी। यह चीजें इसके अन्दर रह गयी हैं जो कि होनी आवश्यक है यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि एक समय निर्धारित आप कीजियेगा जिसके बाद अगर मिल मालिक किसान का पैसा नहीं देता तो वह फौरन् बिला किसी की दरख्वास्त के आटोमेटिकली बतौर मालगुजारी के वसूल कर ली जायगी। यह चीजें हमारे विधेयक के अन्दर नहीं हैं। मैं समझता हूं कि इनका होना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर यह चीजें न रखी गयीं और किसान के ऊपर छोड़ दिया या कोआपरेटिव सोसाइटी के ऊपर छोड़ दिया गया कि जब वह दरख्वास्त दे तब कलेक्टर उनकी दरख्वास्त लेकर हायर अथारिटीज की मंजूरी मांगे तो उसके मंगाने में दो-तीन महीने लग जायंगे। इसलिये आप विधेयक को इस प्रकार बनाइये कि बिलकुल फूलप्रूफ हो जाय जिसमें बेईमानी और भ्रष्टाचार की कोई गुंजायश न हो। अगर ऐसा आपका अधिनियम है तो मैं समझता हूं कि उन किसानों के जिनके हम प्रतिनिधि बनकर यहां आये हैं उनके लिये यह लाभकारी सिद्ध होगा अन्यथा चाहे यह अच्छा से अच्छा अधिनियम क्यों न हो अगर इसमें यह गुंजाइश रखी गयी कि पहले दरख्वास्त दी जायगी तब कार्यवाही शुरू होगी तो मैं समझता हूं कि इसमें अधिक समय लग जाना आवश्यक है और वह किसानों के हानिकारक होगा। बल्कि वह मिल वालों के लिये ही लाभकारी होगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी

जी से यह प्रार्थना करूंगा कि इसमें वह निश्चित कर दें कि जिस समय के बाद में वह माल-गुजारी के तरीक़े से, स्वयं ही, वसूल होना शुरू हो जाय जैसा कि सूद लगना शुरू हो जाता है।

अब उसके बाद मैं अपनी डेवलपमेंट कौंसिल्स, विकास परिषदों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा और मैं समझता हूं कि इस ओर भी कुछ कमियां हमारे इस अधिनियम में रह गयीं। हर कोई जिसका गन्ने और मिलों से संबंध है जानता है कि इन विकास परिषदों के पास काफी बड़ी रक़में होती है जो कि गन्ने से और सेस से आती हैं। अब इस रुपये का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है वह भी मैं समझता हूं कि हमारे वह सभी भाई जानते हैं जिनका संबंध इससे पड़ता है इसमें जो प्रधान रखे जाने हैं वह केन कमिश्नर के ऊपर आपने छोड़ दिये हैं कि उनका अप्वाइंटमेंट केन कमिश्नर साहब करेंगे। मैं तो यह समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी ने कुछ ऐसा समझ लिया है कि केन कमिश्नर साहब कोई ऐसी चीज हैं जो बिलकुल सब चीजों से बरी हैं और सब चीजों से ऊपर हैं और उनके अन्दर सारे संसार की जितनी लियाक़त है और जितनी अक्ल है वह सारी की सारी आ जाती है। मुझे तो इस बात के कहने में किंचित् मात्र भी संकोच नहीं है कि हमारे केन कमिश्नर में ऐसी बात कुछ भी नहीं जैसा कि हम समझ बैठे हैं।

श्री हुकुम सिंह—जिसे आप काबिल बताएं उसे हम मान लें ?

श्री बलवन्त सिंह—माननीय मंत्री जी ने जो बात रखी है उससे ऐसा मालूम होता है कि शायद मेरा मतलब है कि मैं किसी ख़ास आदमी को केन कमिश्नर बनवाना चाहता हूं। यह मेरा हरगिज मतलब नहीं है। मेरा कहना यह है कि किसी भी जगह आप किसी को रखें, किसी भी पोस्ट पर रखें तो उसको आप इतने ही अधिकार दीजियेगा जितने कि उसके लिये उपयुक्त हों। ज्यादा न दीजियेगा। अगर ज्यादा दीजियेगा तो वह नुक़सानदेह चीज हो जायगी। अगर आप गवर्नर महोदय को या अपने प्रेसीडेंट को उतना अधिकार देते हैं जितना कि नहीं मिलना चाहिये तो मैं यह प्रार्थना करूंगा कि उन अधिकारों का दुरुपयोग हो सकता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर न दिला करके कि कौन केन कमिश्नर हो, और कौन न हो, मैं यह जरूर चाहूंगा कि केन कमिश्नर को आप उतने अधिकार दें जितने कि कम से कम दिये जा सकें। क्योंकि इस प्रजातंत्र के जमाने में, अब कोशिश इस बात की कीजियेगा कि अधिक से अधिक लोग अपने काम को स्वयं चलावें। यह ज्यादा अच्छी बात नहीं होती कि जगह जगह पर जहां रेप्रेजेंटेड लोग जाते हैं उनके ऊपर आप एक ऐसा आदमी सरकारी तरीक़े से बैठा देते हैं। मैं बतलाता हूं कि हमारे यहां केन यूनियंस हैं। उनके प्रेसीडेंट मुक़र्रर किये जाते हैं डिप्टी कलेक्टर्स और हम जानते हैं कि किस प्रकार बेजा तरीक़े से इन केन यूनियंस का काम चलता है। मैं पूछता हूं कि डिप्टी कलेक्टर्स को कितना समय है कि वह डेवलपमेंट के काम को देख सकें और आप उनसे काम लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह इतने रुपये का, जो कि लाखों रुपया एक यूनियन के पास होता है, उसका सुचारु रूप से उपयोग करा सकें तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस बात पर जरूर विचार कीजियेगा।

अगर डेवलपमेंट कौंसिल्स आपकी अच्छे प्रकार से काम करती हुई हों तो मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि आपके जिले के अन्दर इतने काम विकास के हो सकते हैं कि आपको और रुपया देने की किंचित् मात्र भी जरूरत न पड़े। मगर उस रुपये का उपयोग किस प्रकार से होता है कि किसी हमारे परिषद् के सदस्य के मकान के सामने पुलिया बनती है, उनके खेत तक जाने के रास्ते और बाट बनते हैं। यह मोटी बातें हैं जो आप जानते हैं और जो केन यूनियंस से संबंध रखने वाले लोग हैं वे सभी जानते हैं। तो इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि अगर आप प्रधान को यहां से मुक़र्रर ही करते हैं तो कृपया उस चीज को आप अपने हाथ में लीजिएगा। जिससे कि कम से कम हम आप को कुछ बात कह तो सकें,

[श्री बलवन्त सिंह]

आप के बनाये हुए आदमियों में खराबियां तो निकाल सकें और अपनी बात आप के सामने रख तो सकें, नहीं तो कहां जायं, केन कमिश्नर के पास, हमें तो यह बात कुछ ज्यादा उचित नहीं मालूम होती कि केन कमिश्नर के पास दरख्वास्त दें कि आपके अप्वाइंट किये हुये डिप्टी कलेक्टर साहबान ठीक काम नहीं कर रहे हैं। हां, यह कर सकते हैं कि अगर मिनिस्टर साहब ने कोई ग़लत काम किया है तो उनको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, यहां विधान सभा में हम उनकी ग़लती बतला सकते हैं और यह जरा भला भी मालूम होगा। तो अगर आपको अप्वाइंटमेंट इन विकास परिषदों का रखना ही है तो अपने हाथ में लीजिएगा और भगवान के नाम पर गवर्नमेंट सर्वेंट के हाथ में न रखिएगा क्योंकि हम जानते हैं कि वह लोग न तो समय पूरा दे सकते हैं और न दे रहे हैं। अब तक का हमारा तजुर्बा तो ऐसा ही है। इसलिये केन परिषदें ये बड़ी इम्पार्टेंट चीजों में से हैं और जितना काम उन्होंने अब तक किया है यह उससे दुगुना, चौगुना काम करती, अगर इनका ढंग ठीक हो जाय और इनकी देख रेख ठीक होती रहे। मुझे तो अफसोस के साथ यह भी कहना पड़ता है कि मालूम नहीं किस प्रकार से इनका आडिट होता है, कौन इनकी देख रेख करता है, इनकी देख-रेख इस बुरे तरीक़े से हो रही है कि मैं समझता हूं कि यह कोई देखने वाला ही नहीं है कि रुपया कितना आता है, कौन रखता है, कोई चीज बनने को हुई तो कोई उसका एस्टीमेट नहीं बनाता है, पुल बनते हैं कितनी क़ीमत उनमें लगती है, सड़कें बनती हैं, १० रु० के काम में १०० रु० लगता है। तो कृपया ऐसा आप अपने उसमें नियमों को आप इस तरह से रखियेगा कि जो खराबियां हैं वह आगे चलकर न रहें। और यदि ये खराबियां रहती हैं तो यह अधिनियम ज्यादा फायदेमन्द किसान के लिये नहीं होगा, क्योंकि उसका पैसा इसी तरह से चला जायगा। एक ग़रीब किसान पर जिस पर इतने दैवी प्रकोप रात दिन होते हैं आप ने भी सरकार की तरफ से कुछ प्रकोप करने शुरू कर दिये। आप ने आबपाशी की दर ड्योढ़ी कर दी और आप इसके साथ-साथ आज किसान से बिक्री कर भी गन्ने की बिक्री पर लेने के लिये तैयार हैं और आप ने यह प्राविजन भी रखा है कि एक आने प्रतिमन के हिसाब से बिक्री कर भी लिया जायगा। क्यों लिया जायगा किस लिये लिया जयगा, क्या आप यह समझते हैं कि किसान की हालत बहुत अच्छी होती जा रही है जिससे कि आप टैक्स पर टैक्स और कर पर कर उसके ऊपर थोपते जा रहे हैं, क्या आप यह समझते हैं कि आप किसानों को बहुत बड़ी-बड़ी सहूलियतें दे रहे हैं कि जिसकी वजह से आज किसानों के ऊपर बड़े-बड़े टैक्स लगाने आप जा रहे हैं। क्या आप के ख्याल से किसान की चीजों की क़ीमत इतनी बढ़ती जा रही है और उसको इतनी ज्यादा क़ीमत मिल रही है कि वह आज आप को टैक्स दे और फिर भी उसकी हालत अच्छी रहे। मैं तो अपनी गवर्नमेंट का ध्यान पूरब की तरफ दिलाना चाहता हूं और इसके साथ-साथ अगर यही हाल रहा तो आप पश्चिम के भी दूसरे नक्शे देखेंगे। मैं तो संकेत रूप से आप को यह बतला देना चाहता हूं कि आज किसान की वह हालत नहीं है जो कि हालत आप समझ रहे हैं। किसान के ऊपर जो यह १० गुना का बोझ लादा गया, उसने किसान की कमर तोड़ दी है और आज जो किसान के पास सरप्लस मनी (बचा रुपया) थी वह आज नहीं है मैं यह जानता हूं कि सैकड़ों, हजारों जो किसान अपने बच्चों को स्कूल और कालेजज में से उठा कर अपने घर बैठा लिये हैं, बहुतों के बैल मर गये तो वह बैल नहीं ला सके, किसान की पर्चेजिंग पावर (क्रय शक्ति) इतनी कम होती जा रही है कि आज दूकानदार भी हाथ पर हाथ धरे बैठा है क्योंकि उसके सामान को खरीदने वाला अगर कोई था तो वह किसान ही था। आज जब किसान का पहले ही दिवाला निकल गया तो दुकानदार का भी दिवाला निकल जाना आवश्यक था। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप जो विक्रय कर, जो सेस किसानों के ऊपर नया लगाना चाहते हैं आप इसका जरा ध्यान रखियेगा और आप इस बात को सोचियेगा कि किसान अब आपके करों को अधिक बरदाश्त नहीं कर सकता। जबकि आपने १५ हजार की बिक्री के ऊपर बिक्री कर लिया है तब क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि वह किसान जो कि एक गाड़ी गन्ना बेचने के लिये

लायेगा वह बिक्री कर क्यों देगा तो मैं समझता हूं कि वह सरकार का प्रकोप है। जैसा कि दैवी प्रकोप किसानों के ऊपर है वैसे ही सरकार का भी प्रकोप किसानों के ऊपर है। अभी आबपाशी की दर को ड्योढ़ा किया गया है और अभी वह एक आना बिक्री कर जो कि दुनियां भर में और किसी के ऊपर नहीं, गन्ना पैदा करने वालों के ऊपर लगाया जाता है। दुकानदारों के ऊपर लगाया गया। १५ हजार की बिक्री पर और किसान के दो रुपये के गन्ने की बिक्री पर भी। अब एक आना प्रति मन के हिसाब से लगाया गया तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि आपने यह बात जो अधिनियम में रखी है यह सर्वथा अनुचित है और यह नहीं लगाना चाहिये। मैं समझता हूं कि किसान जितना पुराना सेस दे रहा था वह ही बहुत काफी है, उससे अधिक कर आपको उसके ऊपर नहीं रखना चाहिये। यह दो चार सुझाव मैंने माननीय मंत्री जी को दिये और मैं यह समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी ऐसे हैं कि जो बातें उनको ठीक-ठीक नजर पड़ती है उनको वह जरूर मान लेते हैं और जहां तक किसानों से मुहब्बत का ताल्लुक है, जहां तक किसानों से प्रेम का संबंध है वह पूर्णतया उनके रोम रोम में भरा हुआ है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात को कि जो सुझाव मैंने उनके सामने रखे हैं, जो किसानों की दयनीय दशा मैंने माननीय मंत्री जी के सामने रखी है उस पर अवश्य विचार करेंगे और इस बात का प्रयत्न करेंगे कि किसानों की दशा सुखमय हो, यह सब बातें जो मैंने माननीय मंत्री जी के सामने रखी हैं और मुझे आशा है कि वह इसको जरूर कबूल फरमायेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बलवन्त सिंह जी के गम्भीर और संकेतात्मक भाषण के बाद कोई जहां तक ब्यौरे का सवाल है कोई विशेष भाषण देने की आवश्यकता तो नहीं थी लेकिन मैं कुछ प्रश्न और कुछ शंकाओं का समाधान अवश्य माननीय मंत्री जी से कराना चाहता था। आज से करीब एक साल पहले २९ मई, १९५२ ई० को हमारे इन्हीं माननीय मंत्री जी ने जिनको आज इस विधेयक को उपस्थित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है एक शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक लाने का मौका मिला था और वह भी इसी लिये रखा था कि चूंकि इंडस्ट्रीज ऐक्ट ५१ लागू हो गया था मैं उसके उद्देश्य और कारण को माननीय हुकुम सिंह जी के शब्दों में ही पढ़ देना चाहता हूं।

"संसद ने इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेंट ऐण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, १९५१ ई० नामक एक अधिनियम पारित किया है जो ८ मई, १९५२ ई० से प्रचलित कर दिया गया है। उक्त अधिनियम के लागू होने से यू० पी० शुगर फैक्ट्रीज़ कण्ट्रोल ऐक्ट, १९३८ ई० के कुछ उपबंध अब निष्प्रभाव हो गये हैं.....।"

एक साल पहले उस विधेयक के परिच्छेद ४ के अन्दर गन्ने का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार सरकार को था यानी एक साल पहले इंडस्ट्रीज ऐक्ट के अनुसार गन्ने का दाम लगाने का आपको अधिकार था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने २९, मई १९५२ ई० को यह कहा था, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि इसके बारे में हमें गवर्नमेंट आफ इंडिया से काफी बातचीत करनी पड़ी। उन्होंने आगे कहा है कि जिस शक्ल में वह उस बिल को लाये हैं उसमें पेश करने के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया ने मंजूरी दे दी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनके अधिकार बढ़ सकें तो वे कम करना तो चाहते नहीं। यानी गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हमारी प्रांतीय सरकार को ऐसा बिल लाने की मंजूरी दे दी जिसके अनुसार आप गन्ने का दाम लगा सकते थे। उसके बाद उसी दिन जब मैंने बहुत से प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री के सामने रखे तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह ऐलान किया था कि एक कमेटी बनेगी जिसमें उधर के और इधर के भी लोग होंगे और उसका स्वागत करते हुये माननीय उद्योग मंत्री जी ने फरमाया था कि सरकार एक कमेटी कायम करना चाहती है। उसमें हर पार्टी के लोग जो उसमें दिलचस्पी रखते हैं होंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

उसकी रिपोर्ट आजाने पर सरकार उस पर गौर करके ऐसा बिल लाना चाहती है जो सर्वमान्य हो । यह उन्होंने बात ३० मई सन् ५२ को कही थी । सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसकी, अखबार में था कि, कुछ मीटिंग भी हुई लेकिन माननीय उद्योग मंत्री जी का वादा कि रिपोर्ट हमारे सामने आवेगी, वह रिपोर्ट कहां है ? उसका क्या हो गया ? लेकिन बिल आ गया है । क्या इंडस्ट्रीज ऐक्ट १९५१ को समझने में हमारी सरकार को सालों लग गये ? आदरणीय हुकुम सिंह जी के शब्द की रिपोर्ट सामने आवेगी नहीं टलने चाहिये थे। तो क्या मैं आशा करूं कि वह इस विधेयक को वापस लेकर पहले रिपोर्ट हमारे सामने लावेंगे जिसे पढ़ने के बाद सेलेक्ट कमेटी बने या जो भी हो। मैं देखता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री जी अपनी गलती को समझ गये हैं। जितनी जल्दी में यह विधेयक बनाया गया है उसका यह नमूना है कि इसमें शुगर कमिश्नर को भी स्थान दिया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब चीनी पर हमारा अधिकार ही नहीं रहा तो यह धारा २ में आपने शुगर कमिश्नर को क्यों रखा है। इसका गन्ने से क्या संबंध होगा ?

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
५ अगस्त, १९५३ ।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ १७४ पर)

उत्तर प्रदेश अनुशासनीय कार्यवाही (साक्षियों को बुलाने तथा लेखों को प्रस्तुत कराने का) विधेयक, १९५३

सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनीय कार्यवाहियों में साक्षियों की उपस्थिति तथा लेखों को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करने का

विधेयक

प्रस्तावना। उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यों के संबंध में जनसेवा तथा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनीय कार्यवाहियों में साक्षियों की उपस्थिति और लेखों को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करने के निमित्त उपबन्ध करना आवश्यक है,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त नाम प्रवृत्ति तथा प्रारम्भ १—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश अनुशासनीय कार्यवाही (साक्षियों को बुलाने तथा लेखों को प्रस्तुत कराने का) अधिनियम, १९५३ होगा।

(२) इस का प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—इस अधिनियम की प्रवृत्ति उत्तर प्रदेश के कार्यों के संबंध में जन सेवा (Public Services) तथा पदों ((Posts) पर नियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सभी विभागीय जांचों (Departmental enquiries) में होगी।

परिभाषा। ३—इस अधिनियम मे विषय या प्रसंग में जब तक कोई बात प्रतिकूल न हो—

(क) "ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल" का तात्पर्य डिसिप्लिनेरी प्रोसीडिंग्स (एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल) रूल्स १९४७ के अधीन संघटित ट्रिब्युनल से है।

(ख) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(ग) "विभागीय जांच" (Departmental enquiry) का तात्पर्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जांच से है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के अधीन बने किसी विधि या नियम अथवा अनुच्छेद ३१३ के अधीन जारी रक्खे गये किसी नियम के अधीन और अनुसार, की जाय।

(घ) "जांच करने वाले अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो किसी व्यक्ति के आचरण (Condoct) के संबंध में विभागीय जांच के परिचालन के लिये सरकार द्वारा या सरकार के अधीनस्थकिसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी (Authority) द्वारा नियुक्त किया गया हो, और इसके अन्तर्गत वह अधिकारी भी होगा जिसको अन्यथा इस प्रकार जांच करने का अधिकार हो।

जांच करने वाले अधिकारी के अधिकार और प्रसर (Process) की आज्ञा पालन न करने के लिये शास्ति (Pen-alty) ऐक्ट ३७, १८५०

४—(१) साक्षियों को बुलाने और लेख्यों को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करने में जांच करने वाले अधिकारी अथवा ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल के वही अधिकार होंगे जो पब्लिक सर्वेंट्स (इन्क्वायरीज) ऐक्ट, १८५० की धारा ८ के अधीन कमिश्नर को प्राप्त हैं।

(२) उक्त ऐक्ट की धारा ९ के उपबन्ध जिनमें प्रसर (Process) की आज्ञा पालन न करने के लिये शास्ति (Penalty) की व्यवस्था है, ऐसे प्रसर को भी, जो जांच करने वाले अधिकारी अथवा ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल द्वारा जारी किया गया हो, उसी प्रकार प्रवृत होंगे जिस प्रकार वे उपर्युक्त कमिश्नर द्वारा जारी किये गये इस प्रकार के प्रसर को प्रवृत्त होते हैं।

नियम।

५—इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

उद्देश्य और कारण

राज्य सरकार के नियम-निर्माण–नियंत्रण क अधीन सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासन संबंधी मामलों के निस्तारण मे प्रायः विलम्ब होता है। इसका कारण यह भी है कि कोई ऐसा अधिनियम नहीं है जिसके अनुसार जांच करने वाला अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल गैर सरकारी साक्षियों की उपस्थिति और उनके द्वारा लेख्यों को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य कर सके। परिणाम यह होता है कि इस प्रकार के साक्षी प्रायः विभागीय कार्यवाहियों में उपस्थित नहीं होते और जांच को पूरा करने में विलम्ब और कठिनता होती है। इस विधेयक का यह उद्देश्य है कि जांच करने वाल अधिकारियों और ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल को, साक्षियों की उपस्थिति और लेख्यों को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करने के निमित्त, उसी प्रकार के अधिकार दिये जायं, जो पब्लिक सर्वेंट्स (इन्क्वायरीज) ऐक्ट, १८५० के अधीन उक्त अधिनियम के अनुसार नियुक्त कमिश्नरों को प्राप्त हैं।

गोविन्द वल्लभ पन्त,
मुख्य मंत्री,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ५५—एल० ए०—१९५३—८५०।